खण्ड-295, अंक-4
मंगलवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1894
(28 मार्च, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 295 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	281–285
प्रश्नोत्तर	285–308
विधान पुस्तकालय समिति (1971–72) का प्रतिवेदन ..	308–309
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	309
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	310–353
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	353–355
नत्थियां	356–363

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

मंगलवार, 28 मार्च, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री बासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (376)

अजबासिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि , श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री

ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकांत अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री

गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कांत सिंह जुदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेंद्रपाल सिंह, श्री
जे०एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर , श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र नाथ मिश्र, श्री
देवेंद्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेंद्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द , श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री

बंशीधर पांडेय, श्री
बंशोधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह बिशारद, श्री
भगलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह (जिला सहारनपुर)
महाबीर सिंह चौहान, (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेंद्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबानसिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेंद्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
राम चरण, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
राम दुलार, श्री

राम दुलारे मिश्र, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेंद्र कुमार, चौधरी
वीरेंद्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांती चरण पिडारा, श्री
शांती देवी, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महद्र सिंह, कुंवर (उफ शरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथसिंह, चौधरी श्री
श्याम किशोर, डाक्टर

श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेंद्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल, श्री
सूयनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीउल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरासिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला मागरी पश्चिम)
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला मागरा, फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—श्री बलदेव सिंह आर्य पंचायती राज्य मंत्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 28 मार्च, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भारत-पाक युद्ध में शहीदों एवं अपंग सैनिकों के परिवारों को सहायता

**1—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण जो सैनिक तथा सेना के अफसर अपंग, घायल तथा वीरगति को प्राप्त हुए उनके लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या किया? क्या सरकार ने उनके लिये मकान तथा मृत सैनिकों की पत्नी की शिक्षा एवं रोजगार की भी कोई योजना बनाई है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

गत दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध में सुरक्षा सैनाओं के जो सैनानी वीरगति को प्राप्त हुये है, अपंग हुये हैं या खो गये हैं, उन्हें व उनके परिवारों को जो सुविधायें प्रदान की जा रही हैं वह संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 356–358 पर)

युद्ध में शहीद हुये जवानों की विधवाओं के लिये नगरों में 100 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मकानों के निर्माण की योजना बनाई गई है । नगरों में गृह निर्माण का कार्य सेंन्ट्रल कमाण्ड के संरक्षण में होगा । लखनऊ, मेरठ तथा बरेली में गृह कालोनियों का शिलान्यास रखा जा चुका है ।

शहीद हुये सैनिकों की पत्नियों तथा बच्चों को शिक्षा हेतु जो सुविधायें दी जाती हैं उनका उल्लेख संलग्न सूची में है । उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा शहीदों की विधवाओं को सिलाई के प्रशिक्षण में सहायता तथा सिलाई मशीनों के रूप में सहायता दी जा रही है । राज्य सैनिक तथा नागरिक परिषद् की ओर से भी उन्हे सिलाई की मशीन दी जा रही है ।

श्री रामगोपाल संड---

मान्यवर, उत्तर संबंधी सूची में दिया है कि ये जो 200 मकान बनाये जा रहे हैं 100 नगरों में और 100 देहातों में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये कब तक बन जायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) ---

ये मकान सैनिक हेड-क्वार्टर के जनरल भगत के माध्यम से बनाये जा रहे हैं और 60 लाख रुपये की स्कीम है । इरादा है कि साल भर के अन्दर बन जायं ।

श्री रामगोपाल संड---

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित संलग्न सूची में लिखा है कि ये मकान शहीद-जवानों के परिवारों को नाममात्र के किराये पर दिये जायेंगे । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कम से कम कितना किराया इन मकानों का रखने वाले हैं या निःशुल्क देने वाले हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इसमें ये जो मकान बनकर तैयार हो रहे हैं, वह सैनिक हेड क्वार्टर के माध्यम से हो रहे हैं । उस वक्त जो बातचीत हुयी थी, वह यह हुयी थी कि बहुत ही नाममात्र के किराये पर उनको दे दिया जायेगा कुछ एक या दो रुपये साल उनसे ले लिया जायेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने एक आदेश निकाला है कि सभी शहीद सैनिकों की विधवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी ? क्या सरकार भी उनको सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वे बेचारी विधवायें इस लायक होंगी तो अवश्य विचार किया जायेगा, वैसे ये जो मकान बनाये जा रहे हैं वहां यह विचार है कि ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र भी बनाये जायं, जहां उनको सिलाई, कढ़ाई आदि दस्तकारियों की शिक्षा दी जाय जिससे कि वे अपनी रोजी कमा सकें और यदि काम के लायक हों, तो उन्हें नौकरियां भी दी जायं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या मुख्य मंत्री जी अपंग सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं या उनके बच्चे जो काम करने लायक हैं, के लिये ऐसी कोई योजना पर विचार करेंगे कि जिससे लगातार अन्त तक उनकी आय का कोई साधन रहे, चाहे नौकरी हो या दस्तकारी हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह तो किया ही जा रहा है । भारत सरकार की योजना आपने देखी होगी जिसमें यह है कि जो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उनके परिवारों को पेंशन हो जाती है और वह बराबर उन्हें दी जाती रहेगी ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

यह एलाटमेंट कहां से होगा ? कोई कमेटी करेगी या किसी अन्य बोर्ड द्वारा होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैंने अभी निवेदन किया कि हमने मकान बनाने के लिये जनरल भगत की मार्फत पैसा दिया है और इरादा यह है कि केवल यहां पर ही नहीं वरन् दूसरी जगह भी इसके लिये मकान बनाये जायं । करीब 200 मकान बनाने के लिये हमारा इरादा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मोटी-मोटी जो अन्य सुविधायें दी गयी हैं उन पर माननीय मुख्य मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया जा चुका है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

जो जवान शहीद नहीं हुये हैं और जो अभी भी सर्विस में हैं क्या उनके आश्रितों को भी कोई सहायता देने पर सरकार विचार करेगी ? जैसे कोटा परमिट आदि देने में प्राथमिकता आदि पर ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जो एक्टिव सर्विस में हैं उनके आश्रितों को भी सहायता दी जा रही है जैसे मुकदमों में छूट, उनकी जमीन आदि की रक्षा, उनके बच्चों की शिक्षा में सुविधायें, मकान आदि बनाने में सुविधायें तथा अन्य कई सुविधायें उन्हें भी दी जा रही हैं ।

गोरखपुर मण्डल में आयोजित परिवार कल्याण उत्सव

** 2--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्ष 1972 में जो परिवार कल्याण महोत्सव अभियान राज्य भर में चलाया गया है उसके दौरान गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरियों में आपरेशन के समय ए०टी०एस० और डाइक्रिरटीसिन इन्जेक्शन न देने के कारण अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और हजारों व्यक्तियों के आपरेशन पक गये ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाहीं हुई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस तथ्य की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)--

वर्ष 1972 में विशाल परिवार कल्याण उत्सव केवल गोरखपुर मंडल में आयोजित किया गया था । वाराणसी मण्डल के कुछ निवासियों ने भी इन शिविरों में नसबन्दी करायी है । गोरखपुर में टिटनेस के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुयी है । कुछ मामलों में घाव आदि के पक जाने की सूचना भी प्राप्त हुयी है । टिटनेस से पहली मृत्यु की सूचना मिलते ही राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक एवं प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद को गोरखपुर मण्डल में हुए कैम्पों में जांच करने के लिये भेजा । दोनों अधिकारियों ने

[श्री प्रेम चन्द्र शर्मा]

उन सभी शिविरों की जहां आपरेशन हुए थे, जांच की । निदेशक का कहना था कि परिस्थितियों के सर्वांगीण सर्वेक्षण के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि फालो-अप सेवा यथासंभव संतोषजनक रूप से दी जा रही थी । फालो-अप सेवा का ही यह परिणाम था कि गोरखपुर जिले के अस्पतालों में तब तक 34 व्यक्ति पोस्ट-वैसेक्टमी कठिनाइयों के कारण जिले के विभिन्न भागों से भर्ती हुये और उनका उपचार हो सका । निदेशक ने यह भी लिखा है कि टिटनेस के रोगियों की आधुनिक चिकित्सा हुयी थी । प्रदेशीय सरकार द्वारा जो आदेश इन शिविरों के संबंध में भेजे गये थे उनमें भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आपरेशनों के संबंध में वही सावधानियां बरती जायं जो अस्पतालों में हुए आपरेशनों के संबंध में बरती जाती हैं । विशेषज्ञों की राय पर आधारित भारत सरकार के आदेशों के अनुसार हर नसबन्दी हुए व्यक्ति को ए०टी०एस० और डाइक्रिस्टिसिन इन्जेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है । कभी-कभी ये इन्जेक्शन लाभदायक होने के बजाय खतरनाक भी सिद्ध हो सकते हैं ।

टिटनेस से हुई मृत्युओं के बाद भारत सरकार ने एक एन०आई०सी० डी० टीम भेजी जिसकी रिपोर्ट अभी अभी प्राप्त हुयी है । उस रिपोर्ट में मुख्य निष्कर्ष यह निकाले गये हैं:—

(1) जांच के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि आपरेशन के दौरान केसेज संक्रमित हुये थे । हो सकता है कि आपरेशन के दौरान बरती जाने वाली सफाई (aseptic proctuoe) न किए जाने के कारण ऐसा हुआ हो ।

(2) सड़कों व खेतों की धूल में टिटनस के कीटाणु अधिकांशतः पाये जाते हैं । यह धूल आपरेशन थियेटर में पहुंच गई होगी ।

(3) फिर भी आपेरेशन के घाव के दूषित होने का वास्तविक कारण निश्चित न हो सका ।

प्रदेशीय सरकार ने भी एक लेबारेटरी टीम इलाहाबाद मेडिकल कालेज से भेजी थी जो इस बात का पता लगाए कि आपरेशन सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में तो कोई असावधानी नहीं बरती गयी । इस टीम ने काटन, गाज, ब्रोजार, दस्ताने आदि सभी चीजों की विस्तृत जांच की और पाया कि चार मामलों में दस्ताने में लगे हुए डस्टिंग पाउडर दूषित थे और उनमें टिटनेस के कीटाणु पाए गए ।

जिस केसेज में मृत्यु हुयी है उनके आपरेशन जिन दिनों में हुए थे उसमें कई आपेरेशन लगभग 200 आपरेशन--प्रतिदिन हुए थे जिसमें से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुयी । यह सम्भव है कि टिटनस के कीटाणु या तो बाहर से धूल, गई आदि के साथ चले गए या पर्याप्त विसंक्रमण (sterlisation) न होने के कारण हुए हों । इसके लिए कौन उत्तरदायी थे इस विषय में सरकार जांच कराएगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आपके नसबन्दी अभियान में मरने वालों और घाव पकने वालों की संख्या अलग-अलग क्या है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

कुल मरने वालों की संख्या 11 है, लेकिन घाव पकने वालों की संख्या कोई हमारे पास उपलब्ध नही है ।

श्री दीनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

गोरखपुर मंडल के अन्तर्गत देवरिया जिले में इस असावधानी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

देवरिया जिले में कोई मृत्यु नहीं हुई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

तीन-तीन टीम्स वहां भेजी गई अर्थात् 3 प्रकार से उसकी जांच हुई और उन जांचों से स्पष्ट हैं कि असावधानी हुई। दस्तानों में निश्चित रूप से टिटनेस के किटाणु थे, यह बहुत बड़ी असावधानी हुई, तो इन लोगों के प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि किसके कारण असावधानी हुई। यह जांच इन घटनाओं के बहुत बाद हुई थी। ग्लोव्स में जो पाउडर छिड़का था उसमें कहीं-कहीं टिटनेस के कीटाणु दिखाई दिये। यह कैसे पहुंच गये -पाउडर में गल्ती थी या डालने वालों की। तो सरकार सोच रही है कि इसके संबंध में जांच करा ली जाए कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाली जा सकती है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

केन्द्रीय सरकार की जो टीम गई, उसने दो कारण इसके बताए। एक, वहां सफाई नहीं थी, दूसरा आपरेशन-रूम में धूल आ गई थी, जिससे लोगों को टिटनेस हुआ। तो अस्पताल की सफाई आदि के लिए वहां के इंचार्ज जिम्मेदार हैं। उसकी जिम्मेदारी है कि वह वहां सफाई रखो और वहां धूल न आने दें। तो क्या सरकार ऐसे इंचार्जों को जिम्मेदार समझती है या नहीं ? जबकि केन्द्रीय सरकार का यह स्पष्ट निर्णय है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैंने निवेदन किया कि तीनों रिपोर्टों के आधार पर एक जांच इस बात की हमारा कराने का इरादा है बहुत जल्दी, जिसमें देखा जाए कि किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाली जा सकती है। वहां बहुत बड़ा अभियान चल रहा था, कई-कई जगहों पर चल रहा था, बहुत से डाक्टर्स और कम्पाउन्डर्स काम कर रहे थे। अब कुछ न कुछ हुआ जरूर, कुछ न कुछ गड़ीबड़ी हुई जिसकी वजह से 11 आदमियों की मृत्यु हुई। उसकी जांच 3 बार कराई जा चुकी है, उसमें जो निकला है उसके आधार पर अब इसकी जांच कराई जाएगी कि क्या कोई ऐसा है जिसको इसके लिए पकड़ा जा सके-जिस पर जिम्मेदारी डाली जा सके ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ अस्पताल में किसी व्यक्ति की आपरेशन के बाद दो-तीन घंटे के अन्तर्गत ही मृत्यु हो गयी ? अगर हां.....

श्री उपाध्यक्ष---

इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

गोरखपुर कमिश्नरी में आजमगढ़ आता है। मैं क्या करूं ? मेरी मदद कीजिये इस मामले में ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सूचना सही है, सरकार के पास इस बात की सूचना है, कि आजमगढ़ जिले म आजमगढ़ अस्पताल में जो आपरेशन हुए उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु दो-तीन घट के अन्दर हो गयी ? अगर हां, तो उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या ह ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो कैम्प लगाया गया था केवल उसके सम्बन्ध में सूचना मांगी थी, अस्पतालों में कभी कोई केस नसबन्दी का हुआ होगा इसके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इसी परिवार नियोजन कैम्प के सिलसिले में, परिवार नियोजन कैम्प आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ अस्पताल में हुआ था, इसी पीरियड में 27 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में मृत्यु हुई है ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

आजमगढ़ जिले में कोई मृत्यु की सूचना नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि जिन 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनके आपरेशन कहां-कहां, किन-किन अस्पतालों में या शिविरों में हुए थे, और किन-किन लोगों ने आपरेशन किया था ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

महराजगंज में 2,521 आपरेशन हुए, 6 को टिटनेस हुआ और 5 की मृत्यु हुई, बेलघाट में 562 आपरेशन हुए, 3 को टिटनेस हुआ और 3 की मृत्यु हुई, बांसगांव में 1,646 आपरेशन हुए, 1 को टिटनेस हुआ और 1 की मृत्यु हुई, मधात में 1,214 आपरेशन हुए, 1 को टिटनेस हुआ और 1 की मृत्यु हुई, बड़हलगंज में 1,049 आपरेशन हुए, 1 को टिटनेस हुआ और 1 की मृत्यु हुई। इस तरह से 12 को टिटनेस हुआ और 11 की मृत्यु हुई।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सरकार बतायेगी कि जब कि वह टीम जो इलाहाबाद लैबोरेटरी से इसकी जांच करने के लिये भेजी गयी थी, उसकी रिपोर्ट आ गयी है कि जो पावडर इस्तेमाल किया गया वह दूषित था और उसमें टिटनेस के कीटाणु थे, तो एकदम उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

यह जांच सरकार ने करायी। वैसे उसकी जांच डाइरेक्टर ने की, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के प्रिंसिपल ने की, और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी की। लेकिन हमने फिर भी जांच करायी इलाहाबाद मेडिकल कालेज की लैबोरेटरी के द्वारा आपरेशन सामग्री की काटन, गाज, ड्रेस्ट्रू मैंट्स, दस्तानों, सब चीजों की जांच की गयी। उसमें 4 दस्तानों में डस्टिंग पाउडर में टिटेनस के जर्म्स पाये गये। इस बातका निर्णय नहीं हुआ चूंकि कैम्प काफी दिन पहले बन्द हो गया था कि जर्म्स बाद में धूल से आ गये हों। वैसे गवर्नमेंट आफ इंडिया की टीम स्वयं आयी थी, परिवार नियोजन के अधिकारी स्वयं आये थे, उन्होंने हमारे कैम्प को और उसका इंतजाम देखकर तारीफ की और देख कर यह रिपोर्ट दी कि कैम्प अच्छी तरह से बहुत बढ़िया चल रहा है।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मंत्री बतायंगे कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है उनके परिवारों के सम्बन्ध में कोई सुविधा देने जा रहे हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

उनको एक-एक हजार रुपया दिया गया है ।

श्री बीरेन्द्र वर्मा--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दस्तानों में जिस पाउडर या डस्ट में टिटेनस के कीटाणु मिले वह पाउडर प्रदेश सरकार ने दिया था या भारत सरकार ने दिया था और दूसरे क्या पाउडर का बाद में टेस्ट करवा लिया गया है कि सही था काम के लिए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह रिपोर्ट से अभी मालूम हुआ है कि चार ग्लोब्स थे उनमें डस्टिंग पाउडर जो लगा हुआ था उनमें कुछ कीटाणु पाये गये। वह पाउडर और ग्लोबस में भी लगाया गया था लेकिन उनमें कीटाणु नहीं मिले और यह दुख की बात है कि 11 आदमी मरे। लगभग 63 हजार आपरेशन्स हुए थे और उनमें एक की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिये थी। 11 आदमी टिटेनस से मरे। उसके लिये एंटी टिटेनस का इंजेक्शन दिया जाता है लेकिन भारत सरकार ने आदेश भेजे थे कि एंटी टिटेनस इंजेक्शन्स न दिये जांय बल्कि सल्फा ट्रीटमेंट दे दिया जाय। फिर भी टिटेनस हो गया। यह बीमारी ऐसी है कि आलपिन अथवा कील भी लग जाय और उसकी उपेक्षा हो जाय तो टिटेनस हो सकता है और फिर जान नहीं बच सकती। इसकी हम जांच करायेंगे कि यह पाउडर लगाया गया तो पाउडर दोषी था अथवा जिन ग्लोब्स में लगाया गया उनमें टिटेनस के जर्म्स आ गये थे और इसके लिये कौन जिम्मेदार हो सकता है। क्योंकि अब आधार मिल गया है जांच के बाद उसके लिये कौन जिम्मेदार है इसकी अब हम जांच कराने जा रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या व्यक्तियों का इलाज भी भारत सरकार से पूछ कर किया जायगा ? एंटी टिटेनस इंजेक्शन लगने चाहिये अथवा नहीं लगने चाहिये इसके लिये भारत सरकार गाइड करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, एक्सपर्ट्स की राय से काम होगा। यह एक्सपर्ट्स की ओपीनियन है।

श्री रामधारी शास्त्री--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि गोरखपुर में 6 सेंटर चलाये गये और प्रत्येक सेंटर में एक आदमी की मृत्यु हुई लेकिन मेरी सूचना के अनुसार प्रत्येक सेंटर में गोरखपुर में असावधानी बरती गयी जैसा कि जिलाधीश ने प्रेस स्टेटमेंट में भी कहा था तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री तत्काल गोरखपुर के उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जो इसके लिये जिम्मेदार थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कार्यवाही की जाती है जांच हो जाने के बाद। जांच हम कराने जा रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार इसकी जांच सी० बी० आई० के जरिये करायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सी० बी० आई० की इंक्वायरी की इसमें कोई जरूरत नहीं है।

सीतापुर जिले के सत्तारूढ़ कांग्रेसी विधायक श्री राम लाल राही की भूख हड़ताल

**3--श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त, (जिला सीतापुर)--तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के सत्ता कांग्रेस के एक विधायक थाना तालगांव की पुलिस के खिलाफ दिनांक 13 मार्च, 1972 से जिलाधीश के कार्यालय के सामने अनशन कर रहे है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ?

गृह उपमंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)---

सत्तारुढ़ कांग्रेस के जिला सीतापुर के विधायक श्री रामलाल राही दिनांक 13-3-72 की दोपहर से जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर के कार्यालय के समक्ष भूख-हड़ताल पर बैठे थे । यह भूख-हड़ताल उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ थाना तालगांव की पुलिस द्वारा कथित अन्याय व अत्याचार तथा अभद्र व्यवहार के विरोध में की थी। मामले की एक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का आश्वासन दिये जाने पर उन्होंने 15-3-72 को भूख-हड़ताल समाप्त कर दी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

यह एक विशेष बात है कि सत्तारूढ़ दल का विधायक अनशन पर बैठे। मैं यह जानना चाहता हूं कि विधायक महोदय की क्या क्या शिकायतें थीं जिनको उन्होंने जिलाधीश महोदय को लिख कर दिया होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

गाली देना, अभद्र व्यवहार करना तथा इलाके में पुलिस द्वारा अन्याय किया जाना । इसके विरुद्ध उन्होंने भूख-हड़ताल की थी । उसके लिये मजिस्टीरियल इंक्वारी बिठा दी गयी है और इस पर उन्होंने भूख-हड़ताल तोड़ दी ।

श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां की पुलिस ने क्या अभद्र व्यवहार किया था जिससे कि एक विधायक को अनशन करने की नौबत आई ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

मान्यवर, ऐसा कहा जाता है कि उनके ससुर और रामलाल राही के साढ़ू ये दोनों व्यक्ति एक मुकदमें में गवाह थे । पुलिस ने इन व्यक्तियों को गाली दी और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया । बताया जाता है कि इनकी गाल पर थप्पड़ भी मारा ।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी मुख्य-मुख्य, मांगे क्या थीं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

उनकी मुख्य मांग यह थी कि इन पुलिस के सिपाहियों को लाइन हाजिर किया जाय । इस सम्बन्ध में दो सिपाहियों और दो सब-इन्सपेक्टरों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और मामले की जांच हो रही है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी एस०पी० ने इसकी जांच क्यों नहीं की ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

डिप्टी एस०पी० के सुपुर्द यह जांच की गई थी किन्तु उसके बाद मजिस्टीरियल इन्क्वायरी के आदेश हो गये । इसलियें वह जांच हो रही है ।

श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या माननीय मंत्री जी एक ऐसी नीति का वक्तव्य देंगे जिससे प्रदेश के सभी स्थानों पर हो रहे पुलिस के अत्याचारों को समाप्त किया जा सक । क्या मंत्री जी इस तरह का निर्देश देंगे कि भविष्य में गवाहों को दबाया और सताया न जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य यदि कहीं किसी गवाही को दबाने और सताने की सूचना देंगे तो उस पर अवश्य ही कार्यवाही कर ली जायेगी ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि इसकी इन्क्वायरी हो रही है । क्या मंत्री जी स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इस बात पर विचार करेंगे कि इसकी इन्क्वायरी विजिलेन्स से करायी जाय ताकि इस प्रकार का मामला जिसमें कि हमारे एक विधायक को अनशन करने तक की नौबत आ गई, वह समाप्त हो सके ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मजिस्टीरियल इन्क्वायरी तो बहुत बड़ी होती है और वह हो रही है । इस मामले में किसी विजिलेंस की जरूरत नहीं । इस संबंध में दो दारोगा और दो सिपाहियों के खिलाफ शिकायत थी, उनको लाइन हाजिर किया जा चुका है । बाकी रिपोर्ट के आने के बाद जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनके ऊपर कार्यवाही की जायेगी । विजिलेंस की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब किसी ट्रांसफर वगैरह में किसी एम०एल०ए० का हस्तक्षेप होता है ।

(प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर)

श्री रामधारी शास्त्री—

इसमें अभी हम लोग और प्रश्न पूछना चाहते थे .....

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप इस मामले में ज्यादा समय चाहते हों तो दूसरा रास्ता ढूंढ़ सकते हैं ।

जिला परिषदों के चुनाव

**4—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषदों के चुनाव कब होने जा रहे हैं और उनका कार्य-क्रम सरकार ने क्या निश्चित किया है ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

गांव पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों के सामान्य निर्वाचनों के उपरान्त जिला परिषदों के निर्वाचन कराये जायेंगे । निर्वाचन कार्यक्रम अभी विचाराधीन है ।

श्री सजीवन लाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र समितियों के चुनाव का क्या कार्यक्रम है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव का ही कार्यक्रम बना है, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव का कार्यक्रम अभी विचाराधीन है ।

श्री सजीवन लाल—

क्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने जा रहे हैं उनका कार्यक्रम क्या है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

ग्राम पंचायतों के चुनाव का शुभारम्भ 24 अप्रैल को होगा और 30 जून तक पूर्णतया पंचायतों का गठन हो जायगा ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों का कार्यक्रम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

इन पंचायतों के चुनाव हो जाने के बाद क्षेत्र समितियों के चुनाव कराये जायेंग और वह पूर्ण होने पर जिला परिषदों का चुनाव करा दिया जायगा ।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव इंडायरेक्ट के बजाय डायरेक्ट पद्धति द्वारा कराया जाय?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जो प्राविधान अभी तक जिला परिषदों का है उसमें संशोधन बिना किये उसी के अनुसार चुनाव कराये जायेंगे ।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

जब पंचायतों के चुनाव की तिथि निश्चित हुयी है तो इसका नोटिफिकेशन कब तक हो जायगा ? रेडियो पर भी अनाउन्स किया गया था तो इस संबंध में क्या नोटिफिकेशन करा देंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, पंचायतों के चुनाव का नोटिफिकेशन 24 अप्रैल को होगा और 25 अप्रैल से नामिनेशन होंगे ।

तारांकित प्रश्न

राज्य कृषि औद्योगिक निगम द्वारा फल संरक्षण इकाइयों की स्थापना

1---श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम ने पर्वतीय जिलों में किन-किन स्थानों पर सचल पंपिंग केन्द्र तथा फल संरक्षण के छोटे व बड़े प्लांट लगाने की योजना बनाई है ? क्या स्थानों का सर्वे तथा चयन करने से पहिले कृषि उद्योग निगम ने जन प्रतिनिधियों व क्षेत्र समितियों की तथा पर्वतीय फल विकास परिषद् की राय ले ली थी ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)---

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम द्वारा पर्वतीय जिलों में सचल पम्पिंग केन्द्र की स्थापना की योजना नहीं है । निगम द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर फल संरक्षण की छोटी इकाइयां लगाने का निर्णय लिया गया है:---

कोसी, जिला अल्मोड़ा भुवाली, जिला नैनीताल हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।

इन स्थानों का सर्वेक्षण तथा चयन करने के पूर्व निगम ने जन प्रतिनिधियों व क्षेत्र के अधिकारीगण तथा पर्वतीय फल विकास परिषद् के सदस्यों से राय ले ली है ।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जन-प्रतिनिधियो से कृषि उद्योग निगम ने राय ली और पर्वतीय फल विकास परिषद् के किन किन लोगों से राय ली ?

क्या 11–12 दिसम्बर को मुकर्जी कमीशन द्वारा बुलायी गयी इसी उद्देश्य की मीटिंग में कृषि उद्योग निगम के कोई प्रतिनिधि हाजिर थे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय––

व्यक्तिगत रूप से तो जन प्रतिनिधियों से बात चीत नहीं हुई है लेकिन समय-समय पर जो लोग मिलते रहे उनसे विशेषतया राय लेते गये ।

श्री इंद्रलाल (जिला नैनीताल)––

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जिला नैनीताल की रामगढ़ फल फैक्टरी द्वारा ही जब उनका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है तो इसका क्या आधार है कि जो निगम स्थापित किये जायेंगे और क्या आशा की जा सकती है कि वह पर्वतीय फलों को अच्छी तरह से ले सकें ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय––

हम तो यही आशा करते हैं कि यह फैक्टरी जो लग रही हैं वह काम करेंगी ।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)––

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि कुमायूं के रानीखेत, भुवाली आदि में ही निगम की योजनायें बनायी गयी हैं, क्या गढ़वाल मंडल में भी इस प्रकार की योजना बनायेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय––

कोटद्वार और धरासू में भी यह छोटी फैक्टरी लगाने का प्रश्न विचाराधीन है इस समय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

क्य माननीय मंत्री जी देहरादून की चकराता तहसील में भी फल संरक्षण प्लांट लगाने पर विचार करेंगे, क्योंकि फल पट्टी योजना चालू है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय––

ऋषिकेश के पास मुनि की रेती में यह चीज विचाराधीन है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

मैं व्यवस्था के प्रश्न पर कह रहा हूं । चकराता और मुनि की रेती के बीच में 50 मील का अन्तर है और मुनि की रेती की बात कर रहे हैं जबकि प्रश्न चकराता का है ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय––

वहां की योजना विचाराधीन नहीं है ।

पर्वतीय फल विकास परिषद् के शिष्ट मण्डल का ज्ञापन

*2––श्री डूंगरसिंह बिष्ट––

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29 अगस्त, 1971 को लखनऊ में फल प्रदर्शनी के अवसर पर पर्वतीय फल विकास परिषद् के तत्वावधान में एक शिष्ट मंडल मुख्य मंत्री व कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और वन मंत्री से भेंट कर पर्वतीय क्षेत्र के फलों की समस्याओं को हल करने हेतु आठ सूत्री ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जी हां ।

कथित ज्ञापन के विषय में सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है:—

(क) राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा कोसी (अल्मोड़ा) भुवाली (नैनीताल) तथा हल्द्वानी (नैनीताल) में फल संरक्षण इकाइयां लगाने की तथा हल्द्वानी में एक फल की पेटियां बनाने का कारखाना स्थापित करने की योजना है । पर्वतीय विकास निगम भी, पल्पिंग इकाइयां तथा साइडर फैक्टरियां खोलने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

(ख) परिवहन की व्यवस्था करने के लिए रेलवे अधिकारियों की सहायता से आउट एजेंसियां स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

(ग) फल उत्पादन संबंधी महत्वपूर्ण योजना वर्तमान मोटर मार्गों के किनारे फल पट्टियां स्थापित करने की है ।

(घ) फल की फसलों का बीमा कराने की अभी कोई योजना नहीं बनी है ।

(ङ) परिषद् की अन्य मांगे शासन के विचाराधीन हैं और उन पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

श्रीमन्, मैं पहले प्रश्न के संबंध में जानना चाहता था, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि कृषि उद्योग निगम ने वहां जन प्रतिनिधियों से राय नहीं ली तो क्या अब कृषि उद्योग निगम तथा फल विकास परिषद् और वहां के जन प्रतिनिधि मिल कर इस स्कीम को बनायेंगे ?

इस प्रश्न के संबंध में कहना चाहता हूं कि कृषि उद्योग निगम ने रामगढ़ में एक फैक्टरी ली थी जो अयोग्य सिद्ध हुआ है और उसने जनता का सहयोग प्राप्त नहीं किया तो क्या मंत्री जी कृषि उद्योग निगम के बजाय सरकार द्वारा इस प्लांट को लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इसकी स्थापना यू०पी० एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने की है और मैं इसको नहीं मानता कि वहां पर इसने काम नहीं किया और हम आशा करते है कि जो निगम की स्थापना करने जा रहे हैं वह सफल होगा ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रानीखेत में पंपिंग सेट के लगाने की योजना में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

इस पर तत्काल कार्यवाही हो रही है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतोयेंगे कि जो छोटे-बड़े प्लांट लगाये जा रहे हैं उन पर अलग-अलग क्या लागत लगेगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

यह बहुत डिटेल की बात है । अलग-अलग लागत पड़ेगी ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन स्थानों पर इसके खोलने की योजना ह ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

यह कोसी जिला अल्मोड़ा, भुवाली जिला नैनीताल तथा हल्द्वानी जिला नैनीताल में खोलने की योजना है।

कृषि निदेशालय के तिलहन सुपरवाइजरों की पदोन्नति

*3—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि निदेशालय में वर्ग 4 एवं 5 के विभागीय तिलहन सुपरवाइजर जिनका पे-स्केल अत्यधिक कम है, की कृषि सेवा वर्ग 3 के पद पर पदोन्नति करने का प्रश्न पिछले कई वर्षों से विचाराधीन है? यदि हां, तो इसमें निर्णय लेने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है और निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जी हां । कृषि निदेशक ने इस श्रेणी के कर्मचारियों को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 में पदोन्नति देने का जो प्रस्ताव भेजा था उसको शासन ने सिद्धांततः मान लिया है । इसके लिये अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन करने संबंधी कार्यवाही लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जा रही हैं ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कृषि सेवा वर्ग 3 में पदोन्नति करने का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को कब भेजा गया, किस तारीख को स्वीकार हुआ और कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

यह प्रस्ताव 4 अगस्त, 67 को आया था और 29-11-69 को लोक सेवा आयोग को भेजा गया था ।

श्री रामगोपाल संड—

आयोग के भेजे हुये एक साल हो गया है तो क्या वे बतायेंगे कि कब तक उत्तर आयेगा और शासन कब कार्यवाही करेगा ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

पुनः 14 दिसम्बर को पत्र भेजा गया है कि इसमें शीघ्रता करें ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इससे कितने लोग लाभान्वित हुये और वे कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बहुत तफसील का सवाल है ।

*4—श्री निन्यानन्द स्वामी—

(2रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

प्रदेश में पशुओं का बीमा

*5—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में पशुओं का बीमा करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना कब से लागू की जायेगी और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जी नहीं, प्रश्न नही उठता।

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन्, यह एक नीतिगत प्रश्न है। चाहे वह फसलों का बीमा हो अथवा पशुओं का हो, इससे करोड़ों किसान प्रभावित होते हैं, इसलिये कृषि मंत्री के बजाय माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई भी उत्तर दे, एक ही बात है।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पशुओं और फसलों का बीमा कराने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

इसमें जानवरों का सर्वेक्षण करना होगा, इस पर होने वाले व्यय के बारे में अन्दाजा लगाना होगा और भी बहुत सी कठिनाइयां है, इसलिये इस समय इसको जारी नही किया जा रहा है।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस प्रकार से आदमियों का बीमा डाक्टरी जांच के बाद हो जाता है उसी तरह से पशुओं के डाक्टर भी आपके पास हैं, उनसे जांच करा कर पशुओं का बीमा कराने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

इस पर भारत सरकार विचार कर रही है। इंडियन कौंसिल आफ एग्री० रिसर्च की ओर से मेरठ में सर्वे भी कराया गया था। इस प्रकार भारत सरकार इसको देख रही है।

श्री कल्याण सिंह—

क्या प्रदेशीय सरकार ने फसलों और पशुओं का बीमा करने के बारे में भारत सरकार को अपनी राय दी है?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

भारत सरकार ने प्रदेश में जो सर्वेक्षण कराया था, उसकी रिपोर्ट भेज दी गयी है।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज समिति का गठन

*6—श्री कल्याण सिंह—

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंचायती राज को सफलता प्रदान करने की दृष्टि से ग्राम सभाओं के अधिकार एवं वित्तीय साधन बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज समिति का गठन कर दिया है जिससे गांव सभाओं से अधिकार तथा वित्तीय साधन बढ़ाने के प्रश्न पर सुझाव देने की अपेक्षा की गई है । उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर गांव सभाओं के अधिकारों और वित्तीय साधनों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक इस विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत हो जायगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

7 महीने के अन्दर समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रार्थना की गयी है ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या शासन ने राजस्व का कोई भाग ग्राम सभाओं को देने का निर्णय ले लिया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

यह प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है ।

ग्राम पनेर, अल्मोड़ा की पेयजल योजना

*7—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र 4 जनवरी, 1972 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर के सन्दर्भ में जिला अल्मोड़ा के ग्राम पनेर गांव आदि की पेयजल योजना स्वीकृत हो गई है? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

जिला अल्मोड़ा के ग्राम पनेरगांव की पेयजल योजना बन चुकी है। योजना के लिये धन स्वीकृत करने हेतु जिला परिषद् अल्मोड़ा से संकल्प मांगा गया है उसकी प्राप्ति पर और धन अवमुक्त होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे उनके विभाग की एक नीति रही है कि जितनी भी पानी की योजनायें स्वीकृत होती हैं वे पहले वहां की जिला परिषद् द्वारा स्वीकृत की जाती हैं और फिर वे विभाग को जाती हैं, तो क्या कारण है कि अल्मोड़ा जिला परिषद् को अब लिखा जा रहा है कि इस योजना को कार्यान्वित किया जाय ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

योजना को कार्यान्वित करने के लिये नहीं लिखा बल्कि जहां कहीं भी पेयजल की कठिनाई होती है उसकी योजना बनाकर अनुमानित लागत की सूचना देकर स्वीकृति प्राप्त की जाती है जिसके संबंध में अल्मोड़ा को जिलाधिकारी को लिखा गया है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

संकल्प पहले होता है और फिर योजना आती है तो इस विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

वह तो जैसे ही योजना बनी और उसकी लागत का अनुमान किया गया तभी लिखा गया कि इतना मूल्य योजना का होगा, उसको स्वीकृत के लिये उनको लिखा गया है और उसी पर पुनः स्मृतिपत्र भेजा गया है ।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना

*8—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मन्त्री यह बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई और सन् 1970-71 में (15 मार्च, 1972 तक) इसकी कितनी बैठकें हुईं और उनमें क्या कार्य हुआ ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

वर्तमान उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना 8-2-71 को हुई।

सन् 1970-71 में (15 मार्च, 1972 तक) इसकी कोई बैठक न हो सकी।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

उत्तर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना 8-2-1971 को हुई लेकिन मेरी जानकारी है कि यह बोर्ड केवल 2 साल के लिये स्थापित किया गया है जिसको एक वर्ष हो गया है और अभी उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह बोर्ड क्या करेगा और उसका कार्यक्षेत्र क्या था और वह अपना कार्य कब पूरा करेगा जबकि उसके 2 साल पूरे होने वाले हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

8 फरवरी, 1971 को जिस बोर्ड का गठन हुआ था उस समय पहला मंत्रि-मंडल था और जब नया मंत्रि-मंडल बना तो इसका नोटिफिकेशन 3-2-1972 को किया गया और उसकी बैठक की तारीख भी प्रस्तावित की गई, अब उसकी बैठक 22-23 मई को होगी।

नगर अभियन्ता सामान्य, लखनऊ के स्थानान्तरण का स्थगन

*9—श्री सुखपाल पांडेय, श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ के नगर अभियन्ता (सामान्य) जो कि पहले गम्भीर आरोपों के कारण नगरपालिका मुरादाबाद से निलम्बित भी हो चुके हैं और जिनको प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जा चुकी है, उनका ट्रांसफर गम्भीर शिकायतों एवं मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ की सिफारिश के आधार पर दिनांक 16 जुलाई, 1971 को आगरा किया गया है और क्या उनको पुनः लखनऊ में रोका जा रहा है ? अगर हां, तो किस कारण से ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

लखनऊ नगरमहापालिका के तत्कालीन नगर अभियन्ता (सामान्य) का स्थानान्तर मुख्य नगर-अधिकारी लखनऊ की सिफारिश पर 16 जुलाई, 1971 को आगरा किया गया था। परन्तु बाद में यह स्थानान्तरण उनकी परिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था।

श्री सुखपाल पांडेय—

मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है जिसमें मैंने पूछा था कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नगरमहापालिका लखनऊ के नगर अभियन्ता सामान्य जोकि पहले गम्भीर आरोपों के कारण नगरपालिका मुरादाबाद से निलम्बित भी हो चुके हैं, और जिनकी प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जा चुकी है, उनका ट्रान्सफर गम्भीर शिकायतों एवं मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ की सिफारिश के आधार पर दिनांक 16 जुलाई, 1971 को आगरा किया गया है...

श्री उपाध्यक्ष--

वह प्रश्न नहीं है...

श्री सुखपाल पांडेय--

यह बताया जाय कि उनके खिलाफ क्या आरोप थे और.....

श्री उपाध्यक्ष--

वह प्रश्न नहीं है, वह तो स्पष्टीकरण के लिये है, प्रश्न केवल यह है कि क्या उनको पुनः लखनऊ में रोका जा रहा है ।

श्री सुखपाल पांडेय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ ने उनके खिलाफ क्या गम्भीर आरोप लगाये थे और उनके पत्र में क्या-क्या था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ ने कोई गम्भीर आरोप नहीं लगाये बल्कि कुछ अन्य लोगों की शिकायतें उनके खिलाफ आई थीं जिनकी कि जांच की जा रही है ।

श्री रामकरन सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उनका स्थानान्तरण हुआ, उसके क्या आधार हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

उनका स्थानान्तरण मुख्य नगर अधिकारी के कहने पर किया गया लेकिन चूंकि उनके स्थानान्तरण के आदेश बिलम्ब से पहुंचे जबकि उनके बच्चों का दाखला हो चुका था यानी 16 जुलाई के बाद तो उसके कारण आदेश स्थगित कर दिया गया है ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

क्या स्थानान्तरण रोकने के लिये उन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

स्थानान्तरण रोका नहीं गया बल्कि स्थगित किया गया है, वे स्वयं मिले थे और उनके बच्चों के स्कूलों में प्रवेश हो जाने के कारण, कुछ और कठिनाईयां थीं ।

श्री सुखपाल पांडेय--

उनके खिलाफ अन्य लोगों ने क्या-क्या आरोप लगाये थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न दूसरा है । आप इस प्रश्न के बारे में ही पूरक प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इससे यह नहीं निकलता है ।

श्री सुखपाल पांडेय--

मुख्य नगर अधिकारी ने जो पत्र लिखा था वह क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

मुख्य नगर अधिकारी ने उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाये थे , शिकायत तो कुछ और लोगों ने की है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न दूसरा है। ये कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं थी उनकी।

श्री सुखपाल पांडेय---

श्रीमन्, इस प्रश्न को स्थगित कर दें दूसरे दिन के लिए।

श्री उपाध्यक्ष---

जो चीज आप कहना चाहते हैं, वह दूसरी चीज है, आपने इसको ऐसा लिखा है कि जो प्रश्न किया है, वह इससे उठता नहीं है।

*10---श्री नौनिहाल सिंह---

(7 वें मंगलवार के लिये स्थगित।)

होम्योपैथिक कालेज, इलाहाबाद के प्रिन्सपल द्वारा एक छात्रा का कथित शील भंग किये जाने का आरोप

*11---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 1971 को एक छात्रा का कथित शील भंग करने के आरोप की जांच की गई या नहीं? यदि हां, तो क्या आरोप सही पाया गया ? यदि हां, तो प्रिंसिपल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

इलाहाबाद मेडिकल कालेज नामक कोई संस्था नहीं है अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलायेंगे कि इलाहाबाद के होम्योपैथिक कालेज के प्रिंसिपिल के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने एक छात्रा का शील भंग किया है, यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

इस प्रश्न में होम्योपैथिक कालेज का कोई जिक्र नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या आप यह कह कर इसे टालना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

इलाहाबाद मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल का प्रश्न था, जिसका जवाब उन्होंने दे दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, ये तो बिल्कुल एक टैक्नीकल बात से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं आपसे एक संरक्षण चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह उनको मालूम है कि इलाहाबाद के होम्योपैथिक कालेज के प्रिंसिपल के ऊपर आरोप है ?

श्री उपाध्यक्ष---

दूसरा प्रश्न आप कर दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, यह भी तो मेडिकल कालेज है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह स्पेसिफिक होना चाहिये । विशिष्ट किसी चीज के बारे में सवाल होना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मुझे मालूम है । इतना तो उत्तर दिलवा दीजिये ?

श्री रामधारी शास्त्री---

श्रीमन्, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में खुद मंत्री जी ने कहा है कि "टिटनेस से पहली मृत्यु की सूचना मिलते ही राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक एवं प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, को गोरखपुर मंडल में हुए कैम्पों में जांच करने के लिये भेजा । तो इस उत्तर से स्पष्ट है कि इस प्रकार का मेडिकल कालेज इलाहाबाद में है । तो यह कहना कि इस नाम की कोई संस्था इलाहाबाद में नहीं है, कहां तक उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह इससे सम्बद्ध नहीं है । जो सवाल है वह मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के बारे में है जिसका जबाव मनानीय मंत्री जी ने दे दिया है ।

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एक संस्था है, उसका नाम कुछ भी हो । लेकिन जो प्रश्न किया है माननीय नित्यानन्द स्वामी ने वह होम्योपैथिक कालेज के बारे में किया है । आप इसे स्वीकार करेंगे कि वह पूरा प्रश्न साफ होना चाहिये था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

यह बात सही है कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज इन्होंने लिखा और इस नाम का कोई मेडिकल कालेज नहीं है । लेकिन जितने मेडिकल कालेज वहां हैं वे सब इन्हीं के अधीन हैं और यह इतने महत्व का प्रश्न है जो कि अखबारों में भी निकल चुका है.....

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें दो बातें हैं । इलाहाबाद मेडिकल कालेज और प्रिंसिपल मेडिकल कालेज ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अगर इन्होंने प्रश्न कर दिया कि ऐसी घटना हुई है मेडिकल कालेज में तो और भी जो होम्योपैथिक अथवा आयुर्वेदिक कालेज हैं वे भी तो उन्हीं से संबंधित हैं । इतना अधिक महत्व का प्रश्न पूछा गया है और ये टेक्निकेलिटी की शरण लेकर छूट नहीं सकते हैं । जो सवाल पूछा गया है क्या उसकी असलियत इनको मालूम नहीं है ? क्या इनकी नालेज में वह नहीं है ? यह टेकनीकेलिटी की आड़ लेकर उससे बच रहे हैं, क्या यह उचित है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जिस मेडिकल कालेज का श्री रामधारी शास्त्री जी न जिक्र किया है उसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आप देखें कि अखबारों में यह हेड लाइन्स में छपा है । क्या माननीय मंत्री जी को विदित नहीं है कि होम्योपैथिक कालेज में ऐसी घटना हुई है ? यह इसका उत्तर दे दें सदन के सामने, तो मालूम हो जायेगा कि सरकार क्या कर रही है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह पब्लिक के साथ अन्याय है। अगर इसका उत्तर नहीं मिला तो।

श्री उपाध्यक्ष--

जैसा कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा यह घटना इससे सम्बद्ध नहीं है, लेकिन यह चीज हुई। ऐसी संस्था तो नहीं है लेकिन इस संस्था में ऐसी घटना हुई है उसके बारे में सूचना यह है। इसको मैं स्थगित कर देता हूं इस संशोधन के साथ कि माननीय मंत्री जी इसमें जो भी कालेज हो खवाह वह मेडिकल कालेज हो या होमियोपैथिक कालेज हो, उसका उत्तर दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मंत्री जी को इसी में प्रसन्नता है कि सदन का समय नष्ट हो टैक्निकलिटी की शरण लेकर।

श्री रामकिशोर शुक्ल---

प्रश्न के अन्तर्गत, मान्यवर मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के आचरण के विषय में लिखा गया है जो उचित नहीं प्रतीत होता है। क्या मेडिकल कालेज का सम्बन्ध यहां होम्योपैथिक कालेज लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने उसके लिये कह दिया है।

नजीबाबाद, बिजनौर में मलेरिया विभाग द्वारा डी०डी०टी० का गोलमाल

*12---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नजीबाबाद जिला बिजनौर में अगस्त 1971 में मलेरिया विभाग द्वारा डी० डी० टी० के भारी मात्रा में गोल-माल किये जाने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई? यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

जी हां। मामले में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने रुपये की डी० डी० टी० का गोलमाल पाया गया है। और सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

डी० डी० टी० की 7 पेटियों में दो में बालू और रेत भरा हुआ पाया गया था। और जिसके लिये जो जिम्मेदार अधिकारी थे जिनका नाम श्री ओंकार सिंह गुप्ता हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही चल रही है, तथा श्री वी० डी० सिंह के विरुद्ध भी कार्यवाही चल रही है।

*13-14---श्री हुकुम सिंह परिहार---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

उझानी विकास खण्ड, बदायूं में लघु किसान विकास योजना को आरम्भ करने की संस्तुति

*15----श्री कृष्ण स्वरुप वैश्य (जिला बदायूं)---

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लघु किसान विकास योजना, बदायूं जिले के किस-किस विकास खण्ड में लागू है और अब तक कितने लघु किसान उपरोक्त योजना में सम्मिलित हो चुके हैं तथा क्या जिलाधिकारी बदायूं ने उक्त योजना को उझयानी विकास खण्ड में भी प्रारम्भ करने की संस्तुति की है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

लघु कृषक विकास योजना बदायूं जिले के आसफपुर, बिसौली, गुन्नौर, सहसवान, बिनावर वजीरगंज और अम्बियापुर विकास खंडों में लागू हैं। इन सातों विकास खंडों में 52029 लघु कृषक योजना के अन्तर्गत चुने गए हैं।

जिलाधिकारी बदायूं ने अपनी उझानी विकास खंड को परियोजना में सम्मिलित प्रस्ताव शासन को भेजा है। यह प्रस्ताव भारत सरकार को उनकी स्वीकृति हेतु भेजा गया है उनका उत्तर अपेक्षित है।

फैजाबाद जिले में स्थानीय सरकारी चिकित्सक

*16---श्री जगदम्बा प्रसाद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत कितने सरकारी चिकित्सक ऐसे हैं जो कि फैजाबाद जनपद के ही निवासी हैं? यदि हां, तो सरकारी नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारी अपने निवासी जिले में नहीं रह सकता तो सरकारी नियमों के उल्लंघन का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

तीन।

इनकी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण इन्हें फैजाबाद में नियुक्त किया गया अथवा रहने दिया गया है।

मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर के सरपंचों एवं ग्राम प्रधानों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*17---श्री सिया राम (जिला एटा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सुल्तानपुर के तहसील मुसाफिरखाना के किस-किस सरपंच और ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 1 जनवरी, 1972 से 25 फरवरी, 1972 तक प्राप्त हुए? क्या सरकार को तथा ग्राम गुन्नार की जनता द्वारा भी कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसका क्या तथ्य है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

1 जनवरी, 1972 से 25 फरवरी, 1972 के बीच निम्नलिखित सरपंच व ग्राम प्रधानों के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे---

(1) श्री जमील अहमद, प्रधान गांव सभा देव कली, परगना जगदीशपुर।

(2) श्री अब्दुल समद, प्रधान इसौली।

(3) श्री अजीज खां, ग्राम प्रधान बगाही, परगना जगदीशपुर।

(4) श्री गुलाम हबीब, ग्राम प्रधान गांव सभा रसूलपुर, परगना जगदीशपुर।

(5) श्री भोलानाथ ग्राम प्रधान अनरवरा, मुसाफिरखाना ।

(6) श्री अब्दुल रसीद, प्रधान गांव सभा चकमूसी, परगना इसौली।

गुन्नौर के प्रधान के विरुद्ध दिनांक 4 अक्तूबर, 1971 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि प्रधान ने अपने भाई के नाम पट्टा कर दिया था। जांच करने पर यह आरोप गलत पाया गया।

*18—श्री इन्द्र लाल—

[3रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*19—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

*20—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

तकाबी अमीन के निलम्बन अवधि का वेतन

*21—श्री इन्द्र लाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 1972 को नत्थी (ग) में प्रश्न संख्या 23–24 के उत्तर के क्रम में क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जब यह सावित हो चुका है कि तकावी अमीन ने कोई स्थायी गबन नहीं किया तो इस निलम्बन अवधि का भुगतान तकावी अमीन को कहां से कब और कितनी धनराशि का किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीता राम—

श्री गंगा राम, तकावी अमीन के विरुद्ध अस्थायी गबन रुपया 525.32 पैसे का मामला सिद्ध हो चुका है। अतः उन्हें केवल निलम्बन अवधि के आधे वेतन का ही भुगतान किया गया । इसके अनुसार उन्हें संलग्न विवरण पत्र में उल्लिखित तिथियों को देय बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

[देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 359 पर ।]

*22—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

फैजाबाद मण्डल के विकास क्षेत्रों में लक्ष्य से अधिक सिंचाई क्षमता में वृद्धि

*23—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मंडल के किन विकास क्षेत्रों ने 1968-69 में अल्प सिंचाई कार्यों के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त की थी? इनमें से कौन-कौन से विकास क्षेत्रों में उक्त वर्ष में 150 से अधिक नलकूप तथा 135 से अधिक पम्पिंग सेट लगाये गये थे?

डाक्टर सीता राम—

वर्ष 1968-69 में फैजाबाद मण्डल के विकास क्षेत्र बसखारी, अकबरपुर, सोहावल, जहांगीरगंज, मिलकीपुर, बीकापुर, जलालपुर, भीटी, मसोधा, झझरी, मनकापुर, बमनजोत, छपिया, हलधरमऊ, इकौना, गिलौला, रिसिया, भेदया, दोस्तपुर, लम्भुआ, बल्दीराय, गौरा, लक्षमणपुर, मंगरोरा, बिहार बाबागज, सदर, कालाकांकर, बंकी, फतेहपुर, रामनगर तथा दरियाबाद ने सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त की है। उक्त वर्ष में उक्त मंडल के केवल बाराबंकी जनपद के विकास क्षेत्र बंकी में 150 से अधिक नलकूप तथा बाराबंकी जनपद के विकास क्षेत्र बंकी और फतेहपुर में 135 से अधिक पम्पिग सेट लगाये गये हैं।

*24–25—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न 13–14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगरपालिका बदायूं के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

*26—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को पता है कि कई महीनों का वेतन न मिलने के कारण सन् 1967 से अब तक का महंगाई भत्ता न दिये जाने के कारण और बर्दियां उपलब्ध न कराने के कारण जनवरी, 1972 में बदायूं नगरपालिका के लगभग 200 सफाई मजदूरों को हड़ताल और सांकेतिक भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा था ? यदि हां, तो सरकार ने उनका बकाया वेतन, भत्ता व वर्दियां दिलाने केसंबंध में क्या कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

नगरपालिका, बदायूं के सफाई कर्मचारियों ने माह जनवरी, 1972 में न कोई हड़ताल की और न ही सांकेतिक भूख हड़ताल। इन सफाई कर्मचारियों को जनवरी, 1972 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है। माह फरवरी का वेतन जो कि मार्च में देय है, के इसी माह में भुगतान हेतु पालिका कार्यवाही कर रही है। महंगाई भत्ता भी जनवरी, 1972 से देने के लिये पालिका प्रयत्नशील है। वर्ष 1970-71 की वर्दी दी जा चुकी है वर्ष 1971–72 की ठंडी वर्दी भी शीघ्र देने हेतु पालिका द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

*27—श्री अन्नतराम जायसवाल, चौ० रामपाल सिंह यादव—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित।]

*28—श्री भगेलू सिंह—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित।]

*29—श्री मंजूर अहमद—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

नगरपालिका अलीगढ़ का अतिक्रमण (सुपरशेसन)

1—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ नगरपालिका कब से सुपरसीड है और कब तक इसका चुनाव कराने का इरादा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

नगरपालिका अलीगढ़ दिनांक 14 दिसम्बर, 1962 से अतिक्रमित है। नगरपालिका अलीगढ़ में निर्वाचन करने की कार्यवाही यथासमय की जायगी।

2—श्री नेपाल सिंह—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित]

सामुदायिक विकास विभाग के राजपत्रित अधिकारीगण का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

3—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतलायेंगे कि सामुदायिक विकास विभाग में ऐसे कितने राजपत्रित अधिकारीगण (पद व नाम सहित) दिनाक 31 जनवरी, 1972 को थे जिनको अपने पद पर कार्य करते हुये एक वर्ष से अधिक हो गया था और नियमानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा उनका अनुमोदन कब तक नहीं कराय गया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सामुदायिक विकास विभाग में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना संलग्न है। इनमें से साधारण वेतनक्रम के स्थानापन्न क्षेत्र विकास अधिकारियों के बारे में दिनांक 15 सितम्बर, 1971 तक की सूचना दी जा रही है तथा प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (साधारण वेतनक्रम) से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 360–363 पर)

विधान पुस्तकालय समिति (1971–72) का प्रतिवेदन

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

माननीय, मैं पुस्तकालय समिति (1971-72) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। सदन में प्रस्तुत करने के हेतु इस समिति का यह प्रथम प्रतिवेदन है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक जनतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में एक के बाद एक पांच चुनावों के फलस्वरूप संसदीय प्रक्रिया के क्रमिक विकास और विधान मंडल के दोनों सदनों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अत्यन्त वेगवती सक्रियता ने विधान मण्डल से सम्बद्ध विधान पुस्तकालय पर अत्यधिक गुरुतम उत्तरदायित्व डाल दिया है। वस्तुतः सदन की प्रत्येक गतिविधि से सम्बन्धित माननीय सदस्यों की बौद्धिक आवश्यकताओं की सम्पूर्ति करने का प्रयास इस पुस्तकालय द्वारा किया जाता है। कोई ऐसा विषय नहीं है, जिसकी चर्चा की अपेक्षा सदन में न की जा सके तथा उसे सम्बन्धित साहित्य की पुस्तकालय से मांगे जाने की सम्भावना न हो। यह विषय राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, न्यायिक, संवैधानिक, संसदीय अथवा कोई भी हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त संवैधानिक जटिलताओं से उलझे प्रश्न संसदीय प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्याओं, माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार के प्रश्न सदन के अवमान के प्रश्न, आदि-आदि इतनी बहुतायत में इस सदन में उपस्थित होते हैं, जिनकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर और इन सभी समस्याओं का निराकरण माननीय सदस्यों, संसदीय अधिकारियों और शासन को विधान पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध करना होता है। इस पृष्ठिभूमि में इस पुस्तकालय के कार्यों, उसकी आवयकताओं और सदस्यों के सम्बध में यह समिति समय समय पर विचार करती रही है और पुस्तकालय को अधिक उपयोगी और सुविधाजनक बनाने हेतु अपनी संस्तुति करती रही है।

चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

इस प्रतिवेदन को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(शेष प्रतिवेदन पढ़ा हूआ मान लिया गया । कार्यवाही में छापा नहीं गया)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं । एक तो सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, सच्चिदानन्द गुप्त, धर्मवीर सिंह, त्रिलोक चन्द की है जो राजकीय कला एवम् शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ द्वारा नेशनल डिप्लोमा न देने के सम्बन्ध में है । इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया गया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, 6 अप्रैल से परीक्षा शुरु होने वाली है, इसमें जल्दी वक्तव्य हो जाय तो अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सर्वश्री नित्यानन्द स्वामी ने प्रदेश के सिंचाई विभाग के सब-आर्डिनेट इन्जीनियरों द्वारा हड़ताल तथा रामधारी शास्त्री, बांके लाल तथा हरिवंश सहाय ने सिंचाई विभाग के अधिदर्शकों द्वारा विधान भवन के सामने हड़ताल के सम्बन्ध में सूचना दी है । इनको भी वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अगर कल की तारीख तय कर दें तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं दोनों के लिये जल्दी तारीख निश्चित करने के लिये कहूंगा । एक सूचना श्री हरिवंश सहाय जी की है । वह जिला देवरिया तहसील सलेमपुर ग्राम हाता में भीषण अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में है । इसको स्वीकार नहीं किया गया है । आप इसमें अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

एक अन्य है सर्वश्री गिरजा शंकर तिवारी, सुरेन्द्र विक्रम, राजेन्द्र प्रताप सिंह तथा वंशीधर पांडेय का जो कला महाविद्यालय लखनऊ के छात्रों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में है । इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है आप इसमें अल्पसूचित प्रश्न कर लें । आपको स्मरण होगा उसमें जो लिखा हुआ है उससे अवलम्बनीयता नहीं दिखाई देती ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उन्होंने भूख हड़ताल शुरु कर दी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

भूख हड़ताल को मैं नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकार नहीं करता ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन् लोक सभा के चुनाव . . .

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

आपने जो वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, उसकी तिथि क्या रखी है । यह एक गम्भीर समस्या है, जल्दी बक्तव्य करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसे अभी यहां स्वीकार किया गया है । उसकी तिथि जल्दी रख देंगे ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले आम चुनाव सारे देश में और इस प्रदेश में भी हुये। लोक सभा के चुनाव जिस वख्त हुये थे उसी वख्त इस प्रदेश में भी हुये। लोक सभा के चुनाव जिस वख्त हुए थे उसी वख्त इस प्रदेश में भी आम चुनाव हुये थे। उस समय हमारे प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जिसका नेतृत्व मुख्य मंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्ति कर रहे थे जो स्वयं एसेम्बली के चुनाव में हार चुके थे। उनके उस चुनाव के आधार पर इस देश और प्रदेश के पूरे जन समूह को यह सोचने का अवसर मिला था कि आया यह देश और प्रदेश समाजवाद की नीतियों को अपनाता है या रीऐक्शनरी स्टेटसको की नीतियों को अपनाया है। जनता का फैसला हुआ और इस देश के अन्दर आगे को प्रगति करने का मौका मिला। हमारी प्रगति तो समाजवाद की नीतियों को अपना कर ही हो सकती है इसको जनता ने अच्छी तरह से समझ लिया। इसी आधार पर एसे-म्बली का चुनाव हुआ जिसमें श्री टी०एन०सिंह, बावजूद पूरी कोशिश के, गवर्नमेंट की सारी मशीनरी का इस्तेमाल करने क पराजित हुये। इन चुनावों के बाद 4 अप्रैल को पहली बार प्रदेश के अन्दर एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो स्टेबिल गवर्नमेंट है।

श्री बांके लाल—

यह बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

शासन ने और देश के नेता ने जनता से वायदे किये हैं और समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमको क्या-क्या कदम उठाने हैं यह बताया है। इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिये 4 अप्रैल को एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जिसके बीच में जनता की शक्ति थी और सदन की अफसरियत की सभी चीजें थीं।

श्रीमन्, मैं सदन से यह दरख्वास्त करता हूं कि जो महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दोनों सदनों को इकट्ठा करके दिया है उसके लिये आभार प्रकट करने का प्रस्ताव पास करें। मैं समझता हूं कि उस अभिभांषण के अन्दर जिसके अन्दर उन्होंने पिछले साल जो परेशानियां आईं चाहे वह पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण हो, चाहे वह सैलाब या नेचुरल कैलेमिटीज की हों जिससे हमारी व्यवस्था पर असर पड़ा है। सारी चीजों का मुकाबिला करके पिछले वख्त में सरकार ने जो आगे के लिये कदम उठाये हैं उनका जिक्र किया और उनको पूरा करने के लिये तथा समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक ऐसी व्यवस्था कायम करने की भी घोषणा की जिसमें इस प्रदेश के जन साधारण आदमी की हालत, चाहे वह किसी भी वर्ग या क्लास का हो, सुधर सके और उसको दोनों वक्त पेट भर कर रोटी खाने को मिल सके, तन ढकने के लिये कपड़ा मिल सके, रहने के लिये मकान मिल सके और उसके बच्चों की तालीम के लिय मुफ्त शिक्षा का इन्तजाम हो सके, दवा के लिये भी माकूल इन्तजाम हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके। इन बेसिक चीजों को लेकर इस सरकार की क्या पालिसी होगी उसको राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है। उनके अभिभाषण से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसके अन्दर इस्तेहाद और एक यूनिटी की चर्चा है और उसके अन्दर यह भी है कि कान्फीडेंस के साथ जो सरकार की पालिसी है उसको पूरा किया जायगा। इसी को लेकर उन्होंने इसको रखा है। इस देश और प्रदेश के सामने मुख्य प्रश्न यय है कि जन साधारण अपने पैरों पर खड़ा हो। आज तक जिस तरह से दूसरे देशों की मदद पर हम आगे बढ़े हैं अब आगे ऐसा नहीं किया जायगा बल्कि हमको अपने ही पैरों पर खड़ा होना होगा, हमको सेल्फ एफीशियेन्ट बनना होगा चाहे वह खाद्यान्न का

†21 मार्च, 1972 की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मसला हो, इन्डस्ट्री की बात हो या कोई भी क्यों न हो हमको अपने पैरों पर खड़ा होने की बात का उन्होंने जिक्र किया है ।

उन्होंने यह भी चर्चा की कि बंगला देश जैसा गम्भीर प्रश्न जो इस देश के सामने ही नहीं बल्कि समूची दुनिया के सामने उठा उसको कैसे हल किया जाय और यह जो एक करोड़ शरणार्थी बंगला देश से आ गये हैं, उनका हल कैसे होगा। यह मामला बड़ा पेचीदा था और इस देश के बड़े-बड़े नेता और प्रधान मन्त्री स्वयं दूसरे मुल्कों में गई थीं और उन्होंने इस मसले को वहां रखा था। यह बड़ा भारी प्रश्न था कि एक करोड़ शरणार्थियों का कैसे हल करें लेकिन जब दुनिया के दूसरे मुल्कों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो स्वयं इस देश की नेता ने, प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, इस मसले को हल करने के लिये हिम्मत के साथ कदम उठाया जिसका जिक्र इस अभिभाषण के अन्दर किया गया। वह एक ऐसा कदम था जिससे इस समस्या का हल निकला और देश की जनता को यह गौरव हासिल हुआ कि उन्होंने एक ऐसे नेता को वोट दिया है जिसने इस गम्भीर मसले को हल किया है।

इस अभिभाषण में जितने भी स्टेट पालिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका जिक्र था। सामाजिक न्याय कैसे मिले इसका जिक्र था। आर्थिक आजादी इस देश को कैसे प्राप्त होगी, समाजवाद का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा यह सारी चीजें इसमें हैं। इस अभिभाषण के बाद ही माननीय वित्त मन्त्री ने बजट प्रपोजल्स को रखा जिसमें जितनी बातों की चर्चा माननीय राज्यपाल महोदय ने की थी उनको अमली जामा पहनाने की बात रक्खी। इस कारण हमको आसानी हो जाती है कि इन पालिसियों को सामने रखकर हम इसको पास करें। इस सरकार को बने हुए 8, 9 महीने ही हुये हैं लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में और इस प्रदेश में श्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में जो थोड़े समय में काम किये गये हैं...

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

एक ही नाम लेना काफी था।

श्री रियासत हुसैन—

आपके सुनने में फर्क हो रहा था।

तो जो यह सरकार बनी उसने 8 महीने के अन्दर जो-जो कार्य किये हैं उनसे यह जाहिर होता है कि समाजवाद का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति की ओर कदम उठाया गया है। श्रीमन्, आप यह देखें कि जो यह आम तौर से शिकायत रहती थी कि जो प्रदेश के हरिजन भाई हैं, पिछड़े गये हैं और उनको स्टेट से कोई रियायत नहीं मिलती है, वह दूर हुई है। उन सबका पिछले समय के अन्दर जो निर्णय लिया इस सरकार ने उसके आधार पर सर्विसेज में जो उनको दो साल का इग्जेम्प्शन था उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। यह मामूली बात नहीं है। इसके अलावा हरिजनों को मकान बनाने के लिये विशेष तौर से जमीन दिलवाने के लिए ही सुविधा देने की बात नहीं की गयी बल्कि उनको मकान बनवाने के लिए ऐसे फंड्स रखे गये जिससे जगह-जगह पर हरिजन भाइयों के मकान बन रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल कालेजों में हरिजन विद्यार्थियों को दाखिला नहीं हो पाता था। उनका 7 प्रतिशत रिजर्वेशन किया गया और 1 परसेन्ट जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिये अलग से रखा गया ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। जहां तक काश्तकारी का ताल्लुक है, एक सलाह यह भी चल रही है कि फैक्टरीज का मामला किस तरह से अपने अख्तियार में किया जाय। इस बारे में सेंटर और उत्तर प्रदेश की सरकार में बातचीत चल रही है लेकिन इस सरकार ने अपनी ताकत के अनुसार 12 फैक्टरियों को और फौरन अपने अख्तियार में ले लिया और एक शुगर कारपोरेशन बनाया जिसके अन्तर्गत 5 फैक्टरियों आज भी कार्य कर रही हैं। बाकी लोगों का मुकदमा

[श्री रियासत हूसैन]

चल रहा है और ज्यों-ज्यों मुकदमें फैसल होते जायेंगे त्यों त्यों कार्रवाई होती जायगी। इसके अलावा, देहातों में जिनको खेतों में पानी देने के लिये कनेक्शन की जरूरत थी उनमें यह पुरानी मांग रही है कि मिनिमम गारंटी हटा दी जाय, तो सरकार ने सिर्फ उसको हटाया ही नहीं बल्कि जो ट्रांस्फार्मर्स की चोरी हो जाती थी उसका खर्चा भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जिम्मे रखा गया है।

जहां तक उद्योग के विकास की बात है, 11 प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेन्टर्स इस प्रदेश में कायम किये गये। 85 करोड़ रुपये 6 फैक्टरीज को इन सेन्टर्स ने दिये और ढाई सौ करोड़ रुपये के और फंड्स की बात चल रही है। इसके अलावा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का कारपोरेशन बनाया गया और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिये विशेष तौर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिये अलग से इन्तजाम किया गया।

रोडवेज के बारे में आमतौर से शिकायतें रही हैं कि उनका इन्तजाम बड़ा खराब है, सवारियों को तकलीफ होती है। उसे 8 महीने के अन्दर इतना कमांड किया गया, इतनी चेकिंग और देखभाल की गयी कि उसमें भी 2.54 करोड़ रुपये का मुनाफा पिछले साल हुआ। इससे यह जाहिर होता है कि आने वाले सालों में रोडवेज से जो शिकायतें जनता की हैं उनको दूर करने की कोशिश की जायगी।

इसके अलावा, एक एकड़ से नीचे के किसानों को तरक्कीयाफ्ता बीज दिये गये। सैलाब और बारिश से खलिहानों में जो अनाज खराब हो जाता था उसको ध्यान में रख कर 26 करोड़ की ऐसी रकम दी गई जिससे किसानों को हर तरह की सुविधा दी जा सके और स्पेशल आर्डर्स जारी किये गये हैं ताकि ऐसी नेचुरल कैलामिटी दोबारा इस साल न हो। श्रेशर के लिये टेम्पोरेरी कनेक्शन के लिये इस सरकार के आर्डर्स जारी हैं जिसके लिये हर किसान कोशिश में है कि उसकी फसल खराब न होने पाये। श्रीमन्, ये तमाम सारी चीजें हैं जो थोड़े समय में आठ महीने के अन्दर श्री कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में चल रही इस सरकार ने किया और केन्द्रीय सरकार ने, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही हैं, ने लोक सभा का इलेक्शन जीता जिसमें वायदा किया गया था कि हम गरीबी दूर करेंगे और समाजवाद लायेंगे जिससे कि देश की उन्नति हो, आर्थिक प्रगति हो और यह देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अभी तक हमारा देश दूसरे देशों पर आश्रित था। इस थोड़े समय के अन्दर जितनी चीजें की जानी चाहिये थीं, की गयीं। यह सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है।

श्रीमन्, इस माननीय सदन की भी जिम्मेदारी है कि जो प्रगति के काम हैं, जो प्रदेश में जनहित और विकास के काम हैं, जो समाजवादी व्यवस्था लागू करने के काम हैं, उनमें यह सदन सरकार के हाथ मजबूत करे और सहयोग दे। श्रीमन्, इस मौजूदा अभिभाषण के अन्दर जिन बातों की खासतौर से चर्चा की गयी है, उनको मैं सदन के समक्ष आपके द्वारा रखना चाहता हूं। मैं पिछले साल की कुछ प्रगति के कुछ थोड़े से फीगर्स दूंगा, जो बावजूद नेचुरल केलेमिटीज के इस प्रदेश ने प्राप्त किये। 1968 में पर-कैपिटा इनकम 256 रु० थी। 1971-72 में यह पर-कैपिटा इनकम बढ़कर 265 रु० हुई। इसी तरह से अन्न की पैदावार भी, बावजूद अनेकों परेशानियों के 1970-71 में 193.92 लाख टन हुई और अब आने वाले साल 1971-72 में यह बढ़कर 201 लाख टन हो जायगी, बावजूद इसके कि बहुत दिनों तक वर्ष के शुरुवात में बारिस होती रही और सोइंग देर में हुई और इसके साथ ही साथ बीजों के देने में, फर्टिलाइजर के देने में सरकार के सामने भिन्न-भिन्न प्रकार की परेशानियां आती रहीं। लेकिन जो अचीवमेंट्स सरकार ने इन सारी परेशानियों का मुकाबिला करते हुए, फर्टिलाइजर और पानी आदि प्रबन्ध कर दिया और हर चीजों की सुविधा दे दी, उसका नतीजा यह हुआ कि 1971-72 में अन्न की पैदावार पिछले साल से 193.92 से बढ़ कर 201 लाख टन हो जायेगी।

इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि पैदावार के अलावा इस सरकार ने और क्या क्या काम किये। इतना बड़ा युद्ध हुआ, जो 14 दिनों के अन्दर फते किया गया और उसके कारण जो आर्थिक बोझ प्रदेश और पूरे देश के ऊपर पड़ा, उसमें हमारा प्रदेश किसी से पीछे नहीं रहा। साढ़े पांच करोड़ डिफेन्स फण्ड के लिये इस प्रदेश ने इकट्ठा करके केन्द्रीय सरकार को दिया। केन्द्रीय सरकार ने एक खासतौर का आर्टीफीसीयल लिम्ब बनाने का कारखाना इस उत्तर प्रदेश को दिया कि जिस उत्तर प्रदेश का सिपाही मैदाने-जंग में लड़ने गया। इस कारखाने के उत्तर प्रदेश में बनाने की बातचीत हुई। श्रीमन्, पिछले साल हमारे प्रदेश के लिये गल्ला कारपोरेशन खरीद रहा था और हम सीधे बाजार से खरीद नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी।

"लेकिन इस वर्ष यह देख कर कि पैदावार करीब 201 लाख टन हो गयी, कहीं ऐसा न हो कि मिडिल मैन द्वारा किसान की फसल का उचित मूल्य किसानों को न मिल सके, सरकार ने किसान से सीधे गल्ला खरीदने का निश्चय किया है जिस की कि मांग यहां सदन में बहुत दिनों से की जाती रही है। इस प्रकार सरकार का एक बफर स्टाक बनाने का इरादा है। सरकार की यह भी पालिसी है कि किसान को उसकी पैदावार का मूल्य भी उचित मिल सके, कहीं ऐसा न हो कि पैदावार ज्यादा होने के कारण दाम घट जायें और किसान को दाम कम मिलने लगें। इसलिये निर्धारित मूल्य पर ही सरकार ने गल्ला खरीदने का निश्चय किया है।

अबपाशी के क्षेत्र में भी सरकार ने काफी काम किये हैं। आज तक 33 परसेन्ट क्षेत्र में सिचाई हो पाती थी और उसमें भी 27–28 फीसदी के अन्दर डबिल क्राप होती है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश के अन्दर डबिल ही नहीं ट्रपिल क्रापिंग हो ताकि पदावार को बढ़ाया जा सके। यह तभी सम्भव है जब सिचाई के साधन काफी हों। हमें यह मालूम होना चाहिये कि कहां-कहां पर क्या-क्या सिचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। सरकार ने यह सब जानने के लिये एक एरीगेशन कमीशन भी बनाया है।

इसके अलावा फ्लड् से पूर्वी क्षेत्र में हर साल तबाही आती है। भारत सरकार से यह सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि आल इन्डिया लेबिल पर एक फ्लड् कन्ट्रोल कमीशन बनाया जाय क्योंकि बिना इसके उत्तर प्रदेश की सरकार यदि कोई मदद करना चाहती है तो नहीं कर पाती क्योंकि बिहार प्रदेश बीच में आ जाता है। आल इन्डिया लेबिल पर फ्लड् कन्ट्रोल कमीशन बन जाने से उन क्षेत्रों की रक्षा की जा सकेगी जो हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं।

जहां तक उद्योगों को बढ़ाने का सवाल है, इस ओर भी इस सरकार ने काफी विचार किया है। जो हिस्से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उसके कारणों आदि का पता लगाने तथा वहां के औद्योगिक विकास के लिये एक यू० पी० इडस्ट्रियल कारपोरेशन भी बनाया गया है। इसके द्वारा हर छोटे बड़े उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, पैसा मिलेगा, और उनका विकास हो सकेगा।

जहां तक शुगर के नेशनालाइजेशन का प्रश्न है, जिसके बारे में संशोधन भी रखा गया है, मैं यह कहूंगा कि यह सरकार उसके बारे में अपोजीशन के किसी भी दल से कम सोचने के लिये तैयार नहीं है। वह हर जगह उससे आगे है। नेशनलाइजेशन की पालिसी सरकार की है किन्तु उसके अन्दर जो भी कानूनी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने में जो भी समय लगेगा वह लग सकता है। उसे दूर किया जा रहा है। मौजूदा सरकार ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और वह उसे अवश्य पूरा करेगी।

श्रीमन्, जो रूरल एरिया को बिजली देने के लिये और उनके विकास के लिये स्कीम लागू की जाने वाली हैं, उसमें पूर्वी क्षेत्रों, बैकवर्ड एरियाज आदि के सम्बन्ध में 15 परसेन्ट रिटर्न की शर्त अब ढीली कर दी गई है। पहले यह था कि 15 परसेन्ट रिटर्न हमारे सामने आवे तब बिजली देंगे, किन्तु अब उसके स्थान पर 8 परसेन्ट रिटर्न की शर्त कर दी गई है। जहां कहीं

[श्री रियासत हुसैन]

बैकवर्ड एरिया है, बुन्देलखण्ड आदि का क्षेत्र है, या हरिजन बस्तियों का मामला है, वहां पर 15 परसेन्ट रिटर्न के बजाये 8 परसेन्ट रिटर्न रख दिया गया है।

मजदूरों की पालिसी के सम्बन्ध में भी काफी सुधार किया गया है। आज तक पहले जब मजदूर सस्पेन्ड किया जाता था तो उसे मालिक द्वारा सस्पेन्शन अवधि का कोई पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब यह किया गया है कि जब मजदूर सस्पेंड होगा, तो उसे सस्पेंशन के दौरान का मैनेजमेन्ट को एलाउन्स देना पड़ेगा। ताकि मजदूरों पर जो मैनेजमेन्ट का अन्ड्यु हैरेसमेंट है, उससे वह मुक्ति हासिल कर सके। उन्हें लोन मिलने की जो सुविधा थी, एल० आई० सी० आदि से उसमें भी काफी सुधार किया गया है और शर्तों को काफी सुविधाजनक और आसान बनाया गया है। उनका बोनस बढ़ गया है। इस तरह लेबर-पालिसी को इस प्रकार से मोड़ने की कोशिश की जा रही है कि धीरे-धीरे वह मजदूर उसमें हिस्सेदार बन जाये और फिर मालिक बन जाये इस सरकार ने इस तरह से बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन मजदूर पालिसी में किये हैं।

जनता की और विधायकों की काफी अर्से से शिकायत थी कि रोडवेज के अन्दर बड़ा भ्रष्टाचार है, उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है, उसको सरकार कन्ट्रोल अच्छी तरह नहीं कर पाती है इस दृष्टि से इसके लिये एक प्रोग्राम बनाया गया है कि उसका एक कारपोरेशन बना दिया जाय। लेकिन वह कारपोरेशन सरकार से इतना जुड़ा रहेगा कि उसे यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि हम इन्डेपेन्डेंट या आटोनामस आदि हैं। वह सरकार से बंधा रहेगा और उसके पाबन्द रहेगा।

इसी तरह से बसों के परमिटों के बारे में लोगों की शिकायत थी। अ र० टी० ए० कमेटी कभी आफिशियल बनाई गई और कभी अनआफिशियल, लेकिन हर हालत में यह बहुत बड़ी शिकायत बनी रही कि परमिट देने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है, लम्बी-लम्बी रिश्वतें और सिफारिशों चलती हैं। इस तरह की शिकायत को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को समाप्त करने के लिये परमिट सिस्टम को फ्री किया गया है और यह पालिसी अख्तियार की गई है कि जो सरकार को टैक्स देता है, जिसके पास बस है, उसको उसे चलाने की इजाजत दे दी जाए। अब उसको परमिट लेने के लिये किसी भी कमेटी के सामने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह इस सदन की बहुत पुरानी मांग है, जिसकी चर्चा महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में की है।

तालीम के सम्बन्ध में प्राइवेट इंस्टीट्यूशनस से लोगों को बड़ी शिकायतें रही हैं। यह प्राइवेट संस्थायें शुरू-शुरू में जब बनती हैं तो लोग बड़े निःस्वार्थ भाव से काम करते हैं, लेकिन जब वे संस्थायें आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, उन्हें मान्यता मिल जाती है और अनुदान आदि मिल जाते हैं, उन्हें चारों तरफ से फण्ड्स मिलते हैं तो मैनेजमेंट कमेटी में तरह तरह के झगड़े खड़े हो जाते हैं। इसलिये शिक्षा के—नेशनलाइजेशन की दिशा में सरकार ने शुरू-शुरू में एक यह कदम उठाया है कि वह जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा अपनी मातहती में ले ले, जिससे कि ये आये, दिन के झगड़े खत्म हो जाएं और ये संस्थायें बर्बाद होने से बच जाएं तथा साथ ही शिक्षा का विकास हो सके।

श्रीमन्, दवा दारू के मामले में हमारा बड़ा फर्ज था कि जो गरीब आदमी शफाखाने में जाता है उसकी रसाई नहीं होती, उसको दवा मुफ्त मिल सके उसका प्राविजन किया गया। मोबाइल हास्पिटल गांव-गांव जायेंगे, गरीबों की जितनी मदद की जा सकती है की जायगी।

मकानों की प्राबलम साल्व करने के लिए, हाउसिंग, बोर्ड और एल० आई० सी० के लोन का प्रोग्राम बना जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी मकान बनाने के लिये सुविधा मिले।

श्रीमन्, हमने तीन चार प्लान में करोड़ों रुपये खर्च कर दिये लेकिन हम जमीन की किस्म को क्लासीफाई नहीं कर पाये । इसके लिये सेटिलमेंट का होना बहुत जरूरी था। सेटिलमेंट का प्राविजन रखा गया ताकि चार प्लान में जमीन की किस्म में क्या तब्दीली हुई, किस जमीन की हैसियत बढ़ गयी और किस जमीन की हैसियत घट गयी, यह तय हो सके ।

हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों की जितनी तवज्जह रूरल और अरबन सीलिंग की तरफ, है मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने एक बार नहीं, दस बार इस सदन के अन्दर, बल्कि पार्टी की मीटिंगों में हर जगह उन्होंने कहा है, वह इस बात पर पूरी तरह से तय किये हुये हैं, इस बजट के अन्दर, इस साल के अन्दर सीलिंग का कानून, चाहे अरबन सीलिंग हो या रूरल सीलिंग हो, लागू हो जायगी और जिन्होंने एक साल के अन्दर नाजायज ट्रांस्फर किये हैं यह कोशिश की जायगी कि उन ट्रांस्फरों के आधार पर जो सीलिंग से बचने की तरकीबें आयी हैं वह कामयाब न हो सकें । इस सिलसिले में पूरा प्रोग्राम किया गया है ।

श्रीमन, दो-चार चीजें सुझाव की शक्ल में कहना चाहता हूं जिनकी तरफ समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्त करने के लिये इस सरकार को खास तौर से उस तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिये स्कीम बना कर चलना चाहिये। एक लैंड डेवलपमेंट बैंक है । वह अगर किसी खाते के अन्दर माइनर हो तो वह कर्जा देने से इंकार कर देती है । इसके कायदों में परिवर्तन करना होगा । अगर किसी खाते के अन्दर नाबालिग शामिल है तो उस खाते की जमीन के विकास के लिये लोन मिलने में कोई दिक्कत न हो ।

शिक्षा के मामले में हमारे मुरादाबाद के के० जी० कालेज में इतनी गम्भीर दशा चल रही है । उसकी इनक्वायरी के लिये एक कमीशन बैठ चुका है लेकिन उसमें जो डाइरेक्टर साहब नियुक्त हुए थे वह रिटायर हो गये हैं । जल्द से जल्द दूसरा आदमी नियुक्त किया जाय जो उसको जल्द से जल्द निपटा सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

ये सब बातें बजट के सिलसिले में कह सकते हैं । सिर्फ गवर्नर का भाषण आपके सामने है । उसका आप समर्थन करें।

श्री कल्याणसिंह (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । यह राज्यपाल के भाषण पर धन्यबाद का प्रस्ताव दे रहे हैं या संशोधन दे रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं यह बात बतला रहा हूं जिनको पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी है । महामहिम राज्यपाल ने पालिसियों का जिक्र किया है । उस जिम्मेदारी को ओढ़ते हैं, उसको पूरा करने के लिये हर तरीके से बंधे हुये हैं । इसलिये ये सारी चीजें सामने रख कर जो हमारा समाजवादी लक्ष्य है, जिससे इस प्रदेश की जनता की रोटी का मसला हल कर सकें, वह बतला रहा हूं । इस देश की जनता को कपड़ा पहना सकें, रहने के लिये मकान दे सकें, तालीम और रोजगार की व्यवस्था कर सकें । यह तमाम बातें राज्यपाल महोदय की अभिभाषण में निहित हैं । इन तमाम बातों को पूरा करने के लिये क्या क्या पालिसीज सरकार ने बनाई हैं वे सब चीजें उनके अभिभाषण में हैं । इसलिये मैं यह धन्यबाद का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखता हूं और आशा करता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य विरोध करने के लिये इसका विरोध नहीं करेंगे बल्कि समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अपने रचनात्मक सुझाव पेश करेंगे, जिस पर कि यह सरकार विचार करेगी ।

[श्री रियासत हुसैन]

इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव पेश करता हं कि यह सदन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

श्री ए०मी०ग्राइस (नाम निर्देशित अंग्लो भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता के प्रस्ताव का अनमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा पर जो तीन चार लाइनें हैं उनको देख कर मैं खुश हुआ। सालों से मैं कह रहा था कि प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल एजकेशन में बड़ी गड़बड़ी चल रही है, जिससे कालेजेज में जो विद्यार्थी आते हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हं कि अब इस को नेशनलाइज किया जा रहा है और यह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। इतनी जल्दी भी न की जाय कि काम खराब हो जाय। हमारे जो मेडिकल कालेजेज हैं उनमें भी थोड़ी कमी है और ऐसा लगता है कि उस कमी को भी अब दूर किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हं।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय।

खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित प्रश्नों का समावेश नहीं किया—

1—सरकार महंगाई रोकने में असमर्थ रही है।

2—सरकार बेरोजगारी रोकने में विफल रही है और न संविधान के खंड 41 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को काम, बूढ़ों को पेंशन, बीमार और विकलांगों को आर्थिक सहायता देने में सफल रही है।

3—सरकार हरिजनों को खेती तथा आवास के लिये भूमि देने की व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है।

4—हरिजनों को सेवा में अनुपात उनकी संख्या के अनुसार पूर्ण करने में सरकार ने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया है और पूर्णतया असफल रही है।

5—गन्ना उत्पादकों को बढ़ी हुयी चीनी के दाम के अनुपात में कीमत दिलाने में सरकार विफल रही है।

6—प्रदेश में व्यापक बाढ़ और सूखे से हुयी क्षति की पूर्ति सरकार ने नहीं की।

7—हरिजन स्त्रियों तथा अन्य हरिजनों को अत्याचार से बचाने में प्रशासन विफल रहा है।

8—राज्य-कर्मचारी, शिक्षक तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य भत्ते केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान करने की घोषणा अभिभाषण के अन्दर नहीं है।

9—कृषकों को बढ़ती हुयी मंहगाई और खेती की उपज में लागत बढ़ जाने पर भी किसानों को उचित दाम दिलाने में सरकार विफल रही है।

---

*बस्ती ने भाग का पुनरीक्षण नहीं किया।

10—नगरों में मध्यम और निम्न श्रेणी के नागरिकों की आवास व्यवस्था करने में सरकार विफल रही है।

11—हाल के उप-चुनावों में सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और भारी पैमाने पर भ्रष्ट साधनों का उपयोग किया।

12—प्रदेश में लोक-तांत्रिक निरंकुशवाद की स्थापना हो गई है।

13—सहकारी आन्दोलनों का सरकारीकरण किया गया है।

14—सरकार ने प्रशासन में अनुशासनहीनता, पक्षपात, भ्रष्टाचार और व्यक्तिवाद को बढ़ाया दिया।

15—तीन रुपया प्रति हार्स-पावर तक तीस पैसे प्रति यूनिट किसानों पर लगाकर के सरकार ने बिजली को और महंगा कर दिया है।

16—प्रदेश में अपराधों की वृद्धि हुयी है और जन-जीवन त्रस्त एवं आतंकित हो गया।

17—चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण जैसी नीतियों से सरकार मुकर गई है और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है।

18—गरीबी हटाओं वादे को टाला ही नहीं इस भावना को कलंकित किया है।

19—प्रदेश की जनता पर लगातार टैक्सों का बोझ डालने की सरकार के प्रवृत्ति की निन्दा गयी की।

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुये)

अध्यक्ष महोदय, अभी जो राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ने का मौका मिला और माननीय सदस्य जिन्होंने धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित किया, ने भी इस बात का मोह-सम्हरण नहीं किया। इन्होंने अपनी पीठ अपने हाथों से ही ठोंकने में जरा भी संकोच नहीं किया। पारसाल उनके एक नेता ने इस स्थान से यह कहा था, यह दूसरी बात है कि आज वे दूसरी जगह बैठे गये हैं, कि टी०एन० सिंह हार गये हैं। यह सर्वविदित है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्टी को आज लोक सभा में कितना बहुमत मिला इसमें किसी प्रकार के तथ्य को छिपाने का सवाल नहीं है किन्तु इस मोह का सम्हरण हमारे मित्र न कर सके। श्रीमन्, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। सरकारी मशीनरी का किस तरह से खुले आम उपयोग इस प्रदेश, बिहार और बंगाल में तथा दूसरे सूबों में इस पार्टी ने करके जो कत्लेआम कराया है, उसके उदाहरण मैं बाद में दूंगा।

श्रीमन् सबसे पहले में हमारे इस धन्यबाद के प्रस्तावक महोदय का भाषण पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि जो कि उन्होंने इधर की कुर्सी पर बैठकर दिया था। मान्यवर, और बातों को तो छोड़ दीजिये, इन्होंने कहा था कि मुरादाबाद में नारे लगे और इस सरकारी पार्टी ने सांठ-गांठ की। उनका मतलब यह था कि ऐसी सांठ-गांठ हुयी कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस जैसी फिरकापरस्त जमात इस देश और प्रदेश में पैदा हो गई। श्रीमन्, जबान कैसे बदलती है, यह इसका उदाहरण है। यह चीज प्रोसीडिंग्स में भी लिखी हुई है। उसमें उन्होंने एक आयोग को गठित करने की भी मांग की है कि एक आयोग का गठन किया जाय तो हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिकता के ऊपर विचार करे। किन्तु आयोग गठित नहीं हुआ। श्रीमन्, जबान बदल गई। इसका केवल कारण यही है कि इधर से उधर पहुंच गय। उसमें चार्ज यह लगाया था कि मुरादाबाद में नारे लगे—"आधी रोटी खायेंगे पाकिस्तान बनायेंगे" यह भाषण किये। मैं पूछता हूं कि इसका सरकार न

[श्री कल्पनाथ सिंह]
क्या निराकरण किया चाहे वह केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, इसमें क्या निराकरण किया गया । इन दल बदलुओं की सरकार ने यही निराकरण किया कि धन्यबाद का प्रस्ताव लेकर हाजिर हो गये ।

यही नहीं, अन्त में क्या कहते हैं, जब हमारे एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आया माननीय सदस्य धन्यवाद का प्रस्ताव रख रहे हैं या उसमें संशोधन कर रहे हैं, कि मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । इसका मतलब यह है कि वे स्वयं सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं । सिद्धांततः यह बात कबूल की गयी और उपाध्यक्ष महोदय वहां मौजूद थे । उन्होंने भी टोंकने का प्रयास किया । वह स्वयं भी उन नीतियों से इत्तफाक नहीं रखते, इसलिये उन्होंने कहना शुरू किया कि इसमें यह सुझाव है । माननीय मंत्री ने कहा कि क्या इसको अमेंडमेंट मान लिया जाय । यह हालत है सरकारी पक्ष के धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य की मनःस्थिति की । उनके अन्दर द्विविधा है, सफाई नहीं है मन में इस सरकार ने जो काम पिछले साल भर में किये हैं वह मुनासिब थे या नहीं ।

जिस लोक सभा के चुनाव की बात कही गयी उस चुनाव के बाद इस सदन में धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन के रूप में भाषण में यह ढिंढोरा पीटा गया कि केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी जिसने इस मुल्क में "गरीबी हटाओ" का नारा दिया है और वह गरीबी हटाने के लिये वचनबद्ध है । इसीलिये जल्दी ही सरकार प्रदेश में बन जानी चाहिये तो दल-बदलुओं का बाजार गर्म हुआ । उन दलबदलुओं की वजह से यह खुशकिस्मती है कि हम आज इधर बैठे हैं, वह उधर बैठे हैं । यह करिश्मा है, लेकिन उस बात का क्या हुआ जो आपने गरीबी हटाओ की बात कही थी ? गरीबी हटी या उसमें बढ़ोत्तरी हुयी ? मैं नहीं कह रहा । मेरी समझ में यह बात आती है कि गरीबी बढ़ी और मेरी ही समझ में नहीं, लोक सभा में उसी दल के नेता, मिनिस्टर श्री आर० के० खादिलकर क्या कहते हैं ? एक वर्ष के अन्दर 23 फीसदी बेरोजगारी की वृद्धि हुई ।

"नवजीवन" अखबार हमारा नहीं है, हमारी पार्टी का नहीं है। शायद हमारी पार्टी को गाली देने में इस अखबार ने कभी कोई कोताही नहीं उठा रखी होगी । क्यों उसकी ऐसी नीति है, मैं नहीं कहना चाहता। सब लोग देखते हैं कि वह अखबार किस के द्वारा संचालित किया जाता है । इस देश के सबसे बड़े आदमी के जरिये। लकिन उसने भी क्या कहा ? 13-1-71 को बेरोजगारी के सिलसिले में जब 50 करोड़ रुपये का जिक्र हुआ कि इसके माध्यम से बेरोजगारी खत्म की जायगी तो उसने भी अपना असंतोष व्यक्त किया कि बढ़ती हुयी बेरोजगारी को देखते हुए यह 50 करोड़ रुपया काफी नहीं है । क्यों ऐसा हुआ ? जनमत का दबाव बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है– ऐसे बेरोजगार जो रजिस्टर्ड हैं एम्पलायमेंट एक्सचेंज में । वे लोग जो गांव और शहरों में बसे हुये हैं जिन्होंने रोजगार दफ्तर को खटखटाया नहीं श्रीमन्, उनकी स्थिति छोड़ दीजिये । मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार ने शुरू से लेकर आज तक किस के हाथ में रही। न हमारे हाथ में रही और न हमारे बाप दादों के हाथ में रही यह कहते हैं कि ये उस पार्टी के वारिश हैं । एक बार भी उनका जिक्र नहीं करते है । आखिर केन्द्र में जो सरकार रही और उसने जो उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई उसको मद्देनजर रखते हुये जब जब यह बात सोची, प्रदेश की जनता ने सोची, लेजिस्लेचर्स ने सोची तथा अन्य लोगों ने सोचा कि केन्द्र से हमें उचित सहायता प्राप्त होनी चाहिये ।

इस प्रदेश की बेरोजगारी खत्म करने के लिये उधर के लोगों ने क्या कहा । उस समय माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने क्या कहा ? यह कहा कि सरकार केन्द्रीय सरकार से लड़ाई लड़ना चाहती है, क्या कुश्ती लड़ना चाहती है ? कौन झगड़ा ? झगड़ा उसूलों का है ।

आपने सफाई नहीं की कि क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार हमारे प्रदेश को उचित आर्थिक सहायता नहीं देती है। क्या यह कहना जुर्म है कि केन्द्रीय सरकार से। हमको अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये। यदि ऐसा है तो हम अपने हक के लिये बराबर लड़ते रहेंगे। इसलिये हमारी बात और मजबूत हो जाती है। जब कौन सा झगड़ा था बंगला देश और पाकिस्तान का आर्थिक झगड़ा था। इसको प्रस्तावक महोदय ने नहीं कहा। जिस तरह से बंगला देश ने पाकिस्तान से आर्थिक लड़ाई लड़ी और उसको बाध्य कर दिया। ठीक उसी तरह से यही दृष्टिकोण रखते कि केंद्रीय सरकार से हमें यह बात कहनी है। यह अलग देश या अलग प्रदेश का सवाल नहीं है बल्कि केवल एक सवाल है कि हमारी जनसंख्या के अनुपात से हमें आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिये।

उनको जरा सबक सीखना चाहिये था। लेकिन नहीं सीखा। हर जालिम की वही दशा होगी जो इतिहास बताता चला आया है और आज आप जिसका ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। शर्म कीजिये। आप कुछ भी कह ले लेकिन इतिहास माफ करने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है? आप देखिये कि 31 मार्च, 68 तक केंद्रीय सरकार की जो टोटल अन्डरटेकिंग हैं, उन पर तीन हजार करोड़ रुपया आता है और हमारे प्रदेश का हिस्सा 125.6 करोड़ रुपया है जो 4 परसेंट होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश की आबादी के लिहाज से होना चाहिये। फैसला कौन करे कि हमारी आबादी के अनुपात में सहायता नहीं दी। चौथी योजना में प्रदेश का अंश 39 करोड़ प्रस्तावित है और व्यय 31.50 करोड़ है जिसका परसेंटेज 4 परसेंट से घट कर केवल 1.2 परसेंट हो गया है। यह तो आपकी सहायता और यह है आपका ढिंढोरा और आप चाहते हैं कि हम अपनी बात भी न कहें। जिस जनता ने हमें चुन कर भेजा है वह चाहती है कि हम उसकी बात को मजबूती के साथ कहें, इसलिये उसकी बात को कहने में मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है, चाहे दिल्ली की सरकार हमसे नाराज हो जाय या लखनऊ की सरकार हमसे नाराज हो जाय। म निश्चय रूप से यह समझता हूं कि इस प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है लेकिन आप वहां के गुणगान गाते हैं। इसलिये इस पिछलग्गुओं की सरकार का समर्थन कतई कतई नहीं किया जाना चाहिये। ऐसा करना इस प्रदेश के साथ और उसकी जनता के साथ धोखा देना होगा।

चौथी पंचवर्षिय योजना में औद्योगिक बढ़ोत्तरी के लिये आपने लक्ष्य रखा कि 8–10 फीसदी प्राप्तियों में बढोत्तरी हो जायगी। लेकिन उसके लिये प्राविधान कितना किया गया? 42,67,00,000 रूपया। इतने कम खर्चे पर इतनी अधिक प्राप्ति अगर वह पूरा का पूरा रुपया आप खर्च कर देते तो भी नहीं होता। उसके लिये तो कम से कम 900 करोड़ रुपया चाहिये था। यही कारण था कि सरकार ने फिर से अपनी मन:स्थिति को बदला।

अब ले लीजिये उस सहायता को जो केंद्र की ओर से इस प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में की गयी है। पहली योजना काल में सब राज्यों पर 25 रुपया प्रति व्यक्ति का औसत था तो हमारे यहां यू०पी० में उसका औसत 13.38 रुपया प्रति व्यक्ति था। दूसरी योजना में पूरे भारत का औसत 27 था तो उत्तर प्रदेश में 17.1 था, तीसरी योजना में जब दूसरी सरकारें प्रदेशों में बनी और उन्होंने आवाज उठायी तो यह औसत बढ़ा और तीसरी योजना में जहां भारत का औसत 59 प्रतिशत था तो उत्तर प्रदेश में 45.78 रहा। जब हालत ऐसी है तो भला बताइये इस प्रदेश का पिछड़ापन किस प्रकार से दूर होगा?

अच्छा अब उस समय की बात को देख लीजिये, जब पहली योजना भी नहीं बनी थी, उस समय इस प्रदेश की क्या स्थिति थी। सन् 50–51 को आधार मान कर उस समय उत्तर प्रदेश की पर-कैपिटा इनकम 260 रूपया थी और उस समय सारे हिन्दोस्तान की 247.5 थी और फिर 60–61 के हिसाब पर वही 68–69 में 247.5 हो गई प्रति व्यक्ति आय और देश की आय बढ़कर 315 पर पहुंच गई। सारे देश की प्रति

[श्री कल्पनाथ सिंह]

व्यक्ति आय बढ़ी लेकिन उत्तर प्रदेश की घटी । यह इस प्रदेश की तरक्की हो रही है और साथ ही साथ इस प्रदेश में गरीबी हटाओ का नारा लगाया जा रहा है । पहले तो आप ने खुद गरीबी पैदा की और अब आप गरीबी हटाने का नारा देते हैं । गरीबी हटाने की स्थिति क्या है? वह यह है कि प्रदेश में महंगाई बढ़ी, देश में महंगाई बढ़ी । अगर महंगाई बढ़ने से, बेराजगारी बढ़ने से गरीबी कम करने का वास्ता है तो निस्संदेह वह गरीबी हटा लें । मेरा चार्ज है इस सरकार पर कि इस सरकार ने सूबे में गरीबी को, महंगाई को बढ़ाया है और केंद्र की सरकार ने कुल देश में गरीबी और महंगाई को बढ़ाया है । दोनों सरकार इसके लिये समान रूप से दोषी हैं ।

12-2-72 के नेशनल हेराल्ड के अनुसार खाद्यान्नों के संबंध में हालत यह है कि खाद्य पदार्थों के मूल्य के स्तर को सन् 61-62 के हिसाब से यदि 100 माना जाय तो 113.7 की बढ़ोत्तरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई है । इसी तरह से औद्योगिक पदार्थों में 199.07 मेनुफेक्चरिंग गुड्स में 117.2 की और इस तरह से पूरा औसत देखा जाय तो 191.2 प्रतिशत की वृद्धि सीधे सीधे हुयी है । इसका एक कारण यह बताया गया है कि सरकारों ने घाटे का बजट प्रस्तुत किया । यह सरकार इस बात से कैसे मुकर सकती है कि इसने घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया और उसके कारण से कीमतों में वृद्धि नहीं हुई । लेकिन एक शब्द भी माननीय सदस्य ने कीमतों की वृद्धि के संबंध में नहीं कहा और न राज्यपाल महोदय ने ही अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार की पालिसी के कारण से यह कीमतों में वृद्धि हुई है और इस कारण से इस सरकार की यह सदन भर्त्सना करे । इस साल भर के अन्दर इन्होंने बेकारी बढ़ाई, इन्होंने खाद्यान्नों और अन्य चीजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कराई और इतना ही नहीं गांधी जी ने जिस नमक के लिये सत्याग्रह किया, आप भी शायद उसमें शामिल रहे होंगे श्रीमन् यह हो सकता है । इस सरकार के राज्य में नमक कहीं कहीं तो एक रुपये का 2 किलो या 2 रुपये किलो तक बिकता है और इस सरकार की नाक के नीचे 2 रुपये किलो तक नमक बिक गया । गांधी जो नमक के लिये सत्याग्रह करे और यह सरकार नमक 2 रुपये किलो या 1 रुपये का 2 किलो बिकवाये । आज भी नमक 4 किलो से ज्यादा एक रुपये में कहीं उपलब्ध न होगा और वह 2 रुपये किलो भी बिका है । वे ही कह रहे हैं 1 रुपये का 4 किलो । यही मैंने अभी कहा । लेकिन ये तो वह भाव कह रहे हैं जिस पर इनको मिलता है लेकिन जिस रेट पर आम जनता को मिलता है उसका ये जिक्र नहीं करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि यह कौनसा कदम है, पहला, दूसरा-तीसरा गरीबी हटाने का । आज व्यापारियों ने इस प्रकार की खुली लूट मचा रखी है । कौन इस बात को कहे कि दूसरी सरकारों के समय में नमक इतना सस्ता मिलता था । आज जो आपके गांव की जनता है, शहरों की गरीब जनता है जो सर्वाधिक नमक का इस्तेमाल करते थे, उसको भी इन्होंने महंगा किये बिना नहीं छोड़ा है । इसका एक ही कारण है कि इनकी पूंजीपति मनोवृत्ति है और वह मनोवृत्ति न केवल नमक पर है, यह तो एक उदाहरणस्वरूप मैंने बताया, बल्कि मिट्टी के तेल की आज क्या हालत है ? कपड़े के दाम डेढ़ गुने हो गये हैं । इन सब चीजों की दशा बहुत खराब है ।

खाद्यान्न अब सस्ते हो रहे हैं क्योंकि किसान के घर फसल आ गयी है और इसी कारण से आज खाद्यान्नों के दाम दिन प्रति दिन गिरने लगे हैं । यही, यह सरकार करा रही है । जब फसल आयी तो खाद्यान्न सस्ते हो जायें और जब फसल हट जाय तो खाद्यान्न महंगे हो जायं । यह सरकार पूंजीपतियों की चेली है चाहे यह सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो ।

मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 7 रुपये 33 पैसे प्रति क्विंटल गन्ने के दाम से पार साल चीनी बनाई गयी और वही चीनी 3,3 1/2 और 4 रुपये प्रति किलो चीनी मिल मालिकों ने बेंची और फिर सरकार ने उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा और

किस लिये यह हुआ, जानबूझकर यह सब किया गया । केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो दोनों ने मिल कर गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन अगर मिल मालिकों की बैलेंस शीट को देखा जाय तो आप देखेंगे कि नम्बर 2 की बैलेंस शीट 1 में आ जायेगी । आज कल जितनी मुनाफेखोरी इस प्रदेश में हुयी है शायद ही पिछले किसी वर्ष में हुयी हो । और यह सरकार कहती है कि हम तो चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं ।

आप कहेंगे कि गन्ने की कीमत दस रुपये क्विंटल कर दी है । उसमें भी श्रीमन् तीन प्रकार की कीमतें हैं । एक प्रकार की कीमत नहीं है । पश्चिम में दूसरी कीमत है । मध्य में दूसरी कीमत है । पूर्व में दूसरी ही कीमत है । मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा आधार है कि पूर्व में अलग है, पश्चिम में कीमत अलग है और मध्य में कीमत और ही है । यह किसने किया ? यह गुनाह या पाप किसने किया ? यह सारा का सारा गुनाह जो पंडित कमलापति त्रिपाठी की सरकार है अगर उनके साथ बैठने वाले सरकारी लोग हैं उन्होंने यह काम किया है ? मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जो हमारे एम०एल०ए० मित्र बैठे हैं कि आप कब तक सोते रहेंगे और आप कब तक इसी तरह बैठे रहेंगे, इनकी कुरीतियों और असंगतियों को देख देख कर । आप जानकारी करिये । आप अपनी अन्तरात्मा की आवाज को सुनें और जब आपकी अन्तरात्मा यह स्वीकार कर ले तब आप इधर आइये । यह सारा पाप आप पंडित जी की सरकार को करने दीजिये ।

श्रीमन् मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा । वह निवेदन यह है कि आपने बुनकरों के सवाल को देखा । मंत्री जी ने कहा कि संविद की सरकार ने ऐसा कर दिया था । उसकी वजह से यह हो गया था । उन्हीं के तरीफ के एक दूसरे सदस्य ने तुरन्त उसका खंडन किया और कहा यह बात गलत है । ऐसा नहीं हुआ । यह सारी की सारी देन इस सरकार की है जिससे आज इतने बुनकरों को इस अवस्था में पहुंचाया गया है । लेकिन इस सरकार को शरम नहीं आती है । और फिर बड़े-बड़े वायदे कर दिये गये उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता से वायदा किया गया कि गरीबी हटाओ । श्रीमन् गरीबी हटाओ का क्या मतलब लिया जा रहा है । इन्होंने हुकुम दे दिया है कि जनता अपनी गरीबी हटाओ । यह इन्होंने नहीं किया है गरीबी हटाने के लिये । धीरे-धीरे जनता इस बात को समझ रही है । इन्होंने तो एक हाकिम की तरह से हुकुम दे दिया कि गरीबी हटाओ । अब क्या हो रहा है । गुंडों ने इस प्रदेश में गरीबी हटाना शुरू कर दिया । अफसरों ने इस प्रदेश से गरीबी हटाना शुरू कर दिया । व्यापारियों ने गरीबी हटाना शुरू कर दिया सारे के सारे समाज में जितने अवांछनीय तत्व हैं उन सबों ने अपने अपने गरीबी हटाने के कार्यक्रम शुरू कर दिये हैं । क्योंकि उसमें तो मोहर लगी है कि गरीबी हटाओ । वे गरीबी हटा रहे हैं । चोर अपनी गरीबी हटा रहे हैं । श्रीमन् चोरी बढ़ी है । श्रीमन् इस प्रदेश में डकैत अपनी गरीबी हटा रहे हैं । क्योंकि डकैती बढ़ी है । श्रीमन् इस प्रदेश में निस्संदेह चोरी और डकैती बढ़ाने के लिये राहजनी बढ़ाने के लिये ब्लैक मार्केटिंग बढ़ाने के लिये और इस माध्यम से लोगों को गरीबी हटाने के लिये इस सरकार को हमारे माननीय मित्र रियासत साहब धन्यवाद देना चाहते हैं कि वे गरीबी हटा रहे हैं ।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

आपने गरीबी हटाने में स्वयं कुछ पालन किया या नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

वे काम तो आपके मित्र लोग कर रहे हैं । वह मैं भी आपको सुना दूंगा क्योंकि वह मुकदमा हाई कोर्ट तक पहुंच गया है ।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

आज क्या हालत हो रही है। हमारे मित्र पांडे जी अभी गरीबी हटाओ की बात कह रहे थे, इन्हीं के दल के दूसरे व्यक्ति श्री तेजभान सिंह, एम० एल० ए० हैं उन्होंने पूरा का पूरा पेम-फ्लेट छपवाकर जिसमें मुख्य मंत्री के भ्रष्टाचार, अन्याय के विरुद्ध खुला पत्र है। यह आप ही के दल के लोग है जिनके खिलाफ चार्जेज लगाये हैं, उनसे पूछियेगा कि गरीबी हटी कि नहीं। इसलिये माननीय मित्र वहां पहुंच गये हैं, वरना हमारे यहां घास की रोटी मिलती, जिनको वह पसन्द नहीं करते। राणा प्रताप ने भी घास की रोटी खाई थी। मान्यवर, आप देखें कि जिन-जिन घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया है, उधर हालत क्या है। हालत यह हो गई है इस प्रदेश में, यह मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस विभाग के मुख्यालय से प्रकाशित सूचना के अनुसार 24 घन्टे याने एक दिन में 12 कतल का औसत है और डकैती का 6। रोजाना इस प्रदेश में 12 कतल और 6 डकैती का औसत है।

मान्यवर, मैं यहां इस बात को भी कहने के लिये मजबूर हूं कि जिस प्रकार बिहार में चुनाव के समय गुन्डागर्दी करवाई है, जिस प्रकार वोटरों को वोट देने से वंचित किया गया है, जिस प्रकार पुलिस ने सीधी-सीधी निरीह जनता को जेलों में भेजा है, डंडों से पीटा है फर्जी मुकदमा चलाया है, श्रीमन्, निसंदेह यह धारणा बनती है कि यह सरकार गरीबी हटाने के नाम पर जनता को वोट देने के अधिकार से भी वंचित रखना चाहती है। बंगाल में क्या हुआ ? सारे लोगों का एक मत हो रहा है कि वोट पड़े ही नहीं और सरकारी लोगों ने यह घोषणा की है कि इस बार के चुनाव में शतप्रतिशत पोलिंग बहुत से बूथ पर हुई है। शत-प्रतिशत वोट किस पोलिंग स्टेशन पर पड़े होंगे, मैं यह जानना चाहता हूं। मान्यवर यह हो नहीं सकता कि शत प्रतिशत वोट पड़ जायें, कोई मर गया होगा, कोई नौकरी पर गया होगा, कोई कहीं चला गया होगा। मान्यवर, इसमें घपलेबाजी हुई है, लोगों को वोट देने से वंचित किया गया है, यह उस दिशा की ओर संकेत करता है जिसमें लोक-शाही मर जाय, लोगों का मन टूट जाय और इस देश में एक व्यक्ति का शासन, शुद्ध निरंकुशवाद कायम हो जाय। श्रीमन्, आपकी रहनुमाई में इस दल के लोगों ने पंडित जवाहर लाल नेहरू की रहनुमाई में, राजेन्द्र बाबू की रहनुमाई में, सरदार पटेल की रहनुमाई और सबसे अधिक पूज्य बापू की रहनुमाई में अंग्रेजों से लड़ना सीखा है। यह काले अंग्रेज जो हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं हमको हरगिज हरगिज अपने मजबूत इरादों से, विचारों से हटा नहीं सकते हैं। इस देश में लोकशाही को कायम रखने के लिये हमारा दल उसके लिये सारी कुर्बानी करेगा। हमारे मित्र पान्डे जी ने सवरही का जिक्र किया। मैं भी वहीं था।

एक सदस्य---

हमारे पास रूस वाली स्याही थी। हम जुल्म कैसे करते ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

आपने वैज्ञानिक स्याही का प्रयोग किया। आपका इरादा लोगों के मन में हीन भावना पैदा करने का है, लोगों के दिमाग में लोकशाही को समाप्त करने का है और यही कारण है कि लोकशाही जिसमें आपको इतनी सफलता प्राप्त है आपने रशन मार्ग अपनाया। पश्चिमी बंगाल में तथा दूसरी जगहों पर आपने कम्युनिस्टों के साथ सांठगांठ की। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर क्या किया गया। आपको उनका घिनौना रूप दिखाई दे जायगा। ईश्वर दयाल राय थानेदार का ट्रांसफर एलेक्शन के जमाने में करवाया गया और वहां पर श्री दूबे को थानेदार बनाया गया ताकि वह इसमें गोलमाल कर सकें। दूसरे थाना तरया सुजान में थानेदार को हटा कर वहां पर एक दूसरा थानेदार बैठाया गया। दुधई में एक कानूनगो सिद्दीकी था उसका इन्होंने ट्रांसफर करवा दिया क्योंकि हमारे दल का उम्मीदवार मुसलमान था। यह सरकार तो जातिवादी सरकार है। एक थानेदार के नाम के आगे राय शब्द था उसको वहां से हटा दिया। दूसरे कानूनगो के सामने सिद्दीकी था उसको और वहां के बी० डी० ओ० को भी इसीलिये हटाया। पडरौना तहसील के तहसीलदार

और एस० डी० एम० ने जितना नंगा नाच इस चुनाव के दौरान किया वह सब थोड़ा है। सिद्दीकी को कहा गया कि सारे मुसलमानों के वोट ठीक करो तब रह पाओगे । इसी प्रकार से केन डिपार्टमेंट में भी बहुत से लोगों को इन्होंने इधर से उधर किय। काम ले लिया और फिर उसको भी चालू कर दिया। सिवरही में सारी की सारी सरकारी मशीनरी लगा दी गई, पूरी कोशिश की गई एलेक्शन को जीतने के लिये । यह हमारी समाजवादी सरकार है । उस समय की अगर मेरी सूचना गलत हो तो दोस्त सही कर दें लेकिन उस पीरियड में लायसेंस और परमिट का बड़ा बोलबाला रहा है । चीनी का एक लायसेंस पडरौना तहसील में दिया गया । मेरी अगर यह सूचना गलत हो तो मुझे बतला दें मैं मान लूंगा । श्रीमन्, इस प्रकार सारी साधनों का दुरुपयोग किया गया । मैं, वंशीधर पांडे, राम धारी शास्त्री और हरवंश सहाय सभी ने इसको देखा और देख कर एक दम निरीह की तरह चुपचाप सोचते रहे कि आखिर इस प्रदेश में क्या होने वाला है ।

श्रीमन्, राजगढ़ (मिर्जापुर) में बी० के० डी० का उम्मीदवार जीत रहा था लेकिन सिंचाई विभाग की सारी मशीनरी खड़ी हो गई। जो भी पहुंचा किसी ने सड़क बनवा दी और किसी ने बिजली दे दी । लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, और नही कुछ होने वाला है। सिवरही में मैंने बलराम सिंह यादव का एक भाषण सुना था जिसमें उन्होंने बतलाया था कि लोकपति ने वह क्षेत्र क्यों चुना । क्योंकि वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ इलाका है, उसको दुरुस्त करना है और इस कारण इस निर्वाचन क्षेत्र को चुना है। मैं सोचता रहा कि आखिर हो क्या रहा है। मैं वह सारी बातें बतलाऊंगा कि चुनाव में किस प्रकार शासन तंत्र इस्तेमाल किया गया। मेरा तो कहना है कि एस० डी० एम० पडरौना को कलेक्टर बना दिया जाय, तहसीलदार को एस० डी० एम० बना दिया जाय क्योंकि उन्होंने आपके दल के लिये बड़ा काम किया है। इसी तरह सिद्दीकी कानूनगो को तहसीलदार बना दिया जाय। उसने भी बड़ा काम किया है। श्रीमन्, यह लोग हमारे कार्यकर्ताओं को डंडा लेकर दौड़ाया करते थे । कोई पार्टी का आदमी भी इतना काम नहीं करेगा जैसा उन लोगों ने किया है । अब आपका उम्मीदवार जीत गया है तो उनको इनाम दीजिए । मैं इसका विरोध नहीं करूंगा । इतना तो हो जाय कि आपके प्रति लोगों को शंका न रहे कि जो कुछ कहते हैं वह करते भी हैं । नहीं तो लोगों के मन में यह विश्वास बैठ जावेगा कि मतलबी यार हैं। श्रीमन्, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं ...

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या जो श्री टी० एन० सिंह को वोट मिले थे, हालांकि वह 16000 से हारे थे, वह भी एस० डी० एम० और कलक्टर के माध्यम से ही मिले थे, क्योंकि उनको तो मिले नहीं थे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

पांडे जी पर हमेंशा श्री टी० एन० सिंह का भूत सवार रहा है और अब भी है। अगर श्री टी० एन० सिंह ने एसा किया होता तो हारत ही क्यों । जो काम आप कर रहे हैं वह कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता है । वह तो लोकशाही का विरोधी ही कर सकता है । अगर आपके पास भी उदाहरण हो तो आप दें दीजियेगा, हम सुनेंगे । सरकारी मशीनरी का किस प्रकार का दुरुपयोग किया गया जरा आप सुनें । तरया सुजान की पुलिस के जरिये एक यादव को इस लिये फंसाया गया चूंकि वह माननीय अनन्तराम जी की पार्टी की तरफ से काम करने वाला था । उसका दो साल पहले खरीदा हुआ बैल दूसरे आदमी को दिलवा दिया गया। आज भी अगर हिम्मत हो तो उस एक जोड़ी बैल के मामले की जांच करवा कर सदन में रखवा दीजिये कि क्या यह सही नहीं है कि वहां की पुलिस ने लोगों को आतंकित करने की दृष्टि से इस प्रकार की कार्रवाई की ?

श्री राज मंगल पांडेय—

इसी पर चैलेन्ज हो जाय कि अगर वह चोरी का बैल न हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर चोरी का हो तो वह इस्तीफा देने को तैयार हों ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

बहुत अच्छा है कि माननीय मित्र को इसकी जानकारी है। कहते-कहते उन्होंने कबूल कर लिया कि वह बैल चोरी का था। जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले। जहां तक इस्तीफा देने का सवाल है, पहले जांच करा के इस मामले को ले तो आइये कि वास्तविकता क्या है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

सदन की जांच समिति से जांच कराने को तैयार हैं?

श्री राज मंगल पांडेय--

मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से इन्क्वायरी कराने को तैयार हूं।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--

चुनाव जीतने के बाद एक नारा लगाया गया आपकी तरफ से कि "खुलेगी भाई खुलेगी, जोड़ी बैल खुलेगी"।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी तरफ क्या स्थिति है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा के बारे में कहा गया। मैं यह जानना चाहता हुं कि पब्लिक स्कूलों का क्या हुआ? एक तरफ तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लड़के, बड़े-बड़े लोगों और अफसरों के लड़के पब्लिक स्कूलों में पढ़ेंगे और दूसरी तरफ गरीब जनता के लड़के, चाहे देहात के हों या शहर के, जिला परिषद् और म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूलों में पढ़ेंगे जहां इमारतें तक नहीं हैं। अगर एक तरफ पब्लिक स्कूल चलते रहे और दूसरी तरफ एक रुपया महीना वाले स्कूलों में भी जाने की स्थिति लोगों की नहीं रही तो बराबरी का सवाल कभी भी पैदा नहीं होता। इसलिये अगर आपको कुछ करना है तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल की शिक्षा के साथ-साथ मेहरबानी करके पब्लिक स्कूलों को अपने कब्जे में लीजिये फैक्टरियां खुली हुई हैं कि मुनाफा पैदा करें और दूसरे प्रकार से लोगों के कैडर पैदा करने की जब तक ये फैक्टरियां चलती रहेंगी और जब तक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार इस देश में समाजवाद आने का एक भी कदम पड़ने वाला नहीं है। श्रीमन् इतना ही एक निवेदन और करना चाहूंगा। शिक्षा की स्थिति है क्या? संविधान के 41 वें खण्ड में दिया हुआ है, जिसके अनुसार आप क्यों नहीं गारन्टी कर देते कि हर नागरिक को काम पाने का अधिकार होगा। लेकिन नहीं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो, यदि ऐसा हो। आज मैंने अखबार में देखा कि कुछ विद्यार्थियों की संस्थाओं ने और विभिन्न लोगों ने मिल कर एक अपना सम्मेलन किया और उसमें यह प्रस्ताव किया कि लोगों को काम पाने का अधिकार निश्चित रूप से रहना चाहिये और यह अधिकार संविधान के अंदर प्रदत्त हो तो कुछ काम चल सकता है। जब तक बुढ़ौती का पेंशन, काम पाने का अधिकार अपंगों के जीवन-रक्षा का सवाल सरकार अपने हाथ में नहीं लेती है, तब तक इस सरकार को समाजवादी कहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन, श्रीमन्, काम देने से इस सरकार ने ढिनाई कर दिया, अपने आपको मुक्त छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारी नहीं लिया। और किया क्या? किया यह कि इस प्रदेश में, जैसा कि मैंने पहले कहा, बेकारों की--शिक्षित, अर्ध-शिक्षित और अशिक्षित बेकारों की एक जबर्दस्त पलटन खड़ी होने को मजबूर कर दिया। इस प्रकार, श्रीमन्, किसी भी तरह सोचा भी नहीं जा सकता कि इस प्रदेश में समाजवाद आने की एक भी कड़ी सरकार की ओर से आगे बढ़ी हो।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि हरिजन लोगों के सिलसिले में। ढिंढोरा पीटा गया कि यह सरकार हरिजनों के लिये बहुत ही सहानुभूति रखती है। यह सरकार हरिजनों और रीबों के लिये बहुत बड़-बड़े कार्य-क्रम लेने वाली है। मैंने सुना गरीबों को मकान के

लिये जमीन मिलने वाली है। लेकिन श्रीमन्, मकान के लिये आज भी हरिजनों को जमीन मुहइया नहीं हो सकी और ढिढोरा पीटा जा रहा है समाजवाद का। आज भी गांवों में रहने के लिये जमीन नहीं है—जोतने की जमीन की बात तो छोड़ दीजिये। आज देहात का आदमी देहात से शहर आने को विवश हो रहा है। इसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है और वह यह है कि देश में आज भी गरीबी अपनी चरम सीमा पर है। लोगों को उतना उत्साह नहीं है। लोगों के अन्दर काम पाने की क्षमता नहीं है। नतीजा यह है कि आज देहात से लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं।

आपने कहा है कि सीलिंग से जो जमीन निकलेगी उसको भूमिहीनों में बांटा जायेगा, मगर उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस प्रकार से कितनी भूमि बांटी जायेगी उसका आज तक पता नहीं चल पाया। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप यह बतायें कि आखिर एक परिवार को कितनी कितनी भूमि आप देना चाहते हैं? आप एक तरफ सीलिंग से जमीन निकल कर बांटने की बात सोचते हैं दूसरी तरफ यह नहीं देखते कि समूचे प्रदेश में ढाई एकड़ से कम वाले किसानों का प्रतिशत 38.9 है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका प्रतिशत 49.1 है। इसी प्रकार कृषि श्रमिकों का प्रतिशत प्रदेश में 17 प्रतिशत है। ढाई एकड़ से लेकर 7.4 एकड़ वाले किसानों का प्रतिशत 37.5 है पूर्वी उत्तर प्रदश में जो अलाभकर जोत से कुछ ज्यादा भूमि रखते हैं। अब आप सोचें कि इससे खेतिहर मजदूरों का क्या कोई फायदा होने वाला है? आप अब तक किसानों को मुगालते में डाल कर वोट लेते रहे, यह कहते रहे कि अब जमीन मिलने वाली है, आसाढ़ तक सारी जमीन मिल जायेगी, तुम लोग इतमिनान रखो। मगर हुआ क्या? न जोतने के लिये जमीन मिली, न बसने के लिये ही जमीन मिली। मैं तो कहूंगा कि यह सरकार केवल लफ्बाजी करने में ही माहिर है। यह एक रुपये को एक रुपया नहीं कहेंगे, यह उसको कहेंगे कि हमने 100 पैसे का एक सिक्का निकाला है। उसको एक रुपया नहीं कहेंगे। यह इसमें माहिर हैं। यह एक कला इनमें है।

आज अगर हम देखें कि खेतिहर मजदूरों की क्या स्थिति है, कृषक मजदूरों की क्या स्थिति है, तो उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं पायेंगे। सरकार से उनको मिला क्या है? कुछ नहीं मिला है। केन्द्रीय सरकार ने जो टैक्स उनके लोहे पर, कपड़े पर, खाद पर तथा अन्य चीजों पर लगाया, उससे इस सरकार को संतोष नहीं हुआ। इनकी निगाह में गांव में लोगों के छप्परों में जगह जगह नोट सड़ रहे हैं। यह क्या देखते हैं? इनका कौन पैमाना है? किस आधार पर 10 करोड़ रुपये की लेवी लगाने का फैसला लिया गया है? सदन ने जब सवा छः एकड़ तक की जोतों का लगान हमेशा हमेशा के लिए बन्द कर दिया तो आपने किसानों पर डेवलपमेंट लेवी लगाने की बात कैसे सोची। यदि सीलिंग का आपका इरादा सही है, आप उसे और कम करने जा रहे है तो उसकी रूपरेखा तो आप बताइये कि क्या है? आप यह भी बताइये कि आपने क्या विकास किया है जो विकास कर लगाने जा रहे हैं। देहाती आदमियों की आमदनी कितनी बढ़ी है, जिसके आधार पर टैक्स, विकास-कर किसानों पर लगाने जा रहे है। इन तमाम टैक्सों के लगने का कारण यही है कि इनकी फिजूल खर्ची बढ़ती रहे और देहाती लोगों की जेब से, गरीब जनता की जेबों से यह अपना खजाना पूरा करते रहें। महज ऐसे खर्चों के लिये जो खर्च अनुत्पादक है, उनका चाहे जो भी नाम आप रख लें।

श्रीमन्, हमारे मित्र ने कहा कि आयोग बन रहे हैं, उनके नाम भी गिनाए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी उनका जिक्र है। एक चीनी निगम है। उसने क्या काम किया है अब तक। कितने पैसे चाहिए उनको, कितना पैसा दिया है इनको सरकार ने? यदि यह चीनी निगम सचमुच चीनी निगम को चलाना चाहता है, तो किसने आपको मना किया था कि आप इस प्रदेश की सारी चीनी मिलों को उसके हवाले न कर दें। अभी यही फैसला नहीं हो पाया है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये या न किया जाए। वीरेन्द्र वर्मा कमेटी

[श्री कल्पनाथ सिंह]

की रिपोर्ट अभी इस सदन के सामने नहीं आ सकी है। नारायणदत्त तिवारी की जब पिछली बार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस सरकार का इरादा नहीं है---चीनी निगम बनाने की बात गलत है। हम लोगों के फैसले के अनुसार चीनी निगम बना हुआ है, लेकिन हम लोगों के इरादे में यही बात पक्के रूप में थी किन्तु उनके ईरादे में वह दिखावटी है। अब तो वीरेन्द्र वर्मा जी वहां पहुंच गये हैं और नारायणदत्त जी वित्त मंत्री हैं। अच्छा होता कि अब तो उसे देख लिया होता और उसे साल भर के अन्दर चरितार्थ कर दिया होता। तो यह माना जा सकता था कि आपका यह काम समर्थन योग्य है। लेकिन आपने टाल दिया उसे और उसके बहाने के लिए आपने क्या कहा, उसकी भाषा श्रीमन्, आप देखें।

चीनी निगम के सिलसिले में इनका दृष्टिकोण ऐसा लगता है कि जो इनके पिछले जो भाषण रहे हैं, उनसे दूर है। वह इसलिए कि जो कुछ भी उन्होंने उस सम्बन्ध में कहा है, चीनी निगम के मामले में वह श्रीमन्, ऐसा नहीं है कि जो निश्चित रूप से प्रकट करता हो या यह साफ बताता हो कि इनका दृष्टिकोण उस तरफ जाता है। कहते हैं---सहकारी क्षेत्र में नयी चीनी मिलें लगाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं तथा चीनी मिलों के निजी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए सरकार का प्रयास बराबर जारी है। सवाल था राष्ट्रीयकरण का। आपने क्या कहा ? पहली प्राथमिकता किस को दे दी ? सरकार सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों के लगाने का प्रयास कर रही है तथा निजी स्वामित्व समाप्त करने का प्रयास जारी है। कब तक जारी रहेगा ? माननीय नारायणदत्त जी का भाषण जो उन्होंने यहां पिछले साल दिया था वह भाषण हमारे वित्त मंत्री जी और माननीय मंत्री जी पढ़ क्यों नहीं लेते ? श्रीमन्, उन्होंने अपने भाषण में कहा था---वीरेन्द्र वर्मा कमेटी रिपोर्ट बनायी गयी थी, वह आज तक छिपी हुयी है, प्रकाशित नहीं की गयी। उसमें यह कहा गया था कि साल भर के लिए पोस्टपोन किया जाता है। और आज जब साल बीत रहा है यह सरकार घोषित करती है कि हमने सिद्धान्त मंजूर किया है। इससे कितना नुकसान होने वाला है। एक तरफ तो चीनी मिल मालिक फैक्टरियों में रुपया नहीं लगा रहे है, फैक्टरियों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। फैक्टरियां मनमाने कर्मचारियों को नियुक्त कर रही हैं ताकि अगर कभी कोई राष्ट्रीयकृत हो गयी तो कितना मुआविजा देना पड़ेगा, किस प्रकार कर्मचारियों को रखना पड़ेगा, मिल खचड़ा हो जायेंगी। जिनको लागू करने की इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है, दिल नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, और ऐलान कर देना यह प्रदेश के गन्ना पैदा करने वाले किसानों और उपभोक्ताओं के प्रति कितना बड़ा अन्याय है। यह ऐलान साबित करता है कि किस प्रकार यह सरकार पूंजीवाद की पोषक है।

समाजवाद का नाम कुछ साथी लेते हैं। मैं आदर करता हूं, मैं मानता हूं उस पक्ष में कुछ लोग ऐसे जो ईमानदारी से समाजवाद के हामी हैं। मैं नहीं कहता कि समाजवाद मेरा एकाधिकार है। बहुत से लोग हैं उधर भी, लेकिन उनका वश नहीं चलता। आज उनको सामने आना चाहिये, आज हमारे सामने इस बात की चुनौती है, कि हम देखें कि समाजवाद की ओर आगे बढ़े हैं या नहीं। मैं आज पूछना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी से कि इस भाषण के बाद राज्यपाल महोदय के भाषण में आप कहते है कि प्रयास बराबर जारी है। या पूंजीवाद को बढ़ावा आपने दिया है या नहीं ? आज तो आप सर्वसत्तासम्पन्न हैं क्योंकि केन्द्र और प्रदेश दोनों में आपकी सरकार मोजूद है और आज तक आपने चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया ? जो भी आपने कहा था कि यह किसानों के विरुद्ध बात है जो आज किसान हित विरोधी के दोषी आप हैं या नहीं ? जितने चार्जेज आपने लगाये थे, जो आपने विचार किया था वह विचार कहां गये ? बात बदल गई ? अब प्रयास जारी है और अनवरत प्रयास चलता रहेगा और जब तक सृष्टि चलती रहेगी तब तक यह प्रयास जारी रहेगा। यह उनके मजबूती से बढ़ते हुए कदम हैं जिसकी बदौलत आज उन्होंने केन्द्र तथा प्रदेश में एकाधिकार प्राप्त सरकार का गठन कर लिया है।

बांगला देश के प्रधान मंत्री ने एक ही दिन में सारी मिलों का सब तरह की चीजों का, बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया । तो यह सरकार मुजीब से क्यों सबक नहीं लेती और एक ही दिन में प्रदेश में सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण की घोषणा क्यों नहीं कर देती ? जिस बांगला देश के नाम पर हम लाखों और करोड़ों रुपये के टैक्स लगाये जा रहे हैं, अरबों रुपया बांगला देश को भेजा जा रहा है तो मेहरबानी करके आप उनसे यह सबक क्यों नहीं सीख लेते कि जब बांगला देश के प्रधान मंत्री ने सब चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है तो आप भी सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते ? यह सरकार लोगों को ललचायी आंखों से अपनी ओर देखने को मजबूर करती है और यह चाहती है कि गरीब गरीब बना रहे और गरीबी हटाने के नाम पर और कभी कभी टुकड़ा फेंक कर उसके वोट का इस्तेमाल करती है । यह अच्छी तरह से जानती है कि जब तक देश में गरीबी रहेगी तब तक उसको कोई हटा नहीं सकता । अगर आप सौदा नहीं करना चाहते है और इरादा पक्का है तो ऐलान करिये कि कोई भी बड़ा उद्योग इस प्रदेश में साल भर के अन्दर प्राइवेट सेक्टर के अन्दर नहीं रहेगा । मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा । रियासत साहब ने कहा कि 12 मिलें सरकार ने ले ली हैं ।

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

आप तो एक भी नहीं ले पाये थे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपने ऐसी फैक्टरीज को लिया है जिन्होंने दूध देना बन्द कर दिया है । मुझे खुशी होगी अगर ये फैक्टरीज मुनाफे में आयें । पब्लिक अंडरटेकिंग्स का एक सिद्धान्त है कि जनता पर बगैर टैक्स लगाये इन उद्योगों से जो फायदा हो वह समाज हित के कामों में खर्च हो । एक तरफ राष्ट्रीयकरेण की बात कही जाती है, दूसरी तरफ टैक्स लगाने की बात कही जाती है । इस दोहरी बात के तहत में केन्द्र तथा प्रदेश की सरकारों ने बेतहाशा टैक्स लगाना शुरू कर दिया है । और दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर के कारखानों ने घाटा देना शुरू कर दिया । अगर पब्लिक सेक्टर घाटा देता रहे तो पब्लिक सेक्टर रखने का क्या फायदा । जनता आपके टैक्सों के जरिये इस घाटे की पूर्ति करती रहे और इनके मनचाहे लोग विभिन्न स्थानों पर कहीं मैनेजिंग डाइरेक्टर, कहीं डायरेक्टर और कहीं दूसरे वहादों में पोलिटिकल एप्वायन्टमेंट के जरिये बैठा दिये जायं और कुछ पोलिटिकल लोगों की गरीबी दूर करने का एक सिलसिला जारी रहे तो इसका क्या मतलब है । मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सारी की सारी प्राइवेट संस्थाओं और फैक्टरियों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, पब्लिक सेक्टर में उसे लाया जाय और वह पब्लिक समाज और जनता के लिये हों । अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप लोगों को धोखा दे दीजिये किन्तु अब जनता आपके इन कुकृत्यों को माफ करने वाली नहीं है ।

मैं अपने मित्र प्रस्ताव महोदय के उन वाक्यों को दुहराना चाहता हूं जो उन्होंने पिछले साल इस कुर्सी पर बैठ कर उस दल के लोक सभा के लोगों को चेतावनी दी थी और कहा था कि माननीय नित्यानन्द स्वामी की पार्टी 99 चुन कर आ गई थी और जब जनता ने देख लिया तो कहां पहुंचा दिया । और वही बात मैं प्रस्तावक महोदय से कहना चाहता हूं कि आप अपनी पुरानी बात याद करिये । लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों पर गर्व मत करिये । आप अपने वसूलों पर जमे रहिये । जनता जानती है कि उसको क्या करना चाहिए । बावजूद इसके कि इस विधान सभा चुनाव में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां पैदा की गई है । यह हमारा निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर चार्ज है । किन्तु अगर हम मान भी लें कि सारे चुनाव निष्पक्ष हो गये, यहां के दसों उप चुनाव निष्पक्ष हो गये तो भी आप मत भूलिये कि हिन्दुस्तान की जनता को अब आप ज्यादा दिन तक भ्रम में नहीं रख सकते हैं ।

श्रीमन्, इनके पास दो ही हथियार हैं—हिन्दुस्तान की जनता पाकिस्तान के डर पर चलती है । हिन्दुस्तान में डर का राज्य है । यहां पर पाकिस्तान का डर दिखाया जाता है

[श्री कल्पनाथ सिंह]

और पाकिस्तान में हिन्दुस्तान का डर दिखाया जाता है। दोनों सरकारें इस कला में माहिर हैं और जहां वोट बटोरने का सवाल आता है तो इस बात का इस्तेमाल करती हैं और जनता के असली बुनियादी वसूलों को ओझल करने के लिये वह विभिन्न प्रकार के दूसरे नारे लगाती हैं और इसीलिये हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र के लिये जब शासक दल न रह जाय तो प्रजातंत्र के लिये खतरा पैदा हो गया है। वह खतरा एक तरफ नहीं है। आप देख लीजिये, यहीं पर राज्य सभा का चुनाव होने वाला है। शासकदल के पास इतने वोट नहीं है जिससे ज्यादा उम्मीदवार खड़े कर दिये। यह आप नैतिकता का नमूना देखिये।

कहां से वोट आयेंगे आपको? किसी बदौलत उम्मीदवार खड़े कर दिये? आप मजबूर कर देना चाहते हैं इन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों और आप विचार करके देखिये कि खरीदने की कोशिश तो आपने की लेकिन खरीद नहीं पाये और न जिन्दगी भर खरीद पायेंगे।

एक सदस्य—

आप बेचना चाहते हैं या नहीं? खरीदेंगे तो तभी जब कोई बेचेगा?

श्री कल्पनाथ सिंह—

खरीदार कौन है जरा बतलाइये। देखिये, बोल गये। मैंने किसी का नाम नहीं लिया पर बोल गये, नहीं मना सके। ये जेड० ए० अहमद हैं, वी० आर० मोहन हैं—ये क्या हैं? इन 8 उम्मीदवारों के पास वोट कहां से आयेगा? क्या क्या करिश्मा होने वाला है, भगवान मालिक है। आप श्रीमन, संरक्षण प्रदान कीजिये इधर के लोगों को।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

8 वह लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित हैं जबकि 3 आदमी वोट देने वाले हैं कम्युनिस्ट पार्टी को।

श्री कल्पनाथ सिंह—

4 हैं। लेकिन श्रीमन, कीमत क्या दी जा रही है? रूस से पैक्ट किया गया और उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्यों को और खास तौर से सरकारी पार्टी के लोगों को—कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करके। यह जीता-जागता उदाहरण है। कभी सोचा भी नहीं जा सका कि इस प्रकार इतना बड़ा बहुमत प्राप्त होने के बाद भी आखिर क्या कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी से इस प्रकार की सांठ-गांठ चलाई जा रही है। एक ही कारण समझ में आता है कि मालिक बैठता है मास्को में और मालिक का जो हुक्म होगा वह सब किया जायगा।

अब इस प्रदेश में जितने इनके मुहकमे हैं जरा थोड़ा-थोड़ा संक्षिप्त करके उनके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। जब सहकारिता का अध्यादेश आया था इस सदन में तो मैंने कहा था कि इसके पीछे कुछ दूसरी भावना छिपी हुई है। उस समय बात यह थी कि एक बैंक लिया गया था और अब धड़ाधड़ सरकारीकरण। हमारे दल के माननीय सदस्य कपूर जी हैं जो फैजाबाद कोआपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत विरोध किया, सरकार की कोई पूंजी नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन वह बैंक ले लिया गया। दूसरे भी बैंक लिये गये। धड़ाधड़ सरकारीकरण। सहकारिता को एक दम दफनाने का उन्होंने निर्णयकर लिया। सहकारिता को दबाने का सवाल, शिक्षा के स्तर का सवाल, क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में पिछड़ा हुआ प्रदेश है उसमें भी पिछड़े हुए जिले बुन्देलखंड के और पहाड़ी जिले हैं और पूर्वी जिले हैं। एक बार भी कोई निश्चित कार्यक्रम का जिक्र नहीं किया गया कि यह पूर्वी जिलों में विशेष तौर से लागू किया जायगा। क्या किया जा रहा है? हमीरपुर में, गाजीपुर में बैंक खोल दिया? उसका क्या मतलब? किन लोगों को बैंकों से कर्जा प्राप्त हो सका?

किसी प्रकार का आपने आसान तरीका बनाया है जिससे बिना जायदाद वालों को भी कर्जा मिल जाय। कितने लोगों को आपने टैक्नीकल सहायता दी है। यह नहीं कह सकते हैं। आज हो क्या रहा है? आज शिक्षक, इंजीनियर्स और डिप्लोमा होडर्स मारे-मारे फिर रहे हैं। पूर्वी प्रदेश में जो हो रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। संयोग से सरकार के जो पावन पांव इस प्रदेश पर पड़े तभी से इस प्रदेश की लगातार बरसात और बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है। यह गरीबी दूर करने के लिये आये थे और उसके बाद भी आपका कहना यह है कि पूर्वी प्रदेश के विकास के लिये जो विकास बोर्ड बनेगा उसकी क्या रूपरेखा होगी। यह निश्चय नहीं किया गया है और उसकी अनिश्चितता के कारण लोगों के अन्दर ऐसा आक्रोश व्याप्त हो गया है और वे समझ रहे हैं कि इस सरकार के रहते हुए पूर्वी प्रदेश या पिछड़े इलाकों का भला होने वाला नहीं है।

मैं एक बात कहूंगा और वह कि हमारे प्रदेश में सड़कों को बनाने के लिये बाम्बे प्लान बना वह विचित्र ढंग से बना। इस प्रदेश में ज्यादा सड़कों के बनाने का फैसला होना चाहिए था और केन्द्रीय सरकार से ज्यादा सहायता मिलनी चाहिये थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसमें पूर्वी प्रदेश की हालत क्या है? आप देखिये कि गाजीपुर 7/8 एम० एल० एज० पड़ते हैं एक कांस्टीटुयेंसी बनारस से मिली हुई है। अगर हम पूरी 8 की मान लें तो गाजीपुर जिले को कितनी सड़के मिलेंगी। 732 किलो मीटर्स 1981 तक और अन्य जिलों में रेशियों इससे भी भिन्न हो जाता है और श्रीमन्, यह स्थिति न केवल गाजीपुर की है बल्कि बलिया की भी है, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच और फैजाबाद की भी वही स्थिति है। सारे प्रदेश का औसत निकालेंगे तो एक सा पड़ेगा और दूसरी जगह का औसत निकालेंगे तो दूसरा पड़ेगा। हिन्दुस्तान में पिछड़े हुये उत्तर प्रदेश का औसत निकालेंग तो दूसरा पड़ेगा। हिन्दुस्तान में पिछड़े हुये उत्तर प्रदेश का और प्रदेश में पिछड़े हुये पूर्वी प्रदेश का। मैं यह नहीं कहता कि प्रदेश के अन्य भागों का विकास नहीं होना चाहिये। निश्चय पूर्व प्रदेश के सारे भागों का विकास पूरी तरह से होना चाहिये। जितनी केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी है उससे कहीं ज्यादा सहायता हमारे प्रदेश को मिलनी चाहिये थी। लेकिन ऐसा न करके इस सरकार ने क्या किया? कह दिया गया कि यह पार्टी की बात है। इससे क्या निकलता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अगर आपने बिजली की लाइन नहीं बढ़ाई सड़कों को नहीं बढ़ाया, उद्योग धन्धे नहीं खोले, खेती पर लगे हुए लोगों को दूसरे धंधों में नहीं लगाया तो मैं पूछना चाहता हूं कि तरक्की फिर किस प्रकार से होगी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण ने सरकार ने कतई इस बात का प्राविधान नहीं किया है कि अमुक तारीख तक पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रदेश के अन्य भागों के समान कर दिया जायगा। यह नहीं कहा कि बुन्देलखण्ड, पूर्वी जिले और पर्वतीय क्षेत्रों में सारे प्रदेश के साथ एक रूपता ले आई जायगी। वे यह चाहते भी कहां हैं? वे तो चाहते हैं कि लोग ललचाई आंखों से इनकी ओर देखते रहें, इन लोगों का मनोबल टूटा रहे और दल बदल होता रहे।

मैं एक निवेदन और करूंगा। रोडवेज सड़क परिवहन बनाया, सीमेंट निगम बनाया, सीवरेज परिषद् की स्थापना की और न जाने कितने निगम बनाये जायेंगे। एक लघु उद्योग निगम भी है। उसने क्या किया? मेरी अगर सूचना गलत हो तो सरकार उसे ठीक करे मैं उसको मान लूंगा। 6 हजार पावर थ्रेशर के लिये रेडियो से प्रचार किया गया कि लघु-उद्योग निगम इनको कृषि और कोआपरेटिव विभाग को खरीद कर देगा। क्वोटेशन्स लिये गये। लेकिन वह सब था गड़बड़ घुटाला। कृषि विभाग और कोआपरेटिव विभाग ने उसको कोई इन्डेन्टही नहीं दिया था। आफिसरों के दौरे और प्रचार पर खर्चे के बाद जब क्वोटेशन्स आ गये तो उनसे कह दिया गया कि अब उनको जरूरत नहीं है। पता नहीं उसमें क्या सचाई थी और यह तब जबकि उद्योग विभाग का चेयरमैन भी सचिव और लघु उद्योग का चेयरमैन भी सचिव। लेकिन ऐसा होते हुए भी कुछ बातें उसमें ऐसी हैं जो सन्देह के लिए गुंजायश छोड़ देती है।

[श्री कल्पनाथ सिंह]---

कुछ डेवलपमेंट आफिसरों को पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव करा कर मांग लिया। लेकिन 10 महीने तक किसी की नियुक्ति ही नहीं की गयी और आप उद्योगीकरण का नारा लगा रहे हैं। आपका उससे केवल एक ही मतलब है कि लोग आपकी ओर देखते कि आप क्या करने वाले हैं और ऐसी स्थिति आप पैदा करते हैं कि कहीं आपकी पकड़ न हो। और आप लफ्फाजी करते हैं। उस दिन जब बुनकरों पर यहां सदन में चर्चा हुई तो बार-बार मांग करने पर भी सरकार ने कुछ नहीं बताया, लेकिन आधा घंटा बाद यहां से जाने के बुनकरों के सामने जाकर घोषणा कर दी। इस पर प्रिविलेज का सवाल हम उठायेंगे। तो आप कहेंगे कि यह प्रिविलेज का सवाल तो नहीं है हां कर्टसी का सवाल जरूर हो सकता है।

उनकी वहां कोई पकड़ नहीं है। यों तो आश्वासन में यहां की बात हो तो पकड़ लें और मामला आश्वासन समिति के सुपुर्द हो जाय लेकिन वहां कोई पकड़ नहीं थी, लोग समझे कि आश्वासन मिल गया लेकिन जो सरकार सदन में बावजूद मांग किये जाने के कोई आश्वासन नहीं देती है और आधा घंटे के ही बाद सदन के बाहर जाकर आश्वासन देती है तो उस आश्वासन का कोई सही मतलब निकलने वाला नहीं है। इस तरह से उन्होंने घोषणा कर दिया।

यह मैं माने लेता हूं कि कुछ और लोगों को इन आयोग में रखने की बात होगी कि कुछ लोग उनमें रखे जायेंगे। किसी आयोग के चेयरमैन जो मिनिस्टर नहीं हो सके हैं और जिन पर कृपा होगी उनको उसमें प्रोवाइड किया जायगा लेकिन उन्होंने कोई पैसा किसी आयोग के किसी काम के लिये दिया है उसकी कोई रूपरेखा यदि साफ तौर से सामने आती तो हम कह सकते थे कि शायद उन का इरादा कुछ साफ है लेकिन ऐसी बात नहीं है।

प्रबन्ध में मजदूरों के साझे की बात। रोडवेज निगम बनने जा रहा है उसमें वहां के कर्मचारियों का साझा होगा या नहीं या चीनी मिलों में जो कर्मचारी हैं उन का कोई साझा रहेगा या नहीं। उन का उत्तर मिल जायगा लेकिन अगर हमारी जानकारी सही नहीं है तो वह करेक्ट कर दें शायद आजतक मजदूरों को कहीं भी प्रबन्ध में कोई साझा नहीं दिया गया है। यह सरकार समाजवाद का नारा लगाती है और केवल समाजवादी होने का दम भरती है। शैतान भी कभी-कभी अल्लाह और ईश्वर का नाम लेता है और तब खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं उस बढ़े हुए खतरे की तरफ सदन का और माननीय सदस्यों का और साथ ही प्रदेश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि नीतिगत प्रश्नों में सरकार ने आजतक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है।

भ्रष्टाचार की जहां तक बात है उस का जिक्र तक इसमें कहीं नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं समझी गई शायद इस प्रदेश में अब भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है। भ्रष्टाचार दूर करने की कोई बात कहीं है ही नहीं। अखबार में हमने पढ़ा कि 50 लाख के केस में जो बैंक से पैसा लिया गया था उस में पुलिस की जांच हो रही है और अब नागरवाला भी मर गया है। कम से कम इस प्रदेश में यह बात हमारे सामने आनी चाहिए थी कि भ्रष्टाचार निवारण के लिये क्या हो रहा है। क्या हालत है उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। श्री मैनेजर सिंह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल गई है और अब वह सदाचार हो गया है और शायद इसीलिये ऊपर से नीचे तक आज एक भी कर्मचारी, कोई भी बिना पैसे के काम करने के लिये तैयार नहीं है। या बिना सिफारिश के काम करने के लिये तैयार नहीं है। केवल एक धन्धा रह गया है सिफारिश का, ऐसी घिनौनी सिफारिश कि जिसका कोई अन्त नहीं है।

आप सारी बातों को छोड़ दें पुलिस महकमे को ही लेलें। जिस जिले से संयोग से इस सरकार के एक उप मन्त्री जी आते हैं उसी से मैं भी आता हूं। वहां का एक नमूना आप देखें। एक पुलिस के अफसर को कुछ बंजारों ने मारा, रिवाल्वर छीन लिया। सिपाही तो मौअत्तल लेकिन जिनका रिवाल्वर छिन गया व अस्पताल में भर्ती हो गये, उनको इनाम

देने की घोषणा हो गयी। वहां अखबार वालों से निकलवा दिया कि 101 रुपया उनको इनाम दिया जायगा क्योंकि उन्होंने वीरता का काम कर दिया। रिवाल्वर उनका छिन गया था, लात खाकर अस्पताल में पड़े थे। कहीं इस प्रकार की वीरता का काम सुनने को नहीं मिलेगा। दूसरे लगातार थानेदारों का स्थानान्तरण रोकना। छोटे से बड़े कर्मचारियों को इस थाने से उस थाने में स्थानान्तरण करना, चन्दा वसूल करवाना, यही होता रहा। आज तक भी वही स्थिति चलती जा रही है। चले मेरी बला से लेकिन चूंकि आप समझते हैं कि गरीबी दूर करने के लिए आपको जनता ने वोट दिया है, आपको जनता का समर्थन प्राप्त है, क्या जनता ने आपको यह अधिकार दिया है कि भ्रष्टाचार बढ़ाइये, बढ़ाइये ठीक है लेकिन जिस तरह की कार्यवाही हो रही है, जिले जिले में जिस प्रकार की घटनायें सुनने में आ रही हैं, जिस तरह से प्रशासन अस्तव्यस्त होता जा रहा, नागरिक जीवन त्रस्त होता जा रहा है, बड़ा खेद होता है कि गांधी के मुल्क में यह सब हो रहा है। उस मुल्क में हो रहा है जिसमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया था। उस मुल्क में यह सब क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? आज कायरता भीषण रूप से पनपाई जा रही है और सुनियोजित ढंग से लोगों को कायर बनाया जा रहा है।

श्रीमन्, इनके ही शासन काल में एक दैनिक "जागरण" में अपनी टिप्पणी लिख डाली। उसका कहना है कि डण्डा राज कायम हो गया। अनियंत्रित डण्डा राज और आप भी जानते हैं कि अखबारों की क्या स्थिति है। सारे के सारे अखबारों के ऊपर किस प्रकार का नियन्त्रण है क्योंकि इनको चलाने वाले पूंजीपति हैं और वे सरकार के साथ हैं। उनको जो हुकुम होता होगा, वही इनके मजदूर करेंगे लेकिन इनके इन सब के बावजूद भी यदाकदा जब मजदूर पेशा लोग जो इन अखबारों में काम करते हैं जब उनकी कलम चल जाती है तो सही बात कुछ न कुछ कह देने की स्थिति आ जाती है, उसके नाते मैंने यह कहा कि इस सरकार के बारे में कोई कुछ करे। इन्होंने यह किया है। इन्हें वोट चाहिए। अपने नाम पर कोई वोट नहीं मांगेंगे। इन्दिरा गांधी को वोट दो। फिर गरीबी हटाने का जो नारा है उसको जरा देखा जाय। अब तो सारे प्रदेश में इनकी सरकार कायम हो गई है। जरा देखा जाय कि गरीबी का क्या हस्र होता है। देखना अब यह है कि ये खासकर सरकारी भ्रष्ट आफिसर क्या करते हैं। उस भ्रष्टाचार में इनका इशारा है। इनकी वजह से भ्रष्टाचार है और इस सरकार की देन भ्रष्टाचार है। जिस प्रकार से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, क्योंकि आप लोग धीरे-धीरे इतने आदी होते जा रहे हैं और लोगों के मन में बैठता जा रहा है, दिल टूटता जा रहा है और यह बात भी भुलाई जा रही है कि भ्रष्टाचार के शिकायत करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा और वह यह कि आखिर यह जो हमारे प्रदेश की स्थिति है इसमें मकानों की समस्या बड़ी जबरर्दस्त समस्या है। शहरी क्षेत्रों में भी और देहाती क्षत्रों में भी। आपने हाउसिंग कारपोरेशन की बात कही कि वह बना हुआ है पहले से लेकिन सरकार ने अपनी घोषणा में इस बात का जिक्र नहीं किया कि अमुक तारीख तक सारे प्रदेश के लोगों को मकान मुहैय्या हो जायेंगे। उसमें भी बहुत विचित्र बात है। कुछ खास खास तौर-तरीके हैं और कुछ खास-खास लोग के और श्रीमन्, अगर ऐसा न हो तो जिनको सबसे पहले मकान की आवश्यकता है जो झोपड़ियों और झुग्गियों में रहते हैं, और फुटपाथ पर सोते हैं, क्या उनके आंकड़े सर्वे करके सरकार ने मंगा लिये हैं कि इतने लोगों को मकान की आवश्यकता है शहरों में और इतनी देहातों में। फिर वही बात है कि आवास और विकास परिषद् बना हुआ है देखते जाईये और इस आवास और विकास परिषद् तथा और जो और इन्होंने निगम बनाये हैं उनके तथा औरों के कार्यकलाप क्या हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तो ये कार्यकलापों को ये सुधार नहीं सके। उसमें कोई किसी प्रकार का ये परिवर्तन नहीं ला सके। कोई तब्दीली नहीं हो सकी और किया क्या।

[श्री कल्पनाथ सिंह]---

इन्होने एक काम किया कि दूसरे उसी प्रकार से निगम बनाते चले जा रहे हैं। यह आयोग बन गया या परिषद् बन गई यह निगम बन गई ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़कर कह दे कि वह तो स्वशासी संस्था है इसलिये हमारा उस पर हस्तक्षेप नहीं है और उनमें अगर गड़बड़ी होती है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। और जो चाहें सारी गड़बड़ी कर लें लेकिन ढाल अच्छी खोज रखी है। श्रीमन, एक बात और। कहा गया कि 11 मोबाइल अस्पताल खोल दिये गये हैं और उन अस्पतालों से यह समझ लिया है कि यह प्रदेश के लिये पर्याप्त हैं और प्रदेश की जनता को दवा दारू देने के लिये काफी हैं। अब तो श्रीमन्, जनता को अस्पताल तक जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या तमाशा है। मान्यवर, एक चीज और, और वह यह कि कुछ माननीय वित्त मन्त्री जी के यहां खोल दिये जायेंगे और कुछ माननीय मुख्य मन्त्री जी के एरिया में। एरिया से मतलब जहां उनकी विशेष कृपा होगी--- बाकी जगह नहीं। वरना 11 मोबाइल अस्पताल इस प्रदेश के लिये हैं क्या, लेकिन ढिंढोरा पीटा जा रहा है मानो अब आगे खोलने की आवश्यकता नहीं है। यह ऐसा नहीं कहेंगे कि मजबूरी में ऐसा किया जा रहा है और इन अस्पतालों से दवा और डाक्टर सभी घर पहुंच जायेंगे। जो अस्पताल पहले से ही खुले हुए हैं उनमें दवा तो है नहीं और जो दवा होती है वह डाक्टर और कम्पाउन्डर अपने-अपने घर ले जाते हैं और बेच खाते हैं। पब्लिक को मिलती नहीं।

एक बात का जिक्र और किया गया नसबन्दी का उसमें 11 आदमियों की जानें चली गयीं और कहा गया कि कोई आदमी मरा नहीं। मेरी सूचना के अनुसार जो डस्टिंग पाउडर गोरखपुर में सप्लाई हुआ है उससे ऐसा हुआ है। लेकिन क्या यह डस्टिंग पाउडर गोरखपुर के लिये ही आया होगा, दूसरी जगह के लिये नहीं, या यह जो डस्टिंग पाउडर है उसी जिले में उससे मरे होंगे दूसरे जिले में नहीं। लेकिन जो आपने कह दिया वह ठीक है। लेकिन मान्यवर, आप क्षमा करेंगे, यह कहने के लिये कि सारे के सारे अधिकारी सारा काम छोड़कर केवल नसबन्दी में लगे हुऐ थे और उनको टारगेट पूरा करना था। टारगेट इस सैंस में कि फ्लड का जो रुपया माननीय राजस्व मन्त्री जी ने दिया था उसका इस्तेमाल नसबन्दी के काम में हुआ है और रुपया उसी को मिला लेकिन जिसने नसबन्दी कराई और सर्वाधिक काम नसबन्दी का गोरखपुर डिवीजन में हुआ जहां गरीबी ज्यादा थी और उस गरीबी का उपहास किया गया और राजस्व विभाग के रुपये का खुला दुरुपयोग हुआ और दिल्ली में यह खबर भिजवा दी कि उत्तर प्रदेश और जिसमें गोरखपुर कमिश्नरी सबसे आगे है नसबन्दी के काम में। सारा काम बन्द और नसबन्दी के काम के लिये जबर्दस्ती कर्मचारियों को लगाया गया, नहीं तो मुअत्तल करने की धमकी दी गई, पता नहीं क्या-क्या हुआ अगर जांच हो तो खुला नग्न तथ्य सामने आयेगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार इस बात को देखेगी और माफी मांगेगी क्योंकि मैं जानता हूं कि सारी चीजें जो कुछ भी वहां पर हुई हैं वह ऐसी नहीं हैं जो सरकार की जानकारी में न रही हों।

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

उसकी जांच हो रही है जैसा कि आपने कहा कि अभाव के रुपये को नसबन्दी में खर्च किया गया।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अब यह तो आप स्वयं ही कह रहे हैं। ठीक है कि इसकी जांच हो रही है, आपकी बड़ी कृपा है। श्रीमन्, इसकी भी जांच करवा लें कि सरकारी नौकरों को कितना आतंकित किया गया था इस नसबन्दी के टार्गेट को पूरा करने के लिये। नसबन्दी के सिद्धान्त को मैं मानता हूं लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा होनी चाहिए जिससे लोग स्वेच्छा से जायं परन्तु यहां तो लोग लालच से और भय से जाते हैं। यही कारण है कि इसमें लापरवाही भी बर्ती गई जिसके बारे में अभी आप सुन ही चुके हैं।

श्रीमन्, अब प्रश्न सामने आता है कि आखिर हमारे प्रदेश के इस प्रशासन को चलाने में मुख्य मन्त्री जी ने कोई निश्चित उद्देश्य सामने नहीं रखा और किस हद तक उनके प्रशासन में हस्तक्षेप उनकी पार्टी या उनकी पार्टी के एम० एल० एज करते हैं इसको भी नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है। इसकी भी कोई एक सीमा होती है। स्थिति यह हो गई है कि गांवों में जितने दलाल थे वे अब नेता हो गये हैं। वे दलाल हमी लोगों की तरह से मोटा कपड़ा पहन कर, टोपी लगाकर नेतागीरी करते हैं और वे सभी के सब सरकारी पार्टी में पहुंच गये है। जिनका किसी कारण से ऐसा नहीं हुआ तो वह दूसरी पार्टी में हैं। सभी के सब जिसको देखिए मौदा तय कर रहे हैं। आप देखते हैं कि प्रशासन इसी प्रकार से भ्रष्ट और निकृष्ट होता चला जा रहा है। उनके लगातार हस्तक्षेप के कारण हमारा इतना पतन हो रहा है।

मैं आपसे यह अवश्य कहूंगा कि कृपा करके आप पुलिस के महकमें को छोड़ दीजिए। आपका काम किसी दूसरे मुहकमें से चल सकता हो तो आप चला लीजिये। आपका लगातार हस्तक्षेप नहीं होता रहता तो थानेदारों की नियुक्तियां और ट्रांसफर्स मन्त्री लोग नहीं करते और दिन प्रति-दिन के प्रशासन में उनका इतना अधिक दखल नहीं होता। आज ये लोग इसी काम में लगे हुए हैं। ऐसा न हो कि एस० पी० और डी० आई० जी० की रिकमन्डेशन दूसरी हो और मन्त्री जी का हुक्म दूसरा हो। आप सर्विसेज को पोलीटिकलाइज मत कीजिये। मुझे उदाहरण देने के लिये न कहिये कि किस हद तक पुलिस के अन्दर हस्तक्षेप आफिसरों और सारे लोगों को मरजी के विरुद्ध इस शासन में हुआ है। श्रीमन्, शायद ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जिसमें हस्तक्षेप न हुआ हो। वैसे ही इस प्रदेश में, इस देश में निरंकुशता बढ़ रही है। कम से कम पुलिस को इससे मुक्त रखिये और उनको स्वतन्त्र रूप से काम करने दीजिये। उनके आफिसर्स ही काफी हैं कि वह शासन चलायें। आपको अधिक से अधिक करना है तो एस० पी० का ट्रांसफर और पोस्टिंग अपने हाथ में रखिये। लेकिन उससे आपका काम नहीं चलता है और थानेदार तक पहुंच जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत जितना पुलिस का अंश आता है उतने तक कार्य करें। अगर उससे अधिक करेंगे तो भयंकर खतरा पैदा हो जावेगा। वह इस हद तक पहुंच चुका है कि मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि और वह यह है कि आखिर आपका उद्देश्य क्या है? आप अगर समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते है और गरीबों की गरीबी मिटाना चाहते हैं तो आप अपने कदम उस ओर बढ़ावें। कोई भी रुकावट रहेगी नहीं, लेकिन आपने एक कदम भी उस ओर बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा है। केवल एक बात ऐसी की है जिसका मैं समर्थन करूंगा। बसों के परमिटों में जो भ्रष्टाचार हुआ करता था वह कम हुआ है। लेकिन अब आगे उसकी क्या शक्ल बनती है यह देखना है। सिद्धान्त रूप में मैं यह मानता हूं कि वही एक तरीका ऐसा है जिससे भ्रष्टाचार में कुछ कमी हुई है। क्यों ऐसा हुआ है यह अलग बात है। वैसे मैंने सुना है कि आजकल परिवहन मन्त्री और मुख्य मन्त्री में कुछ झगड़ा है। पार्टी के नाते होगा लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

सिंचाई मन्त्री और मुख्य मन्त्री में भी है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हमारे मित्र कह रहे हैं कि सिंचाई मन्त्री से भी है। लेकिन वह होने वाला नहीं है। उनकी दोस्ती है। अगर परिवहन मन्त्री से विरोध के कारण ऐसा हुआ है, तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ठीक काम हुआ है। मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को जो आप केन्द्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की नीति से मुकर रहे हैं, वह अच्छी बात नहीं है। जब प्रदेश और केन्द्र दोनों में आपकी ही सरकार है तो उतना ही आप क्यों नहीं देते हैं? आपको दिक्कत क्यों हो रही

[श्री कल्पनाथ सिंह]

है । लेकिन नहीं, वह चाहते हैं कि पहले हड़तालें हों, इंकलाब जिन्दाबाद के नारे लगें तब यह वहां जायं और फिर घोषणा करें, लेकिन घोषणा के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं । ये तो सोचते हैं कि इनको तो रहना नहीं है, प्रदेश की जनता हटाये या न हटाये, मैंने सुना है कि कोई दूसरी तलवार इस प्रदेश की सरकार की गर्दन पर लटक रही है । लेकिन चाहे इनको रहना हो या न रहना हो, इस सरकार को जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा काम कर गुजरना चाहिए ताकि इस प्रदेश के लोग इनको याद करें । लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया । इसलिये आप मेहरबानी करके गरीब कर्मचारियों को सताने का फैसला छोड़ दीजिये, निरंकुशवाद का रास्ता छोड़ दीजिये और लोकशाही के मार्ग पर चलिये । समाजवाद की माला आप जरूर जपते हैं लेकिन बिड़ला और टाटा जैसे लोगों की दोस्ती आपसे छूटेगी नहीं ।

जिस प्रकार डेवलपमेंट टैक्स लगाने की बात यह सरकार सोच रही है अगर इस सरकार ने देहातों में गरीबों को छूने का फैसला किया, उनकी जेब कतरने का दुःसाहस किया तो जो सफेद क्रांति की बात कहते हैं, हरी क्रांति में तो आज भी गरीब किसान को पीसा जा रहा है, कितने लोगों को उससे फायदा हुआ ? यह जरूर है कि कुछ उत्पादन जरूर बढ़ा लेकिन उत्पादन की लागत इतनी बढ़ गयी कि सचमुच किसान को कोई लाभ नहीं मिल सका । बड़े किसानों की बात छोड़ दीजिये, साधारण किसान जिसको कहा जाता है कि उसको कोई लाभ नहीं हुआ और खासतौर पर छोटे किसानों को तो कोई लाभ ही नहीं हुआ । इसीलिये आप इस विकास कर को वापस लीजिये । अगर आपने इस कर को वापस नहीं लिया तो हमारे एक मित्र हैं वड़हज में मास्टर मोती, बी०ए०, उन्होंने एक किताब लिखी है—'एक और कदम"—उसमें एक लाइन लिखी है :—

"जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की,
उन हाथों में ही ताकत है सिर उतार लेने की ।"

*श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह के सवा दो घंटे के भाषण के बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें हमारी नीतियों से कोई शिकायत नहीं है । उन्हें केवल उनके कार्यान्वियन के तरीकों में जो खामियां हैं, उनसे शिकायत है । इस तरह से मान्यवर, हम उनके आभारी हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में जिन नीतियों की चर्चा की गयी है, उनसे वे सहमत जरूर हैं लेकिन जहां तक उनके कार्यान्वियन का प्रश्न है, उनसे उनका विरोध है । मैं मान्यवर बहुत ही संक्षेप में ही कहना चाहूंगा । पहले उन्होंने दल-बदलुओं की बात की । दल-बदलुओं का क्या सिद्धान्त है, वे कैसे आये और कैसे गये । मान्यवर, अगर गहराई से देखा जाय तो दल-बदलुओं को या उन लोगों को दलबदलू कभी नहीं कहेंगे जोकि नीति के आधार पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गये हों या फिर अपनी करेंट पार्टी में आ गये हों । मुझे याद है, 12/14 साल पहले माननीय कल्पनाथ सिंह जी भी पी०एस०पी० में रहे । जब वे गांधी जी की पालिसीज से प्रभावित हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि जिस कांग्रेस की लाश से उन्हें बदबू आ रही थी, उसमें खुशबू आ रही है और वे कांग्रेस में आने की बात सोची । आज जो लोग इस कांग्रेस में चाहें वे इन्दिरा गांधी की नीति से या उसकी प्रगतिशील नीति की वजह से आये हों, उनको भी दल-बदलू कहा जाय तो फिर इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है ।

मान्यवर, यह बात कही गई कि सेन्टर और स्टेट में झगड़ा चला था लेकिन मान्यवर मैं तथ्यों के बल पर यह कहना चाहूंगा कि सेन्टर की तमाम ग्रांट्स जो उत्तर प्रदेश को दी गयीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लैप्स कर गयीं और उस वक्त के मुख्य मन्त्री जी उसका यूटीलाइजेशन नहीं कर सके। किन्तु दोष सेन्टर को दिया गया कि सेन्टर की वजह से आर्थिक सहायता न मिलने के कारण, हमारा प्रदेश पिछड़ेपन की हालत में रह गया। यह कहना कोई मुनासिब बात नहीं होगी।

(इस समय 3 बजकर 3 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज स्टेट और सेंटर का झगड़ा जो चल रहा है, मेरी समझ में कोई झगड़ा नहीं है। वेस्ट बंगाल कांग्रेस की नीति से बिल्कुल विपरीत था और पंजाब भी रहा और मद्रास आज भी है लेकिन हमने कोई ऐसी नीतिनहीं बरतने का प्रयास किया कि जिससे ऐसा मालूम हो कि हम उनको कोई दूसरी नजर से देखरहे हैं। लेकिन मान्यवर, कुछ लोगों को हमारी अच्छाई भी बुराई नजर आवे तो यह दूसरी बात है। यह तो उनकी आंख का दोष है। आंख तो ईश्वर की दी हुई चीज है। ऐसी आंख तो सरकार श्री कल्पनाथ सिंह को दे नहीं सकती है। तो सरकार उनकी आंख के दोष को तो ठीक नहीं कर सकती कि जिससे उनको सरकार की अच्छाई भी बुराई नजर आ रही हो। सरकार ने 9 10 निगमों की स्थापना की। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। किन्तु हम श्री कल्पनाथ सिंह की तरह बैठे नहीं रह सकते। हम किसी दिशा में अवश्य चलेंगे। लेकिन हमारे श्री कल्पनाथ सिंह बैठे रहना चाहते हैं। तो जो आदमी किसी दिशा में नहीं जायगा, वह गल्ती करेगा ही नहीं। इसलिये अगर कल्पनाथ सिंह जी कहते हैं कि उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, तो यह उनकी तरक्की का कोई सबूत नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि उनकी कोई नीति नहीं है और न वे किसी नीति को मानने वाले हैं।

चुनाव के समय ट्रांसफर तथा भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही। यह कहा कि पुलिस का प्रयोग किया गया। मेरे क्षेत्र में कल्पनाथ सिंहजी व बंशीधर जी काफी दिनों तक रहे। उन्होंने एक दरोगा, एक नायक दरोगा, तथा एक कानूनगो का उदाहरण दिया। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इन ट्रांस्फरों के बारे में एक निष्पक्ष जांच आप माननीय अध्यक्ष महोदय, करा लें और यदि उसमें यह साबित हो जाय तनिक भी कि उनका ट्रांसफर चुनाव के कारण किया गया तो मैं पहला आदमी हूंगा जो सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। बात यह थी कि उनके खिलाफ काफी दिनों से कई शिकायतें चली आ रही थीं। जब कभी उनका ट्रांसफर होता था माननीय कल्पनाथ सिंह जी के प्रभाव के कारण वह रुक जाता था। जब उनकी ज्यादतियां बढ़ती गयीं तो मैंने उनका विरोध किया कि उनको वहां नहीं रहना चाहिये। जो विशुनपुरा के दरोगा थे वे जब कोई मुल्जिम कत्ल या डकैती में पकड़ कर आता था उससे कहते थे कि रउराई रे नानू करे के चाही (तुझे यह काम नहीं करना चाहिये था)। 302 के मुलजिम से केवल यही कहा जाय तो समझ लीजिये वह किस प्रकार का दरोगा था। उसके खिलाफ कई शिकायतें थी। फिर एक आदमी जिसको तीन, साढ़े तीन साल हो गये हों एक जगह रहते हुये उसको अधिक समय तक क्यों रहने दिया जाय। इन सारे कारणों से ट्रांसफर हुये। उसके पीछे चुनाव का कोई संबंध नहीं था।

मान्यवर, दरभंगा चुनाव में मैं और रामधारी शास्त्री जी गये थे। उनका यह कहना था कि बिहार के मुकाबले उत्तर प्रदेश का शासन हजार गुना अच्छा है.....

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मैंने कहा था कि जितना भ्रष्टाचार वहां है उससे कम यहां है।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, यह लोग उन लोगों में से है कि जो इसमें विश्वास करते हैं कि करो कुपत, बात कहो सुपत। जब विरोध में बैठ कर हाउस में बात करेंगे तो ईश्वर के अवतार बन कर आ जायेंगे,

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

सारे गुणों की मोनोपोली इनकी हो जायेगी, हमारी सारी कमियां इनको नजर आने लगेगी, जब इधर बैठेंगे तो सब भूल जायेंगे। अपनी कमियों को हमने सदा माना है। हमने स्वयं माना है कि जितना धन हमें चाहिये उतना जुटाने में हम विफल रहे हैं। हम उसको जुटाने में कुछ हद तक विफल रहे हैं, हम उस कार्यक्रम को उस तेजी से, उस स्फूर्ति के साथ नहीं कार्यान्वित कर सके जिस तरह से होना चाहिये था। इसके कुछ कारण हैं। इस दशा में हमको कोई भ्रष्ट कहा करे अपनी ईमानदारी साबित करना चाहता है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वह केवल अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिये हमें भ्रष्ट और बेईमान कहता है। हमारी सरकार अभी 4 अप्रैल को बनी है। वह कहते हैं कि असली समाजवादी हमीं हैं और एक समय में भ्रष्टाचार से दुखी होकर वह उससे अ...ा हो गये और उनका समाजवाद उनकी नजरों में असली था। लेकिन 14 वर्षों बाद वह समाजवादी समाज की कल्पना के प्रति आकर्षित होकर फिर उस जगह आ गये थे, जिसकी भ्रष्टता से पीड़ित होकर पहले वह अलग हो गये थे। चन्द रोज पहले हम और वह एक साथ ही थे।

गुप्त जी बहुत प्रभावशाली नेता हैं, मैं आज भी उनका बड़ा आदर करता हूं। यह परिस्थितियों की बात है कि वह मुख्य मंत्री रहें या न रहें। लेकिन समाजवादी नीतियों के कार्यान्वित न होने की बात, जिससे देश का कल्याण हो सकता है, उसके जिम्मे डालना जो केवल 4 अप्रैल से आई कमलापति त्रिपाठी की सरकार है कदापि उचित नहीं हो सकता है, किसी भी दृष्टि से यह तर्कयुक्त और युक्तिसंगत बात नहीं है। क्या उसके पहले की सरकार में कल्पनाथ जी मंत्री नहीं थे। जिस जिले से वह आते हैं उसी में ऐसा नमूना प्रस्तुत करते अपनी नीतियों से और अपनी ईमानदारी से तो हमारा भी सिर झुक जाता कि आज जो विरोध पक्ष में बैठे हैं, उनकी वाणी में सत्यता है। आज उनकी वाणी में शक्ति है, विरोध पक्ष में बैठने के बाद हमारी कमियों की तरफ उनकी दृष्टि जा रही है लेकिन अपनी खामियों की तरफ उनकी दृष्टि कदापि नहीं जायेगी। यदि मुकाबिला करें तो उनकी गल्तियां ज्यादा मिलेंगी। लेकिन विरोध पक्ष के नाते, अपनी आदत के नाते केवल विरोधी होने के नाते हर चीज का विरोध करने का उनका स्वभाव है और यह चश्मा उन्हीं के पास है।

यह बात बड़े जोरों से कही गई कि सेन्ट्रल के भेदभाव के कारण उत्तर प्रदेश हमेशा पिछड़ा रहा है, क्योंकि प्रति व्यक्ति हमें पैसा कम मिलता था। उस वक्त सेन्ट्रल फण्ड के एलोकेशन की जो नीति थी वह प्रति व्यक्ति के हिसाब से न होकर स्टेट के साईज के हिसाब से थी। परिणाम उसका यह होता था कि कम आबादी वाले राज्यों को प्रति व्यक्ति ज्यादा एड मिल जाया करती थी। इस चीज को आगे चल कर अनुभव किया गया और उत्तर प्रदेश की तरफ से यह विचार रखा गया कि सेन्ट्रल एड का जो एलोकेशन है वह आबादी के हिसाब से हो। नतीजा यह हुआ कि इस विचार के कार्यान्वित हो जाने पर उत्तर प्रदेश को भी ज्यादा मिलने लगा।

इसमें एक वजह यह भी थी कि जिस प्रदेश का मालिक होता है उसे अपने प्रदेश को खुले हाथ देने में संकोच होता है। आज तक उत्तर प्रदेश से ही हमारे सारे प्रधान मंत्री हुए हैं, जिन की ईमानदारी के बारे में कोई सुबहा नहीं किया जा सकता है। इसलिए देश का मालिक होने के नाते उन्होंने एक संजीदगी बरती कि हमारे ऊपर कोई यह चार्ज न लगे कि जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसको औरों से कुछ ज्यादा देते हैं। यह एक ईमानदारी और नैतिकता का कारण है, क्योंकि मालिक कुछ ज्यादा संजीदगी और ईमानदारी बरतने की चेष्टा करता है। अब तीन वर्ष हुए यह बात तय हो गई है कि सेन्ट्रल-एड प्रति व्यक्ति के हिसाब से देंगे। इसका श्रेय हम सभी को जाता है।

ट्रांस्फर की बात यहां बड़े जोरशोर से कहीं गई। जब हम लोग विरोध पक्ष में नहीं आये थे, बी० के० डी० का प्रशासन चल रहा था, तो उनके तीन मास के अल्पकालीन शासन में इतने ज्यादा ट्रांसफर्स हुए जितने हमारी गवर्नमेंट के जाने के एक साल भर में नहीं हुए हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे माननीय मित्र जिन लोगों के साथ बेठे हुए हैं विरोध में उनके जमाने का एक सर्वेक्षण कर लें, तीन-चार महीने के अन्दर जो भ्रष्टाचार हुआ, इस सरकार को दस-बारह महीने आये हुए, हुआ है, साल दो साल और रह जाय तो भी उतना भ्रष्टाचार यह सरकार न करेगी। एक तरफ कह देना कि सारी डेमोक्रेसी भ्रष्ट है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जब हम सख्ती करते हैं । तो कहते हैं कि उनके साथ अन्याय होता है। यह दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। भ्रष्टाचार जरूर है। हम चाहेंगे कि वह हमारे भ्रष्टाचार को बतलाएं कि किस मानी में भ्रष्टाचार किया। लेकिन उसके मिटाने में उनकी सहयोग देना चाहिये। अगर वह गलतियों को दबाने में सहयोग न दें तो हम उनसे ऐसी आशा नहीं करते। ब्युरोक्रैसी, चाहे जिसकी सरकार रही हो, जितनी ब्युरोक्रैसी आज ताकतवर है, शायद उतनी ताकतवर किसी प्रदेश में नहीं है।

मैं उदाहरण देता हूं। अगर एक असिस्टेंट इंजीनियर, ट्यूबवेल का यह कह दे और किसी वजह से उसको उस लायक खुश न कर सकें तो सारे नेता कहते चले जायं कि यहां पर ट्यूब वेल होना जरूरी है, अगर हम उनको खुश न कर सकें, चाहे किसी की सरकार रही हो, गुप्ता जी की सरकार रही हो, चौधरी साहब की सरकार रही हो अगर वह कहदें कि पानी का स्ट्रेटा यहां नहीं मिलता, और माननीय मुख्य मंत्री कह दें कि पानी का स्ट्रेटा है, और यदि ट्यूबवेल की खुदाई में पानी का स्ट्रेटा न मिला, जो असिस्टेंट इंजीनियर की मिसाल दे कर हाउस में यह कहेंगे कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट की ओपीनियन अपने राजनीतिक स्वार्थ में नहीं मानी। अब आप बता दें कि इस तरह के लोग जो टेक्निकल होने के नाते इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हो, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहायक हों, क्या उनकी निरंकुशता को दबाने के लिये हमारा फर्ज नहीं है ? लेकिन आप सहयोग देने के बजाय मौके ढूढ़ेंगे, एक सेक्रेटरी ने कोट कर दिया, अगर मिनिस्टर ने उसके विपरीत आर्डर दे दिया तो आप हाउस में कोट करेंगे कि इसमें कोई पालिटिकल स्वार्थ था। मैने हाउस में कहा था कि कुर्सी बदलने के साथ-साथ मान्यताएं नहीं बदलनी चाहिये। मैं आज भी इसका कायल हूं। अगर विरोधी पक्ष से कोई बात कही है तो ट्रेजरी बेंचों में बैठने के बाद विपरीत बात नहीं करनी चाहिये। आज ये बातें हैं, जो नहीं होनी चाहिये।

मैने आपकी अध्यक्षता में यह निवेदन किया था कि मैं चाहूंगा कि इस किस्म का कोई फोरम कोई कमेटी विरोधी पक्ष और ट्रेजरी बेंचेंज की बने जो सारी ब्युरोक्रेसी की पावर को कैसे खत्म कर सकें, उनकी निरंकुशता को कैसे खत्म कर सकें, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कर सकें, यह देखे अगर इस तरह की कोई कमेटी बनती तो आशा करता हूं कि ये तमाम चीजें खत्म हो सकती हैं। एक भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, क्या विरोधी पक्ष के लोग ऐसे अधिकारियों की सिफारिश में नहीं जाते ? अगर मेरी जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार कराने की तो वही आप बेईमानी क्यों करवाते हैं ? तो इस चीज से कोई बचा ही नहीं है लेकिन साथ ही साथ आपने दाग मेरे से बड़ा हो और आप मेरे पर छींटा कसें कि मुझ में बड़ा भारी दाग है तो यह कोई अच्छी चीज नहीं है। लिहाजा मेरा निवेदन है कि आप सर्वसम्मति से एक ऐसी कमेटी बनायें तथा फार्मूला तैयार करें जिससे ब्यूरोक्रेसी की पावर को, उसकी निरंकुशता को रोका जा सके, भ्रष्टाचार को रोका जा सके और उसका जो कुछ निर्णय होगा उस पर हम पालन करने को तैयार हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं। इस मंत्रि परिषद् में उनका बड़ा प्रभाव है। वह हिचकेंगे नहीं। उनके साथ हम सहयोग करने को तैयार हैं। कमेंट्स करने से समस्याओं का समाधान हो जाय तो दूसरी बात थी।

मुख्य मंत्री और परिवहन मंत्री बलराम सिंह यादव में कहा गया कि बड़ा मतभेद है जिसकी वजह से रोडवेज निगम की स्थापना हुई है जो एक अच्छी बात है। मेरा निवेदन है कि वह मनावें कि मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में मतभेद बढ़े तो और निगम स्थापित होंगे और उससे जनता को राहत मिल सकेगी। लेकिन इससे आपको भयभीत होने का कोई कारण नहीं दीखता। आपको इंदिरा जी की नीतियों से भय है, इंदिरा जी का भूत सर पर सवार है जो 24 घंटे उनको सताता है पर्सनालिटी कल्ट के नाम पर, डक्टेटर

[श्री राज मंगल पाण्डे]

शिप पर, गरीबी हटाओं आन्दोलन के नाम पर । लेकिन आप शायद उन किस्म के लोगों में हैं जो केस हार जाने पर भी बहस करते हैं । हमारे साथ केदार नाथ नाम के वकील थे । वह जब जज मुकदमें का निर्णय लिखता होता था तब भी बहस किया करते थे । मैंने जब पूछा यह बहस क्यों की जा रही है तो लोगों ने बताया कि इनके बाप तो फैसले के बाद भी बहस किया करते थे । उसी तरह से आज विरोधी पक्ष के लोग बहस करते हैं बड़ी धांधली हुई इलेक्शंस में ।

उत्तर प्रदेश में 10 बाई इलेक्शंस हुए, सारे देश में 10,12 स्टेट्स में इलेक्शस हुए । उनका फैसला जनता ने दे दिया लेकिन उसके बाद भी कल्पनाथ जी फैसले की बात करते हैं । मैं स्वयं यह कहता हूं, इंदिरा जी का कहना है कि तीन साल के अन्दर अगर हम समाजवाद गरीबी हटाने, बड़े वर्ग और छोटे वर्ग की असमानता को, खाई को दूर करने में कामयाब नहीं हो सके तो निश्चित है कि उसकी प्रतिक्रिया हमको भुगतनी होगी । हम इसके लिये जागरूक हैं । हम जानते हैं कि जिस जनता ने हमको चुन कर भेजा है उसकी आशाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप हम कार्य नहीं कर सकेंगे तो निश्चित है कि जनता हमको नहीं रहने देगी । मुस्तकिल हम यहां हो कर नहीं आये हैं ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

आपने कहा कि तीन साल के अन्दर अगर कुछ नहीं किया तो जनता आपको हटा देगी तो राज्यपाल के अभिभाषण में उस कदम को उठाने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ।

श्री राज मंगल पांडेय—

हमारी एक नीति है कि कुछ करना है और जनता की गरीबी हटानी है । लेकिन जिन देशों में कोई कमी नहीं थी, जो धनी देश थे वहां भी आज अनएम्पलायमेंट का सामना करना पड़ रहा है । इंग्लैन्ड, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैन्ड में प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि जो गरीबी हटाने का आन्दोलन हम कर रहे हैं उसके लिये मैं यह नहीं कहता कि 100 फीसदी गरीबी हम हटा देंगे । हमारा प्रयास है और निरन्तर हम वह प्रयास करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि वह गरीबी हट न जाय लेकिन तीन वर्ष में इतना कर जायेंगे । इतना हम कर जायेंगे ताकि आपको वह नजर आये कि यह हमने किया है । इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया है । हमारे साथी माननीय पांडेय जी अभी बड़ी अच्छी लच्छेदार स्पीच दे चुके हैं किन्तु मैं नहीं समझ पाया कि जो उनका अभिभाषण था उसमें इन बातों का जिक्र भी था या नहीं । उन्होंने तो माननीय कल्पनाथ सिंह और अपने बीच इस तरह से हरएक बात का जवाब दिया, जैसे आज घर-घर में लड़ाई हुआ करती है। उन्होंने भ्रष्टाचार, दल-बदलूपन आदि के बारे में कह डाला किन्तु जो गवर्नर साहब का अभिभाषण है उसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया । जब हमारे एक साथी ने पूछा भी कि आपकी जो नीतियां उसमें कहीं गई है, उन पर प्रकाश डालें तो उसका जवाब पांडेय जी न दे पाये । खैर इंदिरा जी ने 3 साल का वायदा किया है । 3 साल भी दूर नहीं है । जब आपके शासन को देखते-देखते 25 साल हो गये तो तीन साल का समय देखना कोई बड़ी बात नहीं ।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, हम अगर कर्मचारियों और अफसरों को ही भ्रष्ट कहें और उन्हें कोसें तो यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यही एक कौम है जिसको कि आराम

से कोसा जा सकता है कि ये भ्रष्ट हैं । किन्तु वास्तव में उनका दोष नहीं होता है । उनका दोष तो इतना होता है जिस प्रकार घोड़े पर सवार होने वाला आदमी अपने घोड़े की चाल ठीक न निकाल पाये तो दोष घोड़े का नहीं सवार का होता है। दोष है सरकार का और कहा जाता है कर्मचारियों के लिये । भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आजकल तो यह एक धर्म सा बन गया है चाहे शासक दल के लोग हों, चाहे अधिकारी हों या चाहे कोई भी हो, सबकी नीयत यह होती है कि मालदार कैसे बना जाय और मालदार वह भ्रष्ट तरीके से ही होता है।

जो राज्य पाल का अभिभाषण है, उसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा है । अभिभाषण बड़ा सुन्दर और अच्छे लफ्जों से सजाया गया है परन्तु मुझे मालूम नहीं पड़ा कि इसमें क्या नई चीज है जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि इसमें अच्छी नीतियां दिखायी गई हैं । पिछले भाषणों से अलग यह भाषण हो, ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ । एक चीज नई अवश्य इसमें देखी गई है जो कि पिछले अभिभाषणों में नहीं देखी गई थी । इसमें निगम बनाने के बारे में जोर दिया गया है । हर चीज के लिये चाहे वह रोडवेज हो, चाहे इन्डस्ट्री हो और चाहे बुनकरों का ही मामला क्यों न हो, हर चीज के लिये निगम बनाने पर जोर दिया गया है । भ्रष्टाचार के लिये भी यदि एक निगम बन जाता तो ठीक था । निगम बनने पर बड़ा भारी जोर है । पता नहीं निगम बना देने से कितनी बेकारी दूर होगी, कितने और कहां उद्योगों की स्थापना होगी कितनी गरीबी दूर होगी । हां, मैं इतना जानता हूं कि इन निगमों के बन जाने से हमारे जितने साथी हैं उनको इन निगमों और उसकी कमेटियों में रहने का मौका मिल जायगा और उसमें वे आराम से बैठ जायंगे । उनका भत्ता और उनकी जो हविस रहती है मन्त्री और डिप्टी मिनिस्टर बनने की वह अब चेयरमैन बन कर काफी हद तक हल हो सकती है । उससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं होता है कि कुछ होगा ।

इस अभिभाषण ने जो पिक्चर जनता को दिखायी है उससे मालूम होता है कि न हम पिछड़े हुए हैं, न गरीब हैं । उससे साफ जाहिर है कि हमारा प्रदेश खेतिहर प्रदेश है, खेती ही मुख्य पेशा है । उसके अलावा उद्योग या दूसरे पेशे गौड़ हैं? उसी प्रकार उसमें जो यह 10 करोड़ की भूमि विकास लवी इम्पोज की गयी है उससे साफ मालूम होता है कि वह तो उसी प्रदेश पर लग सकती है जिस प्रदेश का पूर्णतया विकास हो गया हो। मैं नहीं समझ पाता कि किस मान में हमारी सरकार यह समझती है कि प्रदेश का विकास हो गया है । अगर पिछले साल अन्न ज्यादा पैदा हो गया, गेहूं ज्यादा हो गया उससे विकास मान लेना या उसे विकास की संज्ञा दे देना मैं औचित्यपूर्ण नहीं समझता । क्योंकि आपके यहां पिछले साल चीनी का उत्पादन काफी था लेकिन इस साल काफी घट गया । तो आपकी खेती कोई विकास या बेविकास के ऊपर नहीं है । यह तो ऊपर वाले के ऊपर है कि उसकी मेहरबानी हो जाय, वर्षा वक्त पर हो जाय और अन्य बातें सामान्य रहें तो पैदा हो जाती है वरना तो एक दफा बाढ़ आयी, एक दफा वर्षा अधिक हुई तो सब चौपट हो गया । तो उसको विकास मान लेना मैं कोई ज्यादा उचित नहीं समझता। मान्यवर, यह जो आपन किसानों की बात कही और विकास के नाम पर कर लगाया और बड़ी चर्चा की गयी है कि बिजली में बड़ी छूट दी गयी है, जिससे किसानों का बड़ा भला होगा, मैं नहीं समझ पाता कि जो मिनिमम गारंटी सरकार ने हटाई उसके बाद किसान को कितना लाभ हुआ । इसका पता तो किसान को लगा कि आपने तीन रुपया प्रति हार्स पावर प्रति महीना लगा दिया। 10 हार्स पावर पर 30 रुपया महीना हो गया । उसके अलावा दो रुपया लाइन टैक्स लगा दिया चाहे बिजली चले या न चले उससे मतलब नहीं । सीधी सी बात है कि उनको देना ही है । उसके अलावा आपने बहुत रियायत की है कि प्रतियूनिट जो रेट था 17 पैसा था उसको अब बढ़ा कर 20 पैसा कर दिया । पता नहीं कौन-सी छूट किसान को दे दी, कौन सा लाभ कर दिया ?

आपके अभिभाषण में यह बात कही गयी दूसरा इस प्रकार का संकेत दिया गया कि जमीन का जो विकास हो गया है उस पर भी कर लगाने का विचार है । लेकिन जिसका विकास हो

[श्री त्रिलोक चन्द]

गया है उसी पर लगान बढ़ाना चाहिये। यह भी हो सकता है कि जिसकी केवल दो एकड़ जमीन हो और छोटी सी जमीन हो, इसलिये उसने कोशिश करके अपनी जमीन की किस्म अच्छी कर ली हो। लेकिन एक किसान जिसके पास 100 बीघा जमीन है जिसकी जमीन बेकार पड़ी है, उसकी जमीन की किस्म नहीं बदलेगी। इसके माने यह हैं कि मेहनत करने वाले मारे जायेंगे। जिसने कोशिश करके उत्पादन बढ़ाया है और अपनी जमीन की किस्म को अच्छा किया है उस पर टैक्स लगेगा और आदमी काम न करे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसकी जमीन की किस्म बदली नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो मेहनत करते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। उनके साथ जुल्म होगा जो हमारी सरकार करने जा रही है। चाहे वह प्रगति के नाम पर हो या टैक्स लगने पर हो और वह भूमि विकास के नाम पर लगे। यह किसानों के साथ अन्याय होगा।

एक बात यह है कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस मौजूदा अभिभाषण में जो विकास कर लगाया गया है उसका ज्यादा असर पश्चिमी प्रदेश पर पड़ने वाला है और चूंकि पूर्वी प्रदेश पिछड़ा कहा गया है और पिछड़ा है भी और यही प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट भी है। इसका असर पश्चिमी प्रदेश पर ही ज्यादा पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इरादे से ही ऐसा काम किया है। पूर्वी प्रदेश के गांवों पर जो बिजली की वसूली 16 प्रतिशत थी उसको गांव समाज देता था, उसको वहां आपने 8 पैसे कर दिया है लेकिन पश्चिमी प्रदेश में वही 16 प्रतिशत रह गयी है। पूर्वी प्रदेश में 6 हजार रुपये की छूट है लेकिन पश्चिमी प्रदेश में नहीं। विकास के नाम पर भी ऐसा ही होगा। यह जो कर लगा है पूर्व और पश्चिम को ध्यान में रख कर लगा है। उधर की प्रगति को रोकने के लिये ऐसा किया गया है।

उपाध्यक्ष जी, नरोरा में विद्युत् केन्द्र बनने वाला था जिसका जिक्र पिछले साल भी बहुत था और इस साल भी चर्चा रही कि कहां पर यह लगेगा। होली से पहले मैंने एक पत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, उप मन्त्री साहब को लिखा कि यह विद्युत् केन्द्र माताटीला जाने वाला है। आप चूंकि हमारे यहां के प्रतिनिधि हैं इसलिये ऐसी कोशिश कीजिये कि यह वहां न जाकर नरोरा में ही लगे। 22, 23, 24 तारीख को समाचार-पत्रों में कुरील साहब का बयान छपा कि यह विद्युत् केन्द्र नरोरा में ही लगना निश्चित हो गया है और मार्च के पहले सप्ताह में लगना शुरू हो जायगा। लेकिन भाषण में मैंने पढ़ा कि इतना निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में लगेगा। लेकिन कहां लगेगा यह निश्चित नहीं है। पता नहीं इस अन्तर का क्या कारण है? इस साल अगर इसकी सफाई हो जाती तो अच्छा होता। मैं समझ गया कि पश्चिमी प्रदेश के साथ एक तरह से सौतेला व्यवहार है।

मान्यवर, हरिजनों के नाम की बड़ी दुहाई दी गयी और इस बजट को भी हरिजन कल्याण का बजट कहा गया। उनको मकान बनाने के लिये 5 हजार का लोन दिया गया। पानी पीने के लिये कुआं बनवाने को भी रुपया दिया गया। कहा गया हरिजनों के लिये सब कुछ किया जा रहा है। इसके लिये कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन देखना यह है कि हुआ क्या? 25 सालों में उसकी क्या प्रगति हुई? आपने मकान और पानी के लिये उनको जो सहायता दी, उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। अगर आप उनको मकान के लिये, पानी के लिये और बैलों के लिये सहायता न देते किन्तु उसके स्थान पर अगर आप उनको छोटे उद्योगों में लगा देते और उनकी बेकारी को दूर कर देते तो उनको अधिक लाभ हो जाता। उनको रोजी मिल जाती। जहां तक मैं समझता हूं हरिजन आपके दान को चाहते हैं और न दान किसी नागरिक को लेना ही चाहिये। हरिजन सबसे ज्यादा मेहनतकश कौम है। अगर आपने उनको कोई छोटे उद्योगों की योजना बना कर दी होती, जिससे वे अपनी रोजी रोटी पैदा कर सकते होते तो उनका अधिक लाभ हो जाता और स्थायी लाभ मिलता। मकान बनाने से कुछ आराम तो उनको जरूर मिल गया लकिन कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ।

मजदूरी तो उनको अब भी एक रुपया और सवा रुपया मिल रही है। जहां तक भाषणों की बात है पिछले 25 सालों से इसी प्रकार की बात कही जाती रही है।

आपने हरिजनों के बारे में एक आदेश भेजे और उनकी बड़ी भारी पब्लिसिटी भी की गयी। कहा गया कि उनको प्रमोशन, कनफर्मैशन में भी 18 फीसदी का रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन मुझे आज स्वतंत्र भारत में पढ़कर बहुत दुख हुआ कि उच्चाधिकारियों ने उनके प्रमोशन को रोकने के लिये अभी से उनको बैड एन्ट्री देना प्रारम्भ कर दी है। आपके उस जी० ओ० से क्या लाभ हुआ। आपके 10 फीसदी उनको पदोन्नति और कनफेमैशन में देने की बात से किस प्रकार से उनको लाभ हो पायेगा। यह नहीं कहता कि आप उनकी भलाई न करें। आप खूब उनकी भलाई करें। लेकिन उनकी भलाई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये।

आपके इस अभिभाषण में बड़े उद्योगों की बात तो कही गयी है कि इतने लाइसेन्स उनके लिये प्राप्त किये गये लेकिन छोटे उद्योगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इससे आप बढ़ती हुई बेरोजगारी को किस प्रकार से रोक पायेंगे। छोटे उद्योगों को आपने छोड़ रखा था कि 3 साल तक उनसे बिक्रीकर नहीं लिया जायगा लेकिन वह भी अब आपने लगा दिया। इस से वे और समाप्त हो जायेंगे। आपकी नीति बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने की है। आप सीलिंग की बात कहते हैं. मैं नहीं समझता कि सीलिंग से आप क्या कर सकेंगे जब कि सारी जमीन बट रही है और उसका तेजी से फर्जी बटवारा किया जा रहा है। जब तक आप सीलिंग लावेंगे तब तक कुछ जमीन बचेगी या नहीं इसमें ही शुबहा है। वह एक बार पहले भी आई थी और उससे कितने हरिजनों को लाभ हुआ था यह नहीं मालूम है। माननीय राजस्व मन्त्री जी बैठे हैं मैं चाहूंगा कि सीलिंग आप एक दो साल पहले से लेवें और जिस जमीन को परिवार में बांट रखा है वह भी 15 एकड़ से अधिक एक परिवार में न रहने दें। आप इस प्रकार प्राप्त की हुई जमीन को इस तरह से बांटें ताकि गरीबों को भी कुछ जमीन प्राप्त हो सके।

इसके अलावा एक बात मैं और कहूंगा कि आपने कहा कि आठवीं कक्षा तक की शिक्षा सरकार अपने हाथ में लेगी लेकिन इस से लाभ क्या होगा? उसको लेने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मेरा सुझाव है कि अगर आप प्रदेश से असमानता को मिटाना चाहते हैं तो आप अपने यहां शिक्षा की पद्धति सबके लिये एक-सी करियेगा। कहीं आपके यहां अंग्रेजी टाइप स्कूल चलते हैं और कहीं दूसरी तरह के स्कूल हैं। सब की शिक्षा एक तरह की होना चाहिये, गरीब व अमीर के बच्चे एक जगह पर पढ़ें ताकि उनमें से असमानता की भावना दूर हो। मन्त्रिगण और बड़े अधिकारियों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं और चपरासी व गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों के मन में भावना घर कर लेती है कि यह साहब के बच्चों का स्कूल है और यह हमारा स्कूल है। यह भावना उनमें आरम्भ से ही उगती है। आप एक ही शिक्षा पद्धति पूरे प्रदेश के लिये चलायें ताकि गरीब अमीर का अन्तर बच्चों के मन में न रहे और छोटे बड़े की भावना उनके मन में घर न करे। जैसी शिक्षा, जैसे कपड़े, जैसा रहन-सहन बच्चों का होगा वैसा ही उनका मन बनेगा और वही हीन भावना छोटे स्कूल के बच्चों में रहेगी कि हम चपरासी ही रह जायेंगे।

आपका तो समाजवाद और समानता लाने का नारा है उसको आप किस तरह से कैसे पूरा कर सकेंगे? और किसी को हो या न हो लेकिन मुझे तो इसमें बहुत सन्देह है। अगर पूंजीपतियों की सम्पत्ति को सीमित करना है तो मन्त्रिगणों को इतनी प्रापर्टी इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी और इन्दिरा जी को अपने छोटे लड़के को मीटर के कारखाने का लाइसेन्स देने की क्या जरूरत थी। अच्छा होता कि 445 एकड़ जमीन किसानों से न ली जाती। इतनी बड़ी फैक्टरी एक व्यक्ति की लगेगी तो कैसे समाजवाद आयेगा। इस तरह से बड़े लोगों को ही आगे बढ़ाने से समाजवाद नहीं आयेगा। बीच के दर्जे के लोगों के लिये समाजवाद इस तरह से जरूर आयेगा जो मेहनत से काम करके पेट भरने की बात करता है। इस तरह से आप का समाजवाद आया तो उनकी अर्थ व्यवस्था जरूर अस्तव्यस्त हो जायगी और वह इस

[श्री त्रिलोक चन्द]

सारे शशोपन्ज में अपना विकास नहीं कर पायेगा कि क्या होने वाला है। वह कोई अपने लिये तरक्की का काम न कर सकेगा क्योंकि उनको पता नहीं कि कल क्या आफत आने वाली है। हर चीज के नेशनेलाइजेशन की बात है लेकिन अभिभाषण में पावर के विकेन्द्रीकरण की बात कहीं जाहिर नही होती। क्योंकि निगमों के द्वारा जो आपका आन्दोलन है, उनके द्वारा यह महसूस होता है, जैसा कि कोआपरेटिव ऐक्ट में जाहिर हुआ है कि आपने सबके इलैक्टेड मेम्बर्स के स्थान पर नौमिनेशन करने की बात कर दी है। दूसरे जो बोर्ड जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से बनते थे, उनको हटाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को आप भ्रष्ट कहते हैं, और जनता के प्रतिनिधियों को आप बदनाम करते हैं। तो या तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास कीजिये या सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट या बेईमान कहना बन्द कीजिये, तब काम चलेगा। किसी न किसी पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा।

अब अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुए यही कहता हूं कि आप जो इन गरीबों के लिये नारा देते हैं, उसको पूरा करें, इसी में आपका भी भला है और हमारा भी भला है।

सरदार चंवल सिंह गिल (जिला रामपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि मुझे आपने माननीय रियासत हुसेन साहब के गवर्नर के शुक्रिया के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। साथ ही साथ जो इसमें संशोधन आये हैं, उनका विरोध करने के लिये भी मैं खड़ा हुआ हूं। अभी-अभी हिन्दुस्तान ने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है और उसमें हमारे मुल्क का, और हमारी जनता का और हमारी फौजों का कितना नाम ऊंचा हुआ है। हम कितने आगे बढ़े हैं यह सब लोग जानते हैं। यह सब इसलिये हुआ कि हिन्दुस्तान की जनता ने कन्धे से कन्धा मिला कर और इत्तिफाक से सोशलिज्म और सैक्यूलरिज्म के आन्दोलन को आगे बढ़ाया।

बंगला देश बनने से हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़े मसले को हल कर दिया है। दो नेशन की थियोरी को झूठा करार दे दिया गया है। इसने साबित कर दिया है कि सोशलिज्म और सैक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के बिना दुनिया में कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे सूबे में भी कोई काम छोड़ा नहीं था। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने 6 करोड़ रुपया इकट्ठा करके डिफेन्स फंड में दिया। यहां के जवानों ने भी सबसे ज्यादा शहादत पायी है इनके बारे में मेरा सुझाव है कि हमारी सूबे की वीर फौजों के लड़ने के लिये ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। हमारे सूबे से वीर बहुत ज्यादा शहीद हुए हैं लेकिन इतना ज्यादा शहीद होना भी फौजी नुक्ते नजर से अहमियत की बात नहीं है। इसलिये हमारे सिपाहियों और अफसरान को अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो इसलिये कि आने वाले खतरों से निपट सके जिससे की हमारे सूबे व मुल्क का नाम ऊंचा हो।

कुछ दिन हुए हमारे देश में जनरल इलैक्शन हुआ, उसमें श्रीमती इन्दिरा की देश को आगे ले जाने वाली नीतियों के कारण बड़ी बिक्ट्री हुई। सूबे के इलेक्शन्स में भी जनता ने यह दिखाया कि वे उनके प्रोग्राम को स्वीकार करते हैं। आज पाकिस्तान बंगला देश को असलियत को नहीं मानते हैं। ऐसे ही हमारे आपोजीशन के भाई भी हमारी इस बिक्ट्रीज के बाद भी इस असलियत को नहीं मान रहे हैं जो आन्दोलन हमारे प्रधान मन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने के लिये, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते के लिये अपनाये हैं, उन पर चलने के लिये सब लोगों की मदद की जरूरत है। आपोजीशन की मदद की जरूरत है गवर्नमेन्ट की पालिसियां चलाने के लिये। सबके सहयोग की जरूरत है। असलियत को समझा जाय और ज्यादा से ज्यादा मदद देने की कोशिश की जाय। न कि क्रिटिसाइज ही कीजिये। अगर असलियत को नहीं मानेंगे तो वही बात होगी जो हो रही है कि आपोजीशन के लीडर तो नजर आयेंगे मगर आपोजीशन के शायद समझदार एम० एल० ए० इनके पीछे नजर नहीं होंगे जो बार-बार रोज-रोज, इन्दिरा गांधी के पीछे पड़ रहे हैं। इस असलियत को समझें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बात करें।

जब गवर्नर साहब का भाषण सामने आया तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जो फाइनेन्स मिनिस्टर हैं उनकी बजट स्पीच भी हमारे सामने आई इसमें दो राय नहीं है कि गवर्नर साहब ने जो पालिसी डिक्लेअर की है और उसका समर्थन करने के लिये जो बजट भाषण हुए हैं उनमें शंका की कोई बात नहीं है। उसमें तो प्रेक्टिस में लाने के सब साधन मौजूद हैं। जो बजट के आइटेम्स हैं उनको देखने पर पता चलता है कि बजट पेश करने की हिस्ट्री में सबसे बड़ी स्पीच और सबसे स्पष्ट स्पीच है जो कुछ बजट में आया है उसको समझकर सूबे को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। श्रीमान् जी, मैं कहना चाहता हूं कि उस बजट में तिवारी जी ने एक विशेष बात का जिक्र किया है क्योंकि हमारे सूबे की हिस्ट्री में यह पहली बात उन्होंने रूरल जनता के लिये कुछ करने को कहा है। यहां पर देहातियों को कोई सुनने वाला नहीं है। शहरी लोगों का ही राज्य है। वे जो कुछ करते हैं उसमें देहातियों की कोई बात नहीं होती है। जो कि होनी चाहिये। लेकिन इस बजट में मैंने देखा है कि देहातियों को आगे बढ़ाने का ख्याल आया है। इस बात पर मैं तिवारी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसमें देहातियों का जिक्र किया है और उनके लिये कुछ करने के लिये थोड़ा बहुत किया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि देहातियों का जितना परसेन्टेज यू० पी० में गरीब हैं वह और कहीं नहीं हैं। उसके लिये अभी कुछ ज्यादा नहीं किया जा रहा है।

किसानों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। बल्कि किसानों को और गरीब करने के बन्दोबस्त हो रहे हैं। वह मैं गवर्नमेन्ट को और पार्टी को खासतौर पर कहना चाहता हूं। जब तक देहातियों और गरीब किसानों का आप ख्याल नहीं करेंगे तब तक इस सूबे में जो हम नारा लगा रहे हैं और जिसको कि हम आगे ले जाना चाहते हैं जिसे गरीबी हटाओ नारा कहते हैं जिस पर कि इन्दिरा गांधी ने तैयार कर लिया है कि तीन साल के अन्दर उसको पूरा करना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर गरीबों के लिये कुछ होना चाहिये।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

सरदार जी, आपने ही सही बात कही है।

सरदार चंचल सिंह गिल--

हमें विश्वास है कि इन्दिरा गांधी जो कहती हैं वह करके दिखाती हैं। इसलिये इस पर शंका नहीं होनी चाहिये। उसके लिये हम हर कुरबानी देने के लिये तैयार हैं। अभी-अभी सीलिंग की बात हो रही थी। उसमें मैं कहना चाहता हूं कि उस सीलिंग से गरीबी दूर होने में मुझे शंका है। सवा छः एकड़ को अनएकानामिक डिक्लेअर कर दिया गया है। जो हमारी इन्क्लाबी पार्टी है वह रोज कह रही है कि गरीबों को जमीन दी जाय। और वह दो सवा दो एकड़ से ज्यादा नहीं है। इतनी जमीन देने से अगर गरीबी दूर हो जायगी तो यह बात होने वाली नहीं है।

मैं तो यह कहने जा रहा हूं कि एक ट्रैक्टर के लायक जमीन जरूर होनी चाहिये, तभी वह आगे बढ़ सकेंगे और एक फैमिली मिडिल क्लास की गुजर कर सकेगी। अगर गरीबी दूर करने का मतलब यह है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा बोझ डालना है, तो मैं इस सिद्धांत के खिलाफ हूं।

श्री महेन्द्र सिंह (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, ...

सरदार चंचल सिंह गिल--

मुझे कह लेने दीजिये। अभी-अभी अखबारों में निकला है कि 5 एकड़ वालों पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। हमें चाहिये कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा निकाल कर उन्हें इन्डस्ट्रीज में लगायें। जिस तरह से शहरों की सम्पत्ति की सीलिंग होने जा

[सरदार चंचल सिंह गिल]

रही है, उसी तरह देहाती प्रापर्टी की भी बराबर की सीलिंग हो । ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी हो यह सोचना चाहिये । अगर गरीबी हटाने का मतलब यह है कि दो-दो एकड़ के किसान पैदा करना है, तो यह भूल होगी । वह अपने बच्चों को इससे पढ़ा नहीं सकते, किसी को अफसर नहीं बना सकते और न ही अपनी गरीबी को दूर कर आसानी से गुजर कर सकते हैं । मैं इसके खिलाफ हूं । मैं तो सुझाव देता हूं कि अब गरीबी हटानी है तो कड़ाई से कदम उठाना होगा । 30 एकड़ तक एक किसान के पास जमीन होनी चाहिये और किसानों को हमें मेकेनाइज्ड बनाना है । अगर किसान मैकेनाइज्ड नहीं हुए तो किसान बहुत पीछे रह जायगा क्योंकि आज दुनिया बहुत आगे निकलती जा रही है । हमारे नेता इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रापर्टी की सीलिंग करते समय ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी जमीन हो जिससे हम ग्रीन और मैकेनाइज्ड रेवेलूशन का मुंह देख सकें । इस सम्बन्ध में एक बात और मुझे कहनी है और वह यह है कि अभी-अभी गवर्नमेन्ट ने जो गेहूं के भाव मुकर्रर किये हैं, वह चिन्ता-जनक है । आज गवर्नमेन्ट ने फर्टीलाइजर पर टैक्स लगा दिया है, खेती की मशीनें महंगी हैं, यूनिवर्सिटी से जो बीज लिया जाता है वह 200 रु० किलो के करीब आता है, मजदूरी भी महंगी हो गयी है और भी खेती के प्रयोग की चीजें हैं वह सभी महंगी हो गई हैं, इसलिये इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि पिछले साल की तरह इस साल भी सूबे में सरकार को अपने भाव रखने चाहिये, जिनसे किसानों को राहत मिल सके ।

एक बात भ्रष्टाचार के विषय में कही गयी । हमारे एक भाई ने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है, फिर कहा कि कम हो गया है । उन्होंने कहा कि जब पन्त जी थे भ्रष्टाचार नहीं था, सम्पूर्णानन्द जी जब आये नहीं था, उसके बाद गुप्ता जी के शासन में यह भ्रष्टाचार शुरू हुआ और एस० वी० डी० गवर्नमेन्ट की आपसी खेंचातानी होने के कारण हो गया और अब त्रिपाठी जी के समय में कम हो रहा है । भ्रष्टाचार का जहां तक ताल्लुक है वह तब तक कम नहीं हो सकता जब तक अफसर जो मनमानी करते हैं, वह बन्द न हो। एक-एक अफसर कई-कई साल एक जगह अपना अड्डा बनाये बैठे हैं और नीचे से ऊपर तक एक जाल बिछा हुआ है ।

इसलिये मैं कहूंगा कि अगर आफिसर्स की कहीं पर शिकायत होती है तो उनका फौरन ही इलाज होना चाहिये, उनका ट्रांस्फर होना चाहिये और छानबीन की जानी चाहिये । मैंने देखा है कि सैकड़ों महन्त बने बैठे हैं और उनका ऊपर से नीचे तक जाल बिछा है । हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की पालिसी में यह भी है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है । जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारी जनता आगे नहीं बढ़ेगी । साथ ही जब तक हमारी जनता आगे नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा । लेकिन आधा भ्रष्टाचार तो हम करते हैं और आधा आफिसर्स करते हैं । अगर जनता कमर कस ले तो भ्रष्टाचार खतम हो सकता है । अभी हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि पश्चिमी जिलों, पहाड़ी जिलों तथा बुन्देलखंड में कुछ नहीं हुआ है ।

बजट में भी कहा गया है कि बोर्ड मुकर्रर होगा पश्चिम के लिये । बुन्देलखंड के लिये एक बोर्ड बन गया है और पहाड़ी जोन्स के लिये भी यह हो गया है और उस पर गवर्नमेन्ट काम कर रही है । जो हो रहा है वह काफी है और उसकी उन्नति होगी । एक बात पर मैं सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो नहीं हो रहा है वेस्टर्न यू०पी० और सेन्ट्रल यू०पी० का हिस्सा उसका नेग्लेट किया जा रहा है और बजट का बहुत कम हिस्सा उस पर खर्च किया जा रहा है । अगर यही भावना बनी रही तो जैसा कहा जाता रहा है यू० पी० दो हिस्से में बट जायगा । इससे उन लोगों के हाथ मजबूत हो जायेंगे जो इसके लिये कहते रहे हैं । इसलिये वेस्टर्न यू० पी० और सेन्ट्रल यू० पी० को इग्नोर नहीं करें । अगर हम पहाड़ों को, पूर्वी जिलों को और बुन्देलखंड को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमको अपने प्रदेश के इस हिस्से को भी इग्नोर नहीं करना चाहिये जिससे जो दो सूबे बनान के मुहर्रिक हैं उनके हाथ बजबूत न हो सकें ।

एक बात और है। हमारे देहाती लोगों के साथ कैसा सलूक हो रहा है। हमारी विधान सभा 20 तारीख से बैठी है। 16 तारीख को एक आर्डिनेन्स जारी किया गया कि देहातियों की जो जमीन शहरों के करीब हैं, पहले जब उसको लिया जाता था तो उसका भुगतान 9 वर्ष में हो जाता था लेकिन अब यह 15 वर्ष में किया जायगा। उस काश्तकार को जिसकी महंगी जमीन शहरों के पास है उसको अब हटाया जा रहा है। वहां पर अब अमीरों की कोठियां बनेंगी। इस तरह की बदसलूकी देहातियों के साथ होना ठीक नहीं है। गरीबी हटाने के लिये हमको देहातियों और काश्तकारों के साथ भी न्याय करना चाहिये और उनका ख्याल रखना चाहिये। हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिये कि देहात वालों का तो नुक्सान हो और शहर वालों का फायदा हो। आप अगर चाहें तो शहरों में 10 करोड का कारखाना स्थापित कर सकत हैं लेकिन देहात वाले के पास तो उसकी सीलिंग की हुई जमीन तथा मुकर्रर एक सम्पत्ति है। इसलिये मैं अपनी गवर्नमेन्ट से दरख्वास्त करूंगा कि रूरल और अर्बन दोनों ही आबादी को एक ही सतह पर रक्खें। सीलिंग का बिल दोनों के लिये एक ही सतह पर हो। देहात में आप तीन स्टेप ले चुके हैं लेकिन शहर में नहीं लिये हैं। अभी रामपुर में हमारे गवर्नर साहब गये थे। वहां की हालत बहुत खराब है। वहां पर आज भी छप्पर के मकान बने हैं, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जब कि पास ही में बरेली और मुरादाबाद में काफी इन्डस्ट्रीज हैं। मैं गवर्नमेन्ट का इस तरफ तवज्जह दिलाऊं कि वह रामपुर का भी ख्याल रखे और उसको बैकवर्ड जिला न बने रहने दें। आज वह हर तरह से बैकवर्ड है सरकार ने कुछ जिलों को तरक्की होने के लिये बैकवर्ड घोषित किया मगर रामपुर को नहीं किया गया जबकि मुरादाबाद व बरेली के जिलों को बैकवर्ड करार दिया, इसलिये हमारा जिला भी बैकवर्ड जिला करार देना चाहिये। इसके लिये मेमोरेंडम भी दिया गया है। मैं चाहता हूं कि वहां के गरीब किसानों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। वहां सड़कें नहीं हैं, तालीम नहीं है, अस्पताल नहीं है। जनानियों के लिये दवा का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिये गवर्नर महोदय को जो मेमोरेंडम दिया गया है उसको ध्यान में रक्खा जाय। मैं अध्यक्ष महोदय, आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। मैंने सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं जिनमें उन्होंने सरकारी कार्यों का उल्लेख किया है। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। परन्तु प्रश्न यह है कि जो कुछ किया है क्या उससे ज्यादा किया जा सकता था या नहीं। अगर किया जा सकता था और नहीं किया है तो असफल, शिथिल शासन कहा जायगा। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर इस सरकार की नीति का विश्लेषण करना चाहता हूं। कोई शासन सफल है या असफल इसके लिये कुछ कसौटियां हुआ करती हैं। इसका निर्णय तथ्यों के आधार पर होना चाहिए वह कसौटियां निम्नांकित हैं :---

(1) प्रशासन में सुचिता है या नहीं।
(2) आर्थिक विकास की दर क्या है।
(3) सामाजिक न्याय हो रहा या नहीं।
(4) रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं या नहीं।
(5) गरीबों का उत्थान हो रहा है या नहीं।
(6) शांति और व्यवस्था में सुधार हो रहा है या नहीं।
(7) सरकार की नीतियों से लोकतन्त्र पुष्ट हो रहा है या नहीं।

जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने इस पर काफी प्रकाश डाला है। उस को यहां सदाचार कहा गया है लेकिन मेरी दृष्टि में कांग्रेस के लिए वह अचार बन गया है। बिना उसके कांग्रसियों को खाना

[श्री कल्याण सिंह]

अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस वालों के लिये यह आम बात है। मेरा तो कहना है कि कांग्रेस का नाम सी से प्रारम्भ होता है और करप्शन भी सी से प्रारम्भ होता है। कांग्रेस और करप्शन पर्यायवाची बन गये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, शासन में भ्रष्टाचार और सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। राजनीतिज्ञों में भी है। इससे जनता अति पीड़ित है। यदि आप इसको सही मानें में मिटाने के पक्ष में होते तो "सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच का अधिनियम" बन जाना चाहिए था। आज थाने से लेकर जिला स्तर और कचहरियों में भ्रष्टाचार है, प्रदेशीय शासन में भ्रष्टाचार है। यह शासन इसको खत्म करने में निकम्मा साबित हुआ है और नितान्त असफल रहा है।

दूसरी कसौटी मैंने आर्थिक विकास की दर कही थी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ कहा जाता है। यह हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। उसमें भी पूर्वी जिले सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। पहले जब मैं वहां के बारे में बातें सुनता था तो विश्वास नही होता था लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मुझे वहां भ्रमण करने का अवसर मिला है और मैं कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। वहां इन्सान इन्सानियत की जिन्दगी नहीं व्यतीत कर रहा है। बाढ़ के दिनों में एक ही चारपाई पर मां, बेटा, पति और बहू सभी को रहना पड़ता है और कब सांप उनको डस जाय यह कोई नहीं कह सकता है। न कहीं बिजली है, न कहीं ट्यूबवेल हैं, न नहरें हैं, न सिंचाई के साधन हैं, न मजदूरों को भर पेट न अन्न मिलता है, न पहनने की वस्त्र मिलते हैं। यह पिछड़ापन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस शासन के माथे पर एक कलंक है जो 12 वर्ष तक पश्चाताप करने के बाद भी छूट नहीं सकता। कहा जाता है कि पश्चिमी, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश को, समान अवसर मिलने चाहिये। यद्यपि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले से आता हूं किन्तु मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जबतक पूर्वी जिलों को समान स्तर की विशेष सुविधायें नहीं मिलेंगी तब तक उसकी उन्नति नहीं हो सकती।

उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ापन है उसके कई कारण हैं। मैं सबसे पहला कारण हिन्दुस्तान की प्रधान मन्त्री को मानता हूं। भाई राज मंगल पांडेय जी ने कहा कि हमारे प्रदेश की प्रधान मन्त्री अपने प्रदेश की सहायता के लिये अधिक पैसा नहीं लेना चाहती ताकि कोई उन पर यह लांछन न लगा दे कि सब अपने प्रदेश के लिये ही कर रही है। इस हया के मारे वह मरी जा रही हैं कि लोग कहेंगे कि अपना घर बनाने के लिये पैसा मांग रही हैं। अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश का प्रधान मन्त्री न होता। तब हमारे प्रदेश को ज्यादा आर्थिक सहायता मिल पाती। यही कारण है कि बिहार जो हमसे भी पिछड़ा हुआ था वह अब हमसे आगे हो गया है। दूसरा कारण है प्रदेश का कमजोर नेतृत्व। तीसरा कारण है प्रदेश की विशालता और चौथा कारण है अफसरशाही पर अनुशासन और कठोर नियन्त्रण न होना। पांचवां प्रमुख कारण है इस प्रदेश की विशालता। अतः मेरा अपना व्यक्तिगत मत यह है कि जब तक उत्तर प्रदेश को तीन सूबों में विभाजित नहीं किया जाता तब तक इसका कोई उत्थान नहीं कर सकता। ५४ जिलों वाला ९ करोड़ की आबादी का यह प्रदेश है जो दुनिया के कदाचित 9वें या 10वें नम्बर का देश है। जब 7 जिलों का हरियाणा प्रदेश बना हुआ है, थोड़े से जिलों का पंजाब प्रदेश बन सकता है और वहां विकास हो सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश को 54 जिलों का प्रदेश रखने का क्या हक है। इसके तीन टुकड़े किये जाने चाहिए और फिर प्रत्येक टुकड़े को निश्चित रूप से आर्थिक अनुदान केन्द्र से मिलेगा जिससे इसका पिछड़ापन दूर हो सकेगा। जब तक समान अवसर की बात चलती है तब तक इस प्रदेश का कभी उत्थान नहीं हो सकता। इसके लिये विशेष अवसर का सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिए।

तीसरी बात सामाजिक न्याय की कह रहा था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे संविधान के अन्दर पिछड़ वर्ग के लिए नीति निर्देशक तत्व दिय हुए हैं। पिछड़

वर्ग के आयोग ने भी कुछ संस्तुतियां की हैं। लेकिन पिछड़ा वर्ग आगे नहीं अ सका। हिन्दुस्तान के संविधान के अन्दर अगर सबसे बड़ा कोई धोखा लिखा हुआ है, सब से बड़ी प्रवंचना की बात अगर कोई लिखी हुई है जो सुनने में बड़ी लुभावनी लगती है, वह है सब को "समान अवसर" देने की बात। जब तक सब की समान परिस्थितियां नहीं हो जातीं, समान वातावरण नहीं मिल जाता, समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो जाती, समान साधन नहीं हो जाते और समान सुविधाएं नहीं मिल जातीं, समान अवसर की बात कह कर पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय होता रहेगा जैसाकि पिछले 25–26 वर्षों की हुकूमत में कांग्रेस इनके साथ करती आई है। घर में एक भाई बीमार हो जाता है। उससे कह दें कि समान अवसर की बात है। चार बाजरे की रोटी हम खाते हैं, उसके बाद खेत की खुदाई करने जाते हैं, तुम भी इतना ही करो। तो यह कैसे हो सकता है।

डाक्टर कहता है कि तुम एक-एक रोटी कम खाओ लेकिन इस बीमार को बलशाली और स्वस्थ करने के लिये अनार देना पड़ेगा। तो अन्य भाई एक-एक रोटी कम भले ही खायेंगे लेकिन उसको अनार जरूर देंगे। इसलिये अगर पिछड़े वर्ग को उठाना है, सामाजिक स्तर उनका बढ़ाना है तो मेरी निश्चित मांग है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये राजपत्रित राजकीय सेवाओं में 25 प्रतिशत का आरक्षण और अराजपत्रित राजकीय सेवाओं में 35 प्रतिशत का आरक्षण और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में 45 प्रतिशत का आरक्षण किया ही जाना चाहिए। जब तक यह नहीं किया जाता पिछड़ा वर्ग पिछड़ा ही रहेगा। एक कमीशन की नियुक्ति की जाय जो यह पता करे कि राजकीय सेवाओं में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। और अन्य कथित वर्गों के कितने लोग हैं। मेरा उद्देश्य किसी वर्ग विशेष के प्रति घृणा अथवा विद्वेष फैलाना नहीं है। किन्तु इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि चाहे प्रशासन हो अथवा राजनैतिक दल, सभी स्थानों में कुछ चतुर वर्ग के मुट्ठी भर अन्य 65 प्रतिशत पिछड़े वर्गों को येन केन प्रकारेण मूर्ख बना कर अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करते रहते हैं रहते हैं। इसी चतुर वर्ग के लोग प्रशासन करते हैं, वही लोग मिलकर सारे देश की हुकूमत कर रहे हैं और यह जो 65 प्रतिशत लोग हैं, वे पिछड़े हैं, उपेक्षित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, शासित हैं मैं चेतावनी देता हूं कि इससे सामाजिक एकता खतरे में पड़ सकती है, और राष्ट्रीय एकता के लिये भी खतरा पैदा हो सकता है।

हरिजनों के बारे में बड़ी चर्चा की गयी। इस विषय में अनेक प्रश्न भी आये कि उनके लिये जो संविधान में आरक्षण निर्धारित किया गया है, वह आरक्षण भी किसी प्रकार पूरा नहीं किया जा रहा है। मेरी तो मांग है कि जब तक हरिजनों के निमित्त प्रत्याशियों का जो प्रतिशत निर्धारित किया गया है, पूरा नहीं होता, तब तक और किसी वर्गों में से भर्ती की ही नहीं जानी चाहिए। पिछड़े वर्गों के लिये उनके बच्चों की उच्चतम शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये। आज "समान अवसर" की बात कही जाती है। किन्तु वास्तविकता क्या है? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं प्रायमरी स्कूल के अनट्रेंड अध्यापकों द्वारा जहां उचित टाट और फर्नीचर की भी व्यवस्था नहीं होती और पूंजीपतियों, मिनिस्टरों और अफसरों के बच्चे कन्वेंट स्कूलों के अन्दर पढ़ते हैं। आप कहते हैं तो संविधान में डिप्टी कलेक्टर बनने का समान अवसर उनको प्रदान किया है। लेकिन गरीब के बच्चे इन निम्न श्रेणी के स्कूलों में पढ़कर बनते हैं केवल प्रायमरी स्कूल के अध्यापक, लेखपाल, वी०एल० डब्लू० या पंचायत सेक्रेटरी/डिप्टी कलेक्टर तो बनते हैं पूंजीपतियों के बच्चे, मन्त्रियों के बच्चे, सरमायेदारों के बच्चे और अफसरों के बच्चे। अतः समान अवसर के इस धोखे को दूर किया जाना चाहिए। साथ ही इन 65 प्रतिशत पिछड़े लोगों को उठाने के लिये, केवल राजकीय सेवाओं में आरक्षण को पूरा करने से ही काम नहीं चलेगा। उनकी कृषि के लिए ब्याज रहित ऋण दिया जाय, मकानों के लिये ब्याजरहित ऋण दिया जाय, छोटे उद्योग-धन्धों के लिये ब्याज रहित ऋण दिया जाय। जब तक उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयास नहीं किये

[श्री कल्याण सिंह]
जायेंगे, मैं फिर चेतावनी देता हूं कि आपका लोकतन्त्र बच नहीं पायेगा, आपकी सामाजिक एकता आ नहीं पायेगी।

बड़ी चर्चा चल रही है समाजवाद की। गरीबी हटाओ के नारे लगाये जा रहे हैं। हमारे विरोधी दल के लोग इन्दिराजी के इस नारे की आलोचना करते हैं। किन्तु मैं कहता हूं कि मैं विरोधी पक्ष के लोगों से इस विषय में सहमत नहीं हूं। इन्दिरा जी ने गरीबी हटाने का नारा दिया है, गरीबी मिटाने का नहीं। जो वस्तु एक स्थान से हटाई जाती है, वह कहीं न कहीं दूसरे स्थान पर टिकाई जाती है। अत: इन्दिरा जी गरीबी बड़े-बड़ों के घर से हटा रही हैं। अब बेचारी क्या करें यदि गरीबी छोटे किसान के घर पर जाकर टिक जाय, मजदूर के घर पर जाकर टिक जाय। गरीबी जरूर हटाई जा रही है। किन्तु किसकी? गरीब की नहीं, संजीव गांधी की गरीबी हटाई जा रही है, गरीबी मिनिस्टरों की हटायी जा रही है, जनसंघ वालों के लिये कहा जाता है कि वह तो पूंजीपतियों का पोषक है और इन्दिराजी कहती हैं कि हम गरीबों के हिमायती हैं। कौन किसका हिमायती है, इसका निर्णय तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। सदन और प्रदेश के लोग इसका फैसला करें कि कौन किसके साथ है। इन्दिरा जी और उनकी कांग्रेस पार्टी नाम गरीबों का ले रही है और काम अमीरों का कर रही है। मैं बिजली की मिसाल देता हूं किसानों को बिजली 20 पैसे प्रति यूनिट देते हैं, छोटे दूकानदारों को 40 पैसे पर यूनिट देते हैं किन्तु बिड़ला और टाटा को 2 पैसे और 5 पैसे प्रति यूनिट देते हैं। हमारी मांग है कि किसान और छोटे दूकानदार की बिजली की दरें घटाओ और बिरला को दी जाने वाली बिजली की दरें बढ़ाओ। अब सदन फैसला करे कि कांग्रेस किसके साथ है और जनसंघ किसके साथ है। कपास छोटे-छोटे किसान पैदा करते हैं इसलिये वह सस्ती है और कपास से कपड़ा पूंजीपति निर्माण करते हैं इसलिये वह महंगा है। मूंगफली किसान पैदा करता है, इसलिए वह सस्ती है किन्तु मूंगफली से डालडा पूंजीपति निर्माण करते हैं इसलिए वह महंगा है।

किसान के गन्ने के दाम सस्ते हैं, लेकिन गन्ने से बनने वाली चीनी के दाम महंगे हैं। कृषि उत्पादन की वस्तुओं के मूल्य में और उद्योगपतियों द्वारा औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में सन्तुलन, और आनुपातिक समानता होनी चाहिए। मगर वह सन्तुलन कहां है? नहीं है। फिर आप ही फैसला करें कि जनता के साथ कांग्रेस के लोग हैं या जनसंघ? गरीबों का कौन साथ दे रहा है? किसानों का नाम लेने वाले कांग्रेसी भाई उनके साथ नहीं हैं। हालत यह है कि जब तक किसान के घरों में गल्ला रहता है, सस्ता रहता है। जब वही पूंजीपतियों के यहां पहुंच जाता है उसके दाम बढ़ जाते हैं। मैंने अपना गेहूं 24 रुपये का 40 किलो बेचा, और जब मुझे इधर जरूरत पड़ी तो मैंने 44 रुपये का 40 किलो गेहूं खरीदा, सरकार के पास लाखों टन गेहूं भरा पड़ा था लेकिन उसने नहीं निकाला, इसलिये नहीं निकाला क्योंकि उसके आने से बाजार में दाम घट जायेंगे और पूंजीपतियों को लाभ नहीं पहुंचेगा, और जब उनको लाभ नहीं पहुंचेगा तो चुनाव में उनमें पैसा कैसे वसूल किया जायगा। इसलिये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनसे चुनाव के लिए पैसा वसूलने के लिए सरकार ने अपना गेहूं मार्केट में नहीं आने दिया और वह गोदामों में ही पड़ा-पड़ा सड़ता रहा। हमारी मांग है कि गेहूं की दो प्रकार की कीमतें निश्चित की जायं, एक न्यूनतम और दूसरी अधिकतम न्यूनतम मूल्य किसान के लिए लाभप्रद स्तर की दर पर तय किया जाय और अधिकतम मूल्य उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखकर तय किया जाय। सिद्धान्त यह बने कि यदि न्यूनतम मूल्य-दर से कृषि-उत्पादन का भाव नीचे जायेगा तो सरकार पूरा गल्ला खरीदेगी और अधिकत मूल्य में भाव ऊपर जायेगा तो सरकार अपने स्टाक को बाजार में ले आयेगी इससे भावों पर नियन्त्रण हो सकेगा। अब प्रदेश की जनता ही फैसला करे कि उनके साथ कांग्रेस के लोग हैं या जन संघ है। (व्यवधान) कांग्रेस के लोग चुनाव की विजय के जोश में अपना होश खो

बैठे हैं। जिस तरह से चुनाव जीता है सब जानते हैं। गुण्डागर्दी के सहारे, उद्योगपतियों के पैसे के सहारे, लोगों को आतंकित करके, तरह तरह के हथकन्डे इस्तेमाल करके, नैतिकता की दृष्टि से जो हानि आपने पहुंचाई है और जिस प्रकार से जनतन्त्र की हत्या की है, याद रखिए परमात्मा कभी आपको माफ नहीं करेगा।

कांग्रेस ने चुनाव जीता है। यह चुनाव विरोधी दलों और कांग्रेस दल के बीच नहीं था। यह चुनाव तो विरोधी दलों और सरकार के बीच था। हम चुनाव लड़े हैं प्रधान मन्त्री के विरुद्ध। उनके पास साधन हैं, सरकारी मशीनरी है, रेडियो है। दूसरी ओर विरोधी दल साधनहीन। यदि आपमें नैतिक साहस है तो चुनावों से ठीक 6 माह पूर्व मंत्रि-मंडलों को भंग कराके राष्ट्रपति का शासन लागू कराने का सिद्धान्त स्वीकार करें। फिर देखें कौन जीतता है, कौन हारता है।

अब मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर आता हूं। बैंकों में 98 फीसदी पैसा उन लोगों का है जिनकी मासिक आय 600 रुपये से कम है। बड़े-बड़े उद्योगपति अपना पैसा बैंकों में नहीं लगाते। किन्तु कर्जा किनको मिलता है ? 98 फीसदी कर्जा बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही मिलता है, 2 फीसदी छोटे लोगों, किसान आदि को मिलता है। मैं कहता हूं कि आप कर्जे की रकम को 50 प्रतिशत उन लोगों के लिए सुरक्षित कर दीजिये जिनकी आय कम है, जो अल्प आय वाले हैं।

आज मिट्टी के तेल के दाम, खाद के दाम, अल्म्यूनियम के दाम आपने बढ़ा दिये हैं। बड़े उद्योगपति तो स्टील के बरतनों में खाता है। अल्म्यूनियम के बर्तन में गरीब आदमी ही खाता है। आपने गरीब पर टैक्स बढ़ा दिया। रावण ने भी एक बार महाऋषियों के खून पर टैक्स लगाया था, उनका खून बहाया था, उसी प्रकार आप भी गरीबों पर टैक्स लगा रहे हैं। गरीबों की आह आपको भून कर रख देगी। जो हस्र रावण का हुआ था, वही हस्र कांग्रेस का भी होना है।

मान्यवर, इस सरकार ने लाल गेहूं के रेट 66 फीसदी प्रति क्विंटल निर्धारित किये हैं और सफेद गेहूं के दाम 72 रुपये प्रति क्विंटल तय किये हैं। इसमें किसान की लागत भी नहीं निकलती है। जनसंघ की मांग है कि लाल गेहूं का दाम कम से कम 80 रुपए प्रति क्विंटल तथा सफेद गेहूं का दाम 85 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किये जायं जब तक किसान को लाभप्रद मूल्य नहीं मिलेगा तब तक उसका विकास सम्भव नहीं है। जब उसको लाभप्रद मूल्य मिलेगा तभी वह उससे अपने उत्पादन में लगने वाली चीजों को खरीद सकेगा, तभी उसमें कार्य शक्ति आयेगी और तभी वह पूंजी का निर्माण और बचत कर सकेगा। किसान की बची हुई पूंजी कृषि में लगेगी, कृषि से कच्चा माल उत्पन्न होगा, कच्चे माल से उद्योग धन्धे चलेंगे, उद्योग-धन्धों से लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार से क्रय-शक्ति बढ़ेगी, क्रय-शक्ति से चीजों की मांग बढ़ेगी, मांग से उचित दाम मिलेंगे और दाम से पूंजी का निर्माण होगा। पूंजी पुनः कृषि में लगेगी और फिर वही आर्थिक चक्र परिवर्तित होगा। इसी आर्थिक चक्र से विकास सम्भव है। इस चक्र को लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

मैं गन्ना मिलों के बारे में बातें कहना चाहता हूं। मैं उसके राष्ट्रीयकरण को सरकारी-करण की संज्ञा देता हूं। इसलिये हम राष्ट्रीयकरण नहीं अपितु सहकारिताकरण के पक्ष में हैं, सरकारीकरण के पक्ष में नहीं। उस मिल में गन्ना किसान मजदूर, टेक्नीशियन सभी लाभ प्रबन्ध और स्वामित्व में सम्भागी बनें उनके लाभ के स्वामित्व में। राष्ट्रीयकरण तो केवल आपका यही है कि आप मिलों को बड़े मिल मालिकों से लेकर अपने अफसरों और मंत्रियों के हाथों में दे देंगे। इससे गन्ना उत्पादक श्रमिक और टैक्नीशियन उस गन्ना मिल का स्वामी नहीं बन सकता। इसके साथ ही दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत कम से कम 15 रुपया प्रति क्विंटल किसानों को दिलाई जाये।

[श्री कल्याण सिंह]

बिजली विभाग के संबंध में किसानों के हित में गारंटी मनी की कमी और ट्रांसफार्मर की चोरी की जिम्मेदारी अब किसान पर न डालने की बात सरकारी पक्ष से कही गई । लेकिन जब हम आंकड़े फैलाकर देखते हैं तो पाते हैं कि आपने 3 पैसा प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ाई है और तीन रुपये प्रति हार्स-पावर प्रति माह सर चार्ज लगा दिया है । उससे किसान की कमर टूट गई है । आपने उन छूटों से ज्यादा हानि उन्हें इस तरह से पहुंचा दी है और उल्टे आपने किसान के बजाये अपना ही लाभ कर लिया है । वास्तव में किसान को उल्टा अब अधिक रेट देना पड़ रहा है । जबकि आप शब्दजाल में भरमा कर यह कहना चाहते हैं कि आपने किसान के हित में कुछ कदम उठाये हैं । हमारी मांग है कि बिजली का रेट घटाया जाये । 3 रुपये प्रति हार्स-पावर प्रति माह का लगाया गया सरचार्ज वापस लिया जाये ।

अब मैं बेकारी की बात कहना चाहता हूं । इस समय हमारे प्रदेश में एक करोड़ लोग बेकार हैं । इस वर्ष के बजट में उनके लिये 2 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपया रखा गया है । किन्तु बेकार से काम लेने की तीन रुपया प्रति व्यक्ति भी यदि मजदूरी दी जाये तो एक दिन के लिये 73 लाख 50 आदमियों को रोजगार मिलेगा । अतः यह रोजगार की जो एक-दिवसीय योजना है, इससे प्रदेश के बेकारों की समस्या हल नहीं होगी, बेकारी की समस्या को इस तरह से हल नहीं किया जा सकता है । केश-प्रोग्राम में भी पूरे हिन्दुस्तान के लिये 50 करोड़ रुपये रखे गये हैं । जो बिल्कुल ही अपर्याप्त है । मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको तरुणों के खाली हाथों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये । उनके खाली हाथों को मिलना चाहिये । यदि आपने उनकी तरुणाई का सदुपयोग करके उनसे रचनात्मक काम नहीं लिया तो आप स्मरण रखें कि आप उन लाखों करोड़ों हाथों को विध्वंसक कार्यों में लगने से रोक नहीं सकेंगे । और इसकी जिम्मेदारी वर्तमान कांग्रेसी शासन के ऊपर होगी । अभी प्रति व्यक्ति आय की बात कही गई कि वह बढ़ी है । रियासत भाई ने अपने भाषण में समझाया कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी योजना के अन्त में आंकड़े बताते हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 1957 में 39 प्रतिशत बढ़ी है जबकि अपने प्रदेश की आय 10 प्रतिशत घटी है । जहां 1957 में राष्ट्रीय आय 275 थी वहां 1967 में राष्ट्रीय आय 314 रुपये हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि यह 237 से 227 रुपये प्रति व्यक्ति रह गई है ।

अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो रियासत हुसैन साहब ने कही है, यद्यपि यह बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं नहीं है । वह सरकार में नहीं है यद्यपि सरकारी पक्ष के सदस्य हैं । उन्होंने अपने भाषण में एक नीति-गत बात कह दी थी, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा, कोई मंत्रिगण उस पर प्रकाश डाल देते तो अच्छा होता । उन्होंने कहा था कि हम सीलिंग ला रहे हैं और इससे बचने के लिये जिन लोगों ने बैनामे कर लिये होंगे, वे निरस्त कर दिये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि आप एक निश्चित तिथि की इस कार्य हेतु घोषणा कर दें कि इस तारीख के बाद के सारे बैनामे रद्द समझे जायेंगे । आप को इस तरह की गोल भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे प्रदेश की जनता को भ्रम में डाल रहे हैं । मैं जानता हूं कि आप अपने मंत्रियों को और चहेतों को इस सीलिंग से बचाने के लिये, उसका लाभ पहुंचाने के लिये निश्चित तिथि की घोषणा नहीं कर रहे हैं । आप यदि अपने इरादे के प्रति ईमानदार हैं और वास्तव में इस तरह करना चाहते हैं तो आप उस तिथि की घोषणा कर दें कि पिछले तीन या चार वर्ष या आप जो भी तारीख उचित समझें, से बाद जो भी पट्टे किये गये हैं, वे अवैध हो जायेंगे । मैं इसके साथ एक बात और कह दूं वह है लोकतंत्र के भविष्य के संबंध में ।

इस शासन ने लोकतंत्र की हत्या की है । लोकतंत्र आज सिसक रहा है । उनके हाथों में सरकार के सारे साधन हैं । हमें तो कठिनाई इस बात की है कि चुनाव में हमें

शासन से लड़ना पड़ता है, प्रधान मंत्री से, मुख्य मंत्री से लड़ना पड़ता है, जिसके पास हेलीकाप्टर है, टेलीविजन है, रेडियो है, और अखबारों को भी दबा रखा है, जुडीशियरी पर हावी होते जा रहे हैं, और राजनीतिक हत्यायें हो रही हैं । विरोधी दलों के प्रति आप अशहिष्णु है । आप के दल से कौन राज्य सभा में जाय, इसका फैसला करने का आपको अधिकार है लेकिन राज्य सभा में राजनारायण जी को नहीं जाना चाहिये, इसकी कोशिश प्रधान मंत्री और यशपाल कपूर करें इसकी जितनी निन्दा की जाय उतनी कम है । आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि विरोधी पक्ष में कौन जाय और कौन न जाय ? यह विरोधी पक्ष का काम है । अगर वास्तव में आप चाहते हैं जानना कि जनता किसके साथ है, लोकप्रियता किसके साथ है, तो म फिर मांग करता हूं कि नियम बनवा लीजियेगा कि चुनाव से छः महीने पहले सारी मिनिस्ट्री त्यागपत्र दे देगी । राष्ट्रपति का शासन हो, फिर हम और आप बराबर अखाड़े में खड़े होंगे । फिर देखिये कि कौन-कौन माई के लाल लोक सभा और विधान सभा में चुन कर आ पाते हैं आप आते हैं या हम आते हैं । एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि इन सातों कसौटियों पर कांग्रेस का शासन पूरी तरह असफल रहा है निकम्मा है, अकर्मण्य है । इस शासन से जितनी जल्दी प्रदेश को छुटकारा मिले उतनी जल्दी इस प्रदेश की जनता का कल्याण होगा ।

श्री नौनिहाल सिंह---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 51 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस भाषण के बाद, इनके बोलने के बाद क्या आप चाहते हैं कि कल बोलना शुरू करें इसके बाद ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अब अपने भाषण में प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिये सरकार के निर्णयों का जिक्र किया है उन निर्णयों के लिये मैं सरकारको बधाई देता हूं । और दूसरी एक बात यह कहना चाहता हूं कि अभी अभी माननीय सदस्य जो मुझसे पहले बोल रहे थे उन्होंने भ्रष्टाचार का बड़ा जिक्र किया और एक आक्षेप यह लगाया कि करप्शन कांग्रेस में ही है । क्योंकि कांग्रेस "सी" से शुरू होती है और करप्शन भी "सी" से शुरू होता है । इसके बारे में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर विरोधी पक्ष अपने पर नजर डाल कर देखें तो वहां करप्शन ही करप्शन है । भारतीय जनसंघ 'भ' से शुरू होता है और भ्रष्टाचार भी "भ" से शुरू होता है । कम्युनिस्ट भी "सी" से शुरू होता है और करप्शन भी "सी" से शुरू होता है कांग्रेस (ओ) भ "से" से शुरू होती है और करप्शनभी "सी" से शुरू होता है । तो पूरा विरोधी दल करप्शन से भरा हुआ है । यहां तो एक ही करप्शन है । वहां दो हिन्दी में और दो अंग्रेजी में है । इस तरह से करप्शन को आंका जायगा तो उनकी परिभाषा के अनुसार विरोधी पक्ष में करप्शन ही करप्शन है । उनकी यह परिभाषा मैं नहीं समझता ।

दूसरी चीज मैं अपने क्षेत्र के बुनकरों के बारे में कहना चाहता हूं जिनकी समस्या का कोई जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया गया । इसी वर्ग के पेशे को अपना कर कर गांधी जी ने देश को आजाद कराने का स्वप्न देखा था और वह स्वप्न पूरा हुआ लेकिन आज उस पेशे का आदमी भूखा तथा परेशान है और कारण उसने सरकार के सामने प्रदर्शन किया । सरकार को इस तरफ कोई न कोई जल्दी कदम उठाना चाहिये ताकि उनको राहत मिल सके ।

[श्री नौनिहाल सिंह]

संविद सरकार के समय किसानों के लिये जोत बही बनाई गयी थी और एलान किया गया था कि किसानों को उससे बड़ा फायदा होगा । किसानों का सारा रिकार्ड उसमें दर्ज होगा लेकिन सचमुच देखा जाय तो किसान को उससे कोई फायदा नहीं पहुंचा । किसान आज भी कर्ज लेता है तो उसे पटवारी तथा बी०एल० डब्ल्यु के पीछे भागना पड़ता है और आज भी बैनामे करता होता है अथवा कोई लिखा-पढ़ी करनी होती है तो उसे पटवारी को रिश्वत देनी होती है । हां जमानत के तौर पर वह उसे जरूर पेश कर सकता है लेकिन उसे इस पास बुक से और कोई सुविधा नहीं है । जो भी लोन वह ले उसमें उसे अंकित किया जाय, किसान जमीन बेचता है उसका इन्दराज उसमें किया जाय ताकि किसान समझ सके कि सरकार द्वारा उसे लाभ पहुंच रहा है ।

पश्चिमी जिलों में कुछ गांव चकबन्दी से रह गये थे मेरी कांस्टीट्युएंसी में करीब 30,32 गांव थे जो चकबन्दी से रह गये थे । मुझे यह मालूम हुआ है कि स्टाफ की कमी से वह चकबन्दी नहीं हो सकी थी । अमरोहा तहसील में कुछ गांव की चकबन्दी का गजट सरकार द्वारा किया जा चुका है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरी तहसील के बकिया गांव को भी चकबन्दी योजना में ले किया जाय ।

श्री बांकेलाल---

यह सरकार गैर जिम्मेदारी है, आप सुना किसको रहे है जब कोई मंत्री है ही नहीं ?

श्री नौनिहाल सिंह---

आपको सुना रहा हूं । हरिजनों के लिये बजट में कुछ रुपया एलाट किया गया है । समाजवाद की पहली निशानी है कि पिछड़े वर्ग को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाय लेकिन वह रुपया हरिजनों पर खर्च नहीं होता है । मैं त्रिलोक चन्द जी की इस बात से सहमत हूं कि हरिजन दान लेने के लिये तैयार नहीं हैं, उनको सहायता व सुविधा दी जाय ताकि वे अपना विकास कर सकें लेकिन जो लोन अथवा सबसिडी उनको दी जाती हैं वह हरिजनों को नहीं पहुंचता है । हरिजन भाई मुझे क्षमा करेंगे ऐसे लोगों को वह रुपया मिलता है जो कि उनके खास आदमी होते हैं जो उनके आगे-पीछे लगे रहते हैं । उस रुपये का दुरुपयोग होता है और जरूरत मन्द लोगों को रुपया नहीं मिल पाता है । वे उसे रुपये को आपस में बांट लेते हैं सही आदमियों को जिसके लिये पैसा आया हुआ होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वह रुपया कब और कितना उनके लिये आया है । इन हरिजन भाइयों को इसका पता तब चलता है जब कि वह रुपया बंट चुका होता है । तब हरिजन भाई दौड़ करते हैं किन्तु उस दौड़-धूप का कोई नतीजा नहीं निकलता है ।

अगली चीज में यह कहना चाहूंगा कि चिकित्सा के संबंध में इस साल एक बड़ी अच्छी योजना बनाई गई है जिसमें कि कुछ है ये एलोपैथिक अस्पतालों के खोले जाने के संबंध में कहा गया है । मैं मुरादाबाद जनपद के बारे में एक बात कहता हूं कि अब से लगभग 10-15 साल पहले इस अस्पताल के लिये बजट में जितना प्राविधान किया जाता था उतना ही बजट अब भी उस अस्पताल के लिये किया जाता है । यह सर्व विदित है कि दवाइयों के दाम डेढ़ गुने हो गये हैं । अस्पताल में दवाओं के अभाव के कारण अस्पताल बन्द हो जाता है और मरीज मर जाते हैं । जनसंख्या के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये हमें अस्पतालों के बजट को बढ़ाना चाहिये । जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और दवाओं का बजट उतना ही मिल रहा है । मार्च में अस्पताल में केवल पट्टी बंधवाने तक के लिये ही दवा रह जाती है । जब अस्पताल में दवायें नहीं रहती है तो मरीजों को बाहर से दवायें खरीदनी पड़ती हैं और वह भी गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं पाते हैं । उनको दवाओं के अभाव में मौत का शिकार होना पड़ता है । इसलिये मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वे अस्पतालों के साथ-साथ दवाओं के लिये जो बजट में प्राविधान किया जाता है उसमें भी बढ़ोत्तरी करें ।

मैं अपने यहां की एक क्षेत्र से संबंधित बात कहना चाहूंगा । मान्यवर एक सड़क हमारे यहां 1969–70 में बनाये जाने के लिये बजट में स्वीकृत हुयी थी जो कि केंद्रीय रोड फंड से स्वीकृत हुयी थी । इसमें 12 लाख रुपये स्वीकार हुये थे । उस सड़क का नाम है नूरपुर-छटलेट । यह सड़क दो जिलों मुरादाबाद और बिजनौर को मिलाती है । जो रुपया इसके लिये स्वीकार हुआ था वह भाव बढ़ जाने के कारण कम पड़ गया और अब उसका इस्टीमेट 12 लाख रुपये से बढ़कर 24 लाख रुपया हो गया है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस सड़क को केंद्रीय रोड फंड से हटाकर राज्य रोड फंड में कर दिया जाय और राज्य सरकार क रुपये से इस सड़क का निर्माण कराया जाय ।

बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जो बीमा योजना इस साल चलाई गई वह हमारे प्रदेश के लिये बहुत ही हितकर हुई है । जिन काश्तकारों को कभी स्वप्न में भी यह आशा नहीं थी कि हमें बिजली मिल जायेगी, क्योंकि इतने सारे नम्बर लगे हुये थे कि उनको बिजली मिलने की इतने कम समय में, संभावना ही नहीं थी । इन लोगों को 15 दिन के अन्दर बिजली मिल गई । सरकार के इस कार्य के लिये हम बड़े आभारी हैं । हमारे क्षेत्र में एक जगह ऐसी थी जहां कि तक 4–4 और 5–5 साल से कनेक्शन सैंक्शन हो चुका था किन्तु उनको बिजली नहीं मिली थी । मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उस योजना को जो कि उन्होंने 29 फरवरी तक के लिये ही रखी थी उसे आगे बढ़ाने की कृपा करें ताकि किसानों को तो कम से कम राहत मिले। और मान्यवर मैं और अधिक न कह कर जो हमारे इस बंगला देश को मुक्त कराने में हमारे भारतीय जवान शहीद हुये हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय रियासत हुसैन साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष––

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । माननीय मंजूर अहमद, माननीय सखपाल पांडेय-इन्होंने "यू० पी० सहकारी स्पिनिंग मिल, इटावा के चेयरमैन द्वारा अनियमित ढंग से स्टोर की चीजें खरीदना " यह है । इससे सरकार से सीधा संबंध नहीं है लेकिन उन्होंने जो प्रश्न इसमें उठाया है उससे अगर अल्पसूचित प्रश्न के रूप में जानकारी लें और उसके बाद उनको संतोष न हो तो इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)––

जरा सा इसके बारे में कहना चाहता था ।

श्री उपाध्यक्ष––

पहले मैं कह रहा हूं । इन अनियमितताओं के बारे में 30 माननीय सदस्य, विधान सभा ने उपमंत्री जी को भी लिखा है कि 3–4 जनवरी की और 10–11 जनवरी को तो वे उसको देखते होंगे । क्योंकि यह है कोआपरेटिव मिल तो सीधा संबंध नहीं है । आप अल्पसूचित प्रश्न एक कर लें उसमें सरकार जवाब देगी, सहकारिता मंत्री देंगे । अगर यह आरोप सही हो और स्टोर की खरीदारी ठीक नहीं है तब हो सकता है वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जा सकता है।

दूसरा माननीय मनोहरलाल विधायक कानपुर–इन्होंने तिर्वा फर्रुखाबाद के जानवरों के अस्पताल में डा० अमरसिंह कनौजिया व अरुणकुमार की हत्या–लेकिन यह घटना इतने हाल

[श्री उपाध्यक्ष]
की है---15-16 मार्च की है। यह कहना कि पुलिस ने कार्यवाही नहीं की है यह ठीक नहीं है। इस पर भी प्रश्न कर सकते हैं।

तीसरा माननीय शम्भूनाथ चौधरी और धर्मबीर सिंह, सच्चिदानन्द गुप्त, त्रिलोक चन्द जी का है बलिया नगरपालिका क्षेत्र में शहरी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1956 की धारा 5 के अनुसार कृषि परिछेदन की कार्यवाही लागू करने के लिये जो प्रश्न किया है या वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया।

माननीय रामपाल चतुर्वेदी ने जिला उन्नाव के बिछिया ब्लाक के बी०डी०ओ० द्वारा बाढ़ सहायता धन से बिना रसीद के बंगला देश के नाम पर 5 रुपया प्रति व्यक्ति कटौती के संबंध में प्रश्न रखा है, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा सदन में आश्वासन दिया है, उनका ध्यान उधर आकृष्ट करें, उस पर वह कार्यवाही करेंगे। यह अविलम्बनीय महत्व का नहीं है।

माननीय रामबिलास पांडेय, माननीय बंशीधर पांडेय ने प्रदेश ट्यूबवेल इम्पलाईज एसोसिएशन द्वारा अपनी 13 मांगों के लिये जो भूख-हड़ताल की है, संबंध में रहा है। ये भूख-हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन मांगों के संबंध में प्रश्न करें वक्तव्य इस पर क्या हो ? भूख हड़ताल कर रहे हैं पर ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

उनकी मांगों पर वक्तव्य दिलावाइये। विषय है उनकी मांगों का, भूख-हड़ताल का नहीं। बंशीधर जी और रामबिलास जी का स्वीकार कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

तो इसको लिख कर दूसरा दें। ऐसा लगता है कि भूख हड़ताल की स्वीकृति के लिये दे रहे हैं और कोई वक्तव्य दिया जाना चाहिये। इसको लिख दें कि ये मांगें हैं और इन पर सरकार वक्तव्य दे। यह संगीन मामला है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इतना पोर्शन आप निकाल दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

कल दे दीजिये।

माननीय मोहनलाल कपूर ने मेरठ मेडिकल कालेज की डिग्री को इंडियन मेटीकल कौंसिल द्वारा मान्यता न देने के संबंध में एक सूचना दी है।

इसको सरकारी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी तथा श्री शंकरप्रसाद जायसवाल श्री हरिनाथ तिवारी और श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी ने दो सूचनायें दी हैं। गत शुक्रवार की रात को 24 मार्च, 72 को वाराणसी नगर महापालिका के सभासदों को कोतवाली के इंचार्ज श्री आर० एन० पांडेय ने गालियां दीं और अपशब्द कहे। दूसरी सूचना जो माननीय हरिनाथ तिवारी और शचीन्द्रनाथ बख्शी की है वह ज्यादा साफ है। वह यह है कि दिनांक 24 मार्च, 1972 को टाउन हाल, वाराणसी में महापालिका के सभासदों को गालियां दीं और दुर्व्यवहार किया।

इस पर प्रश्न कर लें।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, वक्तव्य तो कम से कम हो जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

पहली सूचना में स्पष्ट नहीं था । लेकिन दूसरी सूचना जो माननीय शचीन्द्रनाथ बख्शी और माननीय हरिनाथ तिवारी की है उससे लगता है कि यह महत्व का प्रश्न है क्योंकि जो चुने हुए लोग हैं उनको भरी सभा में अपमानित करना और अपशब्द कहना उचित नहीं है। इसलिये वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं ।

अब हम उठते है और कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
28 मार्च 1972 ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 285 पर]

भारत-पाक युद्ध में शहीदों के परिवारों, अपंग हुये सैनिकों व उनके परिवारों को दी जाने वाली सुविधायें

क--नगद अनुदान--

उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान के माध्यम से उन सैनिकों के परिवारों को नकद अनुदान दिया जाता है जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये हों, स्थायी रूप से अपंग हो गये हों या खो गये हैं। गत भारत-पाक युद्ध में उपरोक्त प्रकार के सेनानियों के लिये नकद अनुदान की दरें बढ़ा कर निम्नांकित दरें निर्धारित की गई हैं:--

	वीरगति होने पर या खोये जाने पर	अपंग होने पर
अफसर	5,000	2,000
जे0 सी0 ओ0	3,000	1,500
अन्य अधिकारी	2,000	1,000

खोये जाने वाले फौजियों के आश्रितों को प्रदान की जाने वाली धनराशि दो बराबर किस्तों में दी जायगी और अन्य फौजियों को देय धनराशि एक मुश्त दी जायगी।

सहायता संस्थान ने अब तक 13,33,500 रुपये की धनराशि का वितरण 622 सैनिकों या उनके निकट सम्बन्धियों में किया है।

ख--मकानों की व्यवस्था--

युद्ध में शहीद हुये सैनिकों (जे0 सी0 ओ0 व अन्य रैंक) की विधावाओं के लिये 100 मकान शहरी क्षेत्रों में व 100 मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनवाने का निर्णय लिया गया है। इन के निर्माण पर कुल 22 लाख रुपये की लागत का अनुमान है। इसकी व्यवस्था सैनिक कल्याण से संबंधित प्रदेश में उपलब्ध निधियों द्वारा की जा रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष से भी 5 लाख रुपये की व्यवस्था करने हेतु प्रधान मंत्री से अनुरोध किया जा रहा है। नगरों में मकान बनाने का कार्य सेन्ट्रल कमान्ड के संरक्षण में होगा। शहीद जवानों की विधवाओं को नाममात्र किराये पर यह मकान दिये जायेंगे।

स्थानीय निकायों द्वारा विकसित आबादी स्थलों में 15 प्रतिशत आरक्षण सेनानियों के लिये निम्न वरीयता के अधीन किया गया है--

(क) ऐसे अपंग सैनिक जिनके पास कोई रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है।

(ख) वीरगति को प्राप्त सैनिक की विधवा तथा आश्रित।

(ग) सेवारत सैनिक के परिवार जिनके पास कोई अपना निजी निवास-स्थान न हो।

(घ) अन्य सैनिक।

हाल में यह निर्णय लिया गया है कि गाजियाबाद में सुधार मण्डल वीर गति प्राप्त सैनिक अधिकारियों के परिवारों तथा विकलांग सैनिक अधिकारियों के लिये लगभग 300 वर्ग गज

के 35 प्लाट उपलब्ध करेंगे और उन्हें आधे से अनधिक मूल्य पर आवंटित करेंगे। इस मामले में सुधार मंडल को जो आर्थिक हानि होगी उस हानि की धनराशि कालोनियों के अन्य प्लाटों के मूल्य में आनुपातिक रूप में सम्मिलित की जा सकती है।

ग—शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें—

वीरगति को प्राप्त, खोये गये सैनिकों तथा अपंग सैनिकों के परिवारों के सदस्यों को शिक्षा सम्बन्धी निम्न सुविधायें दी जाती हैं —

(1) जो सेनानी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये हों या खो गये हों उनके बच्चों एवं पत्नियों को प्रारम्भिक कक्ष से लेकर स्नातकोत्तर स्तर पर पूरी ट्यूशन फीस और महंगाई फीस की छूट दी जाती है।

(2) वीरगति को प्राप्त, अपंग और खोये हुये सैनिकों के उन बच्चों की भी फीस की छूट दी जाती है जो बाद में किसी समय शिक्षा संस्थाओं में दाखिल हुये हों।

(3) सरकारी तथा गैर सरकारी नरसरी स्कूलों, गृह विज्ञान, एच० टी० सी०, जे० टी० सी० व एल० टी० प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु वीरगति को प्राप्त, अपंग तथा खोये हुये सैनिकों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाती है।

(4) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को छात्र-वृत्ति और पुस्तक अनुदान के रूप में प्रारम्भिक स्तर के स्नातक स्तर तक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेस सहायता संस्थान द्वारा भी 10 रुपये से 60 रुपये मासिक दर से आर्थिक सहायता और 25 रुपये से 125 रुपये तक पुस्तक सहायता दी जाती है।

घ—चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें—

उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की ओर से 5 लाख रुपये की धनराशि सेण्ट्रल कमाण्ड के फौजी अस्पताल में गत भारत-पाक युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के आश्रितों तथा घायल व अपंग हुये सैनिकों के लाभार्थ प्रदान की गई है।

उक्त सहायता संस्थान ने एक लाख रुपये की धनराशि निदेशक, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, लखनऊ को राजकीय अस्पतालों में उक्त लाभ भोगियों के लाभार्थ प्रदान की है।

ङ—भूमि आवंटन—

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 (1) के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जो लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुये हों, की भूमिहीन विधवा, नाबालिग लड़कों, अविवाहित लड़कियों तथा माता-पिता को गांव सभा की भूमि के आवंटन में उच्चतम प्राथमिकता दी गई है।

जहां पट्टे पर उठाने योग्य खाली भूमि उपलब्ध नहीं है वहां शहीद सैनिकों के आश्रितों को शासन की अनुमति से सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु आरक्षित भूमि में से भी भूमि उठाई जा सकती है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि के अवंटन में भी उन्हें उच्चतम प्राथमिकता दी गई है।

अतिरिक्त रेलवे विभाग की भूमि जो अधिक अन्न उपजाओं योजनाओं के अन्तर्गत काश्तकारों को उठाई जाती है उसके बन्दोबस्त में भी शहीद फौजियों के आश्रितों व भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता की श्रेणी में रखा गया है।

च---व्यावसायिक प्रशिक्षण---

सरकारी औद्योगिक और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश हेतु अपंग सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। प्रत्येक पालीटेकनिक में 60 सीटों में एक सीट सैनिकों के बच्चों या आश्रितो के लिये आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा शहीद जवानों की विधवाओं को सिलाई के प्रशिक्षण में सहायता दी जाती है। उक्त सहायता संस्थान तथा राज्य सैनिकों परिषद् के फण्ड से उन्हें सिलाई की मशीनें भी दी जाती हैं।

सोशल वेलफेयर बोर्ड द्वारा प्रदेश में चलाई जाने वाली दो प्रशिक्षण वर्कशापों में 50-50 की टुकड़ियों में से 2 या 3 मास के लिए प्रशिक्षार्थियों को कटाई तथा सिलाई के प्रशिक्षण की योजना पर विचार किया जा रहा है।

छ---रोजगार संबंधी सुविधायें---

प्रदेश की तकनीकी सेवाओं में अवकाश प्राप्त फौजी अफसरों के लिए 50 प्रतिशत और गैर तकनीकी श्रेणी 2 की सेवाओं में 20 प्रतिशत का आरक्षण है। श्रेणी 3 व 4 में भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण पर विचार किया जा रहा है जिसमें अपंग सैनिकों का भी ध्यान रखा जायगा।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 306 पर)

विवरण-पत्र

श्री गंगाराम का मूल वेतन अमीन के पद पर 120 रुपया था इसलिए उन्हें आधा वेतन 60 रु0 महंगाई भत्ता निलम्बन अवधि 12–11–69 से 28–7–71 तक का देय था। उनके मामले में लिए गये अन्तिम निर्णय आदेश के अनुसार उक्त 60रु० में से श्री गंगाराम को निलम्बन भत्ता के रूप में 40रु० प्रतिमाह व महंगाई भत्ता मिलाकर निम्न प्रकार भुगतान कर दिया गया था।

अवधि कब से कब तक	कुल धनराशि जो दी गई	देने की तिथि	स्थान कहां से दिया गया
12–11–69 से 31–5–70	636.80	22–9–70–	जि० कृ० कार्यालय
1–6–70 से 31–8–70	288.00	,,	नैनीताल
माह सितम्बर, 1970	96.00	12–10–70	क्षे० वि०अ०, हल्द्वानी के माध्यम से
,, अक्टूबर ,,	96.00	11–1–70	प्रभारी बीज भण्डार, हल्द्वानी के माध्यम से।
,, नवम्बर ,,	96.00	4–12–70	क्षे० वि०अ० हल्द्वानी, के माध्यम से।
,, दिसम्बर ,,	96.00	1–71	,, ,,
,, जनवरी 1971 ,,	96.00	9–2–71	प्रभारी बीज भण्डार हल्द्वानी के माध्मम से।
,, फरवरी ,,	96.00	5–3–71	,, ,,
,, मार्च ,,	96.00	4/71	क्षे० वि० अ० हल्द्वानी के माध्यम से।
,, अप्रैल ,,	96.00	14–5–71	,, ,,
,, मई ,,	106.00 अंतरिम	3–6–71	प्रभारी बीज भंडार के माध्यम से।
,, जून ,,	106.00 रिलीफ मिलाकर।	12–7–71	क्षे० वि० अ० हल्द्वानी के माध्यम से।
1–7–71 से 28–7–71	95.80	7–9–71	प्र0 बीज भण्डार भवाली।

उक्त अवधि 12–11–69 से 28–7–71 तक का जो 20रु0 (60–40) प्रतिमाह का एरियर होता था उसकी कुल 410रु0 70पैसा की धनराशि हुई जिसका भुगतान श्री गंगाराम को दिनांक 14–8–71 को प्रभारी बीज भंडार भवाली द्वारा कर दिया गया इस प्रकार निलम्बन काल का श्री गंगाराम का कोई वेतन देना बाकी नहीं है।

नत्थी 'ग

[देखिये (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 308 पर]

सर्वश्री

1--मदनपाल सिंघल	.. ..	अधिशासी अभियन्ता
2--हरीमोहन गुप्ता	.. ..	सहायक अभियन्ता
3--फुल्लन सिंह ..	.. ..	,,
4--अरुन कुमार गर्ग	.. ..	,,
5--डी 0 के 0 गुप्ता	.. ..	,,
6--क्यू 0 जेड 0 साहेबजादा	.. ..	,,
7--यस 0 एन 0 शर्मा	.. ..	,,
8--पी 0 के 0 जोशी ..	.. ..	,,
9--विनोद कुमार जैन	.. ..	,,
10--वी 0 पी 0 कौशिक	.. ..	,,
11--जी 0 के 0 पान्डे	.. ..	,,
12--आर 0 यस 0 रघुवंशी	.. ..	,,
13--टी 0 पी 0 खरे	.. ..	,,
14--शिवकुमार दुबे	.. ..	,,
15--आर 0 डी 0 विश्वकर्मा	.. ..	,,
16--विश्वनाथ चतुर्वेदी	.. ..	,,
17--सीताराम श्रीवास्तव	.. ..	,,
18--जी 0 सी 0 वन्सल	.. ..	,,
19--सूरज लाल वर्मा	.. ..	,,
20--पी 0 एन 0 टिक्कू	.. ..	,,
21--यस 0 यस 0 श्रीवास्तव	.. ..	,,
22--आर 0 पी 0 अग्रवाल	.. ..	,,
23--हरिलाल शाह	.. ..	,,
24--आर 0 सी 0 मंगली	.. ..	,,
25--सन्तराज	.. ..	,,
26--सादिक अली खान	.. ..	,,
27--वी 0 सी 0 पन्त	.. ..	,,
28--चमन लाल अरोरा	.. ..	,,

सर्वश्री

29—गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव .. .. सहायक अभियन्ता

30—ए0पी0गुप्ता .. .. .. सहायक लेखाधिकारी

31—यस0वी0 माथुर .. .. कृषि अधिकारी

32—जगदीश चन्द्र .. .. सहायक अभियन्ता

(निलम्बित)।

1—वी0एन0 पी0 सिंह .. .. जिला नियोजन अधिकारी

2—त्रिवेणी चन्द्र पांडे .. .. ,,

3—वाई0पी0 उपाध्याय .. .. ,,

4—अमरनाथ सिंह .. .. ,,

5—सुशील चन्द्र सिन्हा .. .. ,,

6—अर्जुन राय .. .. ,,

7—शंकर राम .. .. ,,

8—हरिश्चन्द्र सेठ .. .. ,,

9—वी0एम पांडे .. .. ,,

10—के0 एस0 पांगते .. .. ,,

11—लक्ष्मी नारायण .. .. ,,

12—खजान चन्द्र पांडे .. .. ,,

13—सत्यसागर शर्मा .. .. ,,

1—श्री आई0 डब्लू सिसिल .. .. सहायक समादेष्टा (शारीरिक संवर्धन)

1—श्रीमती कृष्णा सिंह .. .. सहायक निदेशिका, महिला पौष्टिक आहार

सर्वश्री

1—आदित्य नारायण सिंह .. .. आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र

2—के0एस0 श्रोती .. .. ,,

3—एस0एस0 चौहान .. .. ,,

4—दलवीर सिंह .. .. ,,

5—डी0 वी0 के0 त्रिपाठी .. .. ,,

6—शिव चरन लाल .. .. ,,

7—डी0एन0 वैष्णव .. .. ,,

8—रामपाल सिंह .. .. ,,

9—राजनाथ सिंह .. .. ,,

10—जगन्नाथ सिंह .. .. ,,

11—पारस नाथ सिंह .. .. ,,

12—एस0ए0 भदौरिया .. .. ,,

13—आदित्यनारायण सिंह .. ..

14—सुरेन्द्र प्रताप सिंह	..	..	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी
15—एस0एन0 श्रीवास्तव	..	..	,,
16—हीरा सिंह	..	..	,,
17—पी0सी0 श्रीवास्तव	..	..	,,
18—राम सनेही कटियार	..	..	,,
19—भरत सिंह	..	..	,,
20—डी0एस0 उपाध्याय	..	..	,,
21—कालका बख्श सिंह	..	..	,,
22—सी0पी0 शुक्ला	..	..	,,
23—रतन सिंह	..	..	,,
24—आर0एस0 चौहान	..	..	,,
25—जी0डी0 सचान	..	..	,,
26—केशव सिंह	..	..	,,
27—आर0सी0 मेहरोत्रा	..	..	,,
28—प्रफुल्ल कुमार चौहान	..	..	,,
29—जसवन्त सिंह	..	..	,,
30—सोरन सिंह	..	..	,,
31—एस0के0 पांडे	..	..	,,
32—सुग्रीव सिंह तिवारी	..	..	,,
33—एच0 आर0 राय	..	..	,,
34—नागेश्वर सिंह	..	..	,,
35—अनिरुद्ध सिंह	..	..	पशुपालन
36—सुधाकर द्विवेदी	..	..	,,
37—रविराज सिंह	..	..	,,
38—भारत सिन्हा	..	..	,,
39—जी0पी0 सिंह	..	..	,,
40—आर0एस0 रघुवंशी	..	..	,,
41—अहमद हुसैन	..	..	,,
42—एस0एन0 भटनागर	..	..	,,
43—दिल बहादुर सिंह	..	..	,,
44—श्री शेख बहादुर सिंह	..	..	,,
45—श्री नारायण मल	..	..	,,
46—परमेश्वर चरन सिंह	..	..	,,
47—जगन्नाथ मल	..	..	,,
48—श्रीपाल सिंह चौहान	..	..	,,
49—श्याम मनोहर लाल अस्थाना	..	..	उपाचार्य (कृषि अभियंत्रण)
50—प्रेम कृष्ण श्रीवास्तव	..	..	,, ,,
51—सी0डी0 डोब्रियाल	..	..	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी

विधान सभा

खंडों में 15–9–71 को निम्नलिखित स्थानापन्न खंड विकास अधिकारी कार्य कर रहे थे जो कि एक वर्ष से अधिक स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं और उनका अनुमोदन लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं हुआ है—

सर्वश्री		
1—छांगुर सिंह	.. ..	स्थानापन्न खंड विकास अधिकारी
2—राजाराम यादव	..	,,
3—रामकलप त्रिपाठी	.. ..	,,
4—कैलाश चन्द्र मिश्र	.. ..	,,
5—श्यामकरन मिश्र	.. ..	,,
6—छोटे लाल वर्मा	.. ..	,,
7—प्रभुनाथ सिंह	.. ..	,,
8—के0सी0 उप्रेती	.. ..	,,
9—शिवकार सिंह बिस्ट	.. ..	,,
10—हरीदत्त भट्ट	.. ..	,,
11—सुरेन्द्र सिंह गोसाई	.. ..	,,
12—जगल राम आनन्द	.. ..	,,
13—फूल सिंह	.. ..	,,
14—सुरेश चन्द्र मिश्र	.. ..	,,
15—बाबू राम द्विवेदी	.. ..	,,

पी०एस० यू० पी०—ए० पी० 211 एल०ए०—1972—100 (मैग०)।